Rs. 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

मई 2010

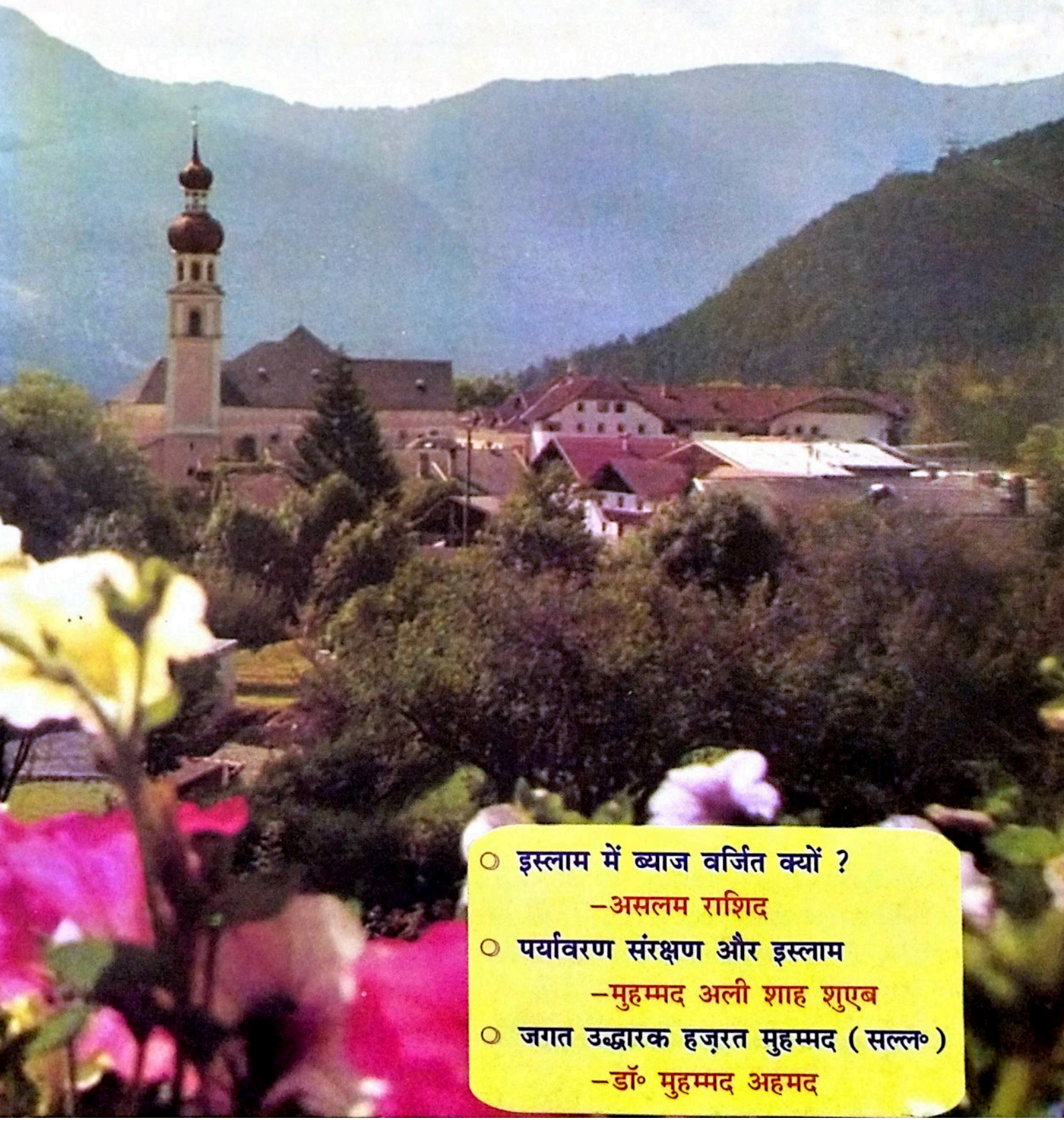

- इस्लाम में ब्याज वर्जित क्यों ?
  –असलम राशिद
- पर्यावरण संरक्षण और इस्लाम
  –मुहम्मद अली शाह शुएब
- जगत उद्धारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰)
  –डॉ॰ मुहम्मद अहमद

S. Riyaz Khadri

RIYAZ DECORATORS

Tel. : (o) 2519501, 6970673 (R) 2517612
Rax : 2517992 (Mob.) 9422060878, 9423888457

ON HIRE
SHAMIYANA PANDAL
SOUND SYSTEM
LIGHTING, CHAIRS,
TABLE AND
CROCKERY ETC. ITEMS

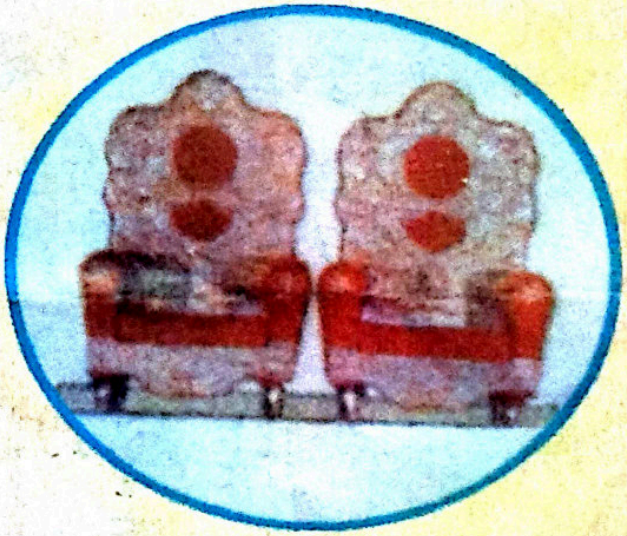

Off. : Shop No. 4, Navprasth Estate
Near Kharpreshwar Mandir,
Patrong Baina, Vasco-da-Gama
Goa-403802

Res. : Fire Wood Depot
Sasmolem Baina
Vasco-da-Gama
Goa-403802

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 19 अंक 12 मई 2010

अल्लाह ब्याज को घटाता और मिटाता है और सदक़ों को बढ़ाता है । और अल्लाह किसी अकृतज्ञ हक़ मारने वाले को पसन्द नहीं करता । (कुरआन, 2:276)

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

ई मेल kantimasik@gmail.com

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

नोट–चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

जुर्म क्या संगीन ऐसा हो गया इनसे कोई
पत्थरों से तोड़ता फिरता है आईने कोई

चैन आता है निकल कर उनकी महफ़िल से कोई
खटखटाएगा न जाने कितने दरवाज़े कोई

अंजुमन में आ के सबसे गर्मजोशी से मिला
एक नौवारिद[1] जिसे जाने न पहचाने कोई

अक़्लवाले तो समझ लेते हैं दिलवालों की बात
अक़्ल के मारों को लेकिन कैसे समझाए कोई

आज खुद अपनी ग़रज़ से उसके घर जाता हूं मैं
कल बुलाता रह गया मुझको मुहब्बत से कोई

कितने चेहरों की बशाशत का है उस पर इन्हिसार[2]
मेरी मस्नूई[3] खुशी की क़द्र क्या जाने कोई

यू ही मत कर लीजिए एहसान के तोहफ़े क़बूल
जाने किस एहसान के बदले में क्या मांगे कोई

जो किसी फ़नकार[4] को ख़ातिर में लाते ही नहीं
ऐसे फ़नकारों से फ़न की दाद क्या पाए कोई

जान तक दे दी वफ़ा की राह में हमने 'हफ़ीज़'
क्या करें फिर भी अगर हमको न पहचाने कोई ।

● **हफ़ीज़ मेरठी**

1. नवागंतुक 2. निर्भरता 3. कृत्रिम 4. कलाकार



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
मन की निस्पृहता (हदीस प्रभा)		6
इन्सान के लिए संसाधनों का अभाव नहीं (संपादकीय)		7
विचारों एवं भावनाओं के बीच सामंजस्य आवश्यक (आपके पत्र)		8
जगत उद्धारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) : पैग़म्बरी पूर्व जीवन के कुछ पृष्ठ	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	13
आज का इन्सान (कविता)	–डॉ॰ लतीफ़ अकबराबादी	16
हज़रत उम्मे सुलैम रज़ि॰ (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	17
पर्यावरण संरक्षण पर इस्लाम की शिक्षाएं और हमारा दायित्व	–मुहम्मद अली शाह शुएब	21
जाति : जन्म, कर्म के आधार पर या कुछ और (पुस्तक-समीक्षा)		25
इस्लाम में ब्याज वर्जित क्यों ?	–असलम राशिद	26–27
कर्नाटक हाईकोर्ट के सम्मान्य जजों को पवित्र क़ुरआन की प्रतियां दी गयीं	–संपादन प्रभाग	33
प्रतिबद्धता, अपने, स्पष्टवादी (लघुकथाएं)	–ओम प्रकाश बजाज	34
अनैतिकता, शिक्षा को चुनौती, फ़ीस, चेतना शून्य, नाकामी (अभिमत)		35
गीता में एकेश्वरवाद (दृष्टिकोण)	–श्याम नारायण चौहान	36
धर्म की आड़ में ढोंगी बाबाओं की करतूत	–विद्या प्रकाश	39
शराब की बुराई, खुशी की तलाश, विघटनकारी, समाधान (विश्व घटना-चक्र)	–मुशर्रफ़ अली	40
रचनाशीलता का अभिनव प्रयोग (साहित्यिकी)	–पशुपतिनाथ उंपाध्याय	43
चंगेज़ ख़ान और मुसलमान (अतीत)	–एहसान शौक़	47
सैनिक चिड़िया : पाइड बैबलर (बालवीथी)		48

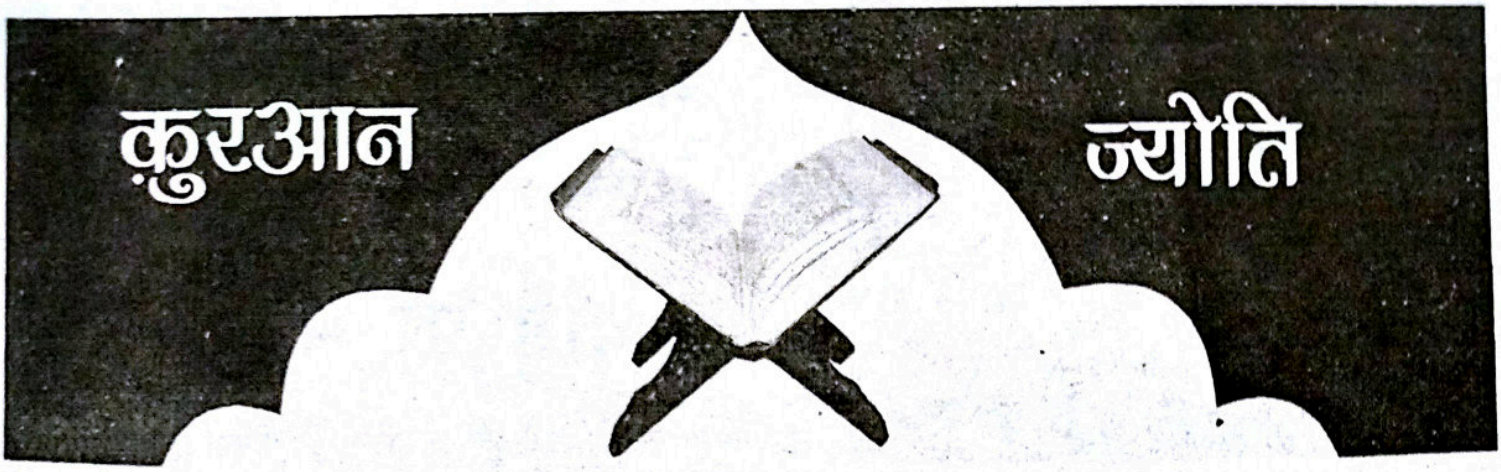

मगर जब अल्लाह ने उनको एक भला-चंगा बच्चा दे दिया, तो वे उसकी इस देन में दूसरों को उसका भागीदार ठहराने लगे । अल्लाह बहुत उच्च व श्रेष्ठ है उन शिर्क की बातों से जो ये लोग करते हैं ।[146]

–क़ुरआन, 7 : 190

146. यहां शिर्क करने वालों यानी मुशरिकों की जाहिलाना गुमराहियों की आलोचना की गयी है । तक़रीर का मुद्दआ (उद्देश्य) यह है कि मानवजाति को आरंभिक अस्तित्व प्रदान करने वाला अल्लाह तआला है, जिससे स्वयं मुशरिकों को भी इन्कार नहीं । फिर हर इन्सान को अस्तित्व प्रदान करने वाला भी अल्लाह तआला ही है और इस बात को भी मुशरिक जानते हैं । औरत के रहम (गर्भाशय) में वीर्य को ठहराना, फिर उस हलके से गर्भ को परवरिश करके एक जीवित बच्चे का रूप देना, फिर उस बच्चे के अन्दर विभिन्न शक्तियों और क्षमताओं को रख देना एवं उसको भला- चंगा इन्सान बनाकर पैदा करना, यह सब कुछ अल्लाह तआला के अधिकार में है । अगर अल्लाह औरत के पेट में बन्दर या सांप या कोई और विचित्र जीव पैदा कर दे या बच्चे को पेट ही में अंधा, बहरा, लंगड़ा-लूला बना दे या उसकी शारीरिक, मानसिक और नफ़्सानी ताक़तों में कोई कमी रख दे, तो किसी में भी यह शक्ति नहीं है कि अल्लाह की इस कृति को बदल डाले । इस हक़ीक़त से मुशरिक भी उसी तरह परिचित हैं जिस तरह एकेश्वरवादी जन ।

चुनांचे यही वजह है कि गर्भ के दिनों में सारी आशाएं अल्लाह ही से लगी होती हैं कि वही भला-चंगा बच्चा पैदा करेगा, लेकिन इस पर भी अज्ञानता और नादानी के तूफ़ान का यह हाल है कि जब आशा पूरी हो जाती है और चांद-सा बच्चा नसीब हो जाता है तो शुक्रिये के लिए नज़्रें-नियाज़ें (भेंट-चढ़ावे) किसी देवी, किसी अवतार, किसी वली और किसी हज़रत के नाम पर चढ़ायी जाती हैं और बच्चे को ऐसे नाम दिये जाते हैं कि मानो वह अल्लाह के सिवा किसी और की देन व कृपा का परिणाम है, जैसे हुसैन बख़्श, पीर बख़्श, अब्दुर्रसूल, अब्दुल उज़्ज़ा और अब्दुश्शम्स आदि ।

इस तक़रीर को समझने में एक बड़ी ग़लतफ़हमी पैदा हुई है, जिसे कमज़ोर रिवायतों ने और अधिक दृढ़ किया है । चूंकि प्रारंभ में मानवजाति की उत्पत्ति एक जान से होने का उल्लेख हुआ है, जिससे अभिप्रेत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और फिर तुरन्त ही एक मर्द व औरत का उल्लेख शुरू हो गया है, जिन्होंने पहले तो अल्लाह से भले-चंगे बच्चे के जन्म के लिए प्रार्थना की और जब बच्चा पैदा हो गया तो अल्लाह की देन में दूसरों को साझी ठहरा लिया, इसीलिए लोगों ने यह समझा कि यह शिर्क करने वाले पति-पत्नी अवश्य आदम व हव्वा अलैहि॰ ही होंगे । (जारी)

पवित्र क़ुरआन
को इंटरनेट पर पढ़िए
www.quranhindi.com



मध्य-मार्ग अपनाना और थोड़े पर संतोष

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "उसकी तरफ़ देखो जो तुमसे (धन आदि में) नीचे है और उसकी तरफ़ मत देखो जो तुमसे ऊपर हैं । यही अधिक उचित है ताकि तुम अल्लाह की उन नेमतों को तुच्छ न समझो जो उसने तुम्हें दी हैं ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम । शब्द मुस्लिम के हैं ।

बुख़ारी की एक रिवायत में है : "जब तुममें से कोई उस व्यक्ति को देखे जो माल और रूप की दृष्टि से उससे बढ़ा हुआ है, तो उसे चांहिए कि वह उसको भी देखे जो उससे कम दर्जे का है ।"

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मेरे कंधों को पकड़कर कहा : "दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम परदेसी हो या राहगीर ।"

हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) कहा करते थे कि जब तुम शाम करो, तो सुबह की प्रतीक्षा न करो और जब सुबह करो, तो शाम की प्रतीक्षा न करो और स्वस्थ अवस्था में अस्वस्थ अवस्था के लिए और जीवन में मृत्यु के लिए तैयारी कर लो ।

–बुख़ारी

● हज़रत अबुल अब्बास सह्ल बिन सअद अस-सायदी (रज़ि॰) कहते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल॰) के पास आया और उसने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), आप मुझे एक ऐसा काम बता दें जब मैं उसे करूं, तो अल्लाह भी मुझसे प्रेम करने लगे और लोग भी मुझसे प्रेम करने लगें ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "दुनिया के प्रति उदासीन हो जाओ अल्लाह तुमसे प्रेम करने लगेगा और लोगों के पास जो कुछ है उसके प्रति उदासीन हो जाओ तो लोग तुमसे प्रेम करने लगेंगे ।"

–इब्न माजा । इब्न माजा आदि ने इसे सहीह सनदों से रिवायत किया है । यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत सहल बिन साअद अस-सायदी (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अगर दुनिया अल्लाह की दृष्टि में मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो वह उसमें से काफ़िर को दुनिया से एक घूंट पानी तक न पिलाता ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन सहीह' है ।

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अस-सिख़ीर (रज़ि॰) कहते हैं कि मैं नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुआ । आप सूरह अलहाक मुत्तकासुर (102) पढ़ रहे थे । आपने कहा : "आदम का बेटा कहता है : मेरा माल, मेरा माल । ऐ आदम के बेटे ! मेरा माल क्या है सिवाय उसके जो तुमने खा लिया और समाप्त कर दिया या पहन लिया और फटा-पुराना कर दिया या दान दिया और उसे आगे भेजा ?!"

–मुस्लिम

(रियाजुस्सालिहीन' से)

इन्सान के लिए संसाधनों का अभाव नहीं

'कान्ति' का 'इस्लामी बैंकिंग' विशेषांक (जनवरी 2010) आशानुरूप प्रतिक्रिया और रिसपांस जुटाने में सफल रहा है । प्रिय पाठकों के पत्रों, विचारों और उद्‌गारों ने यह स्पष्ट कर दिया हैं कि ब्याजरहित बैंकिंग प्रणाली भारत के लिए भी हितकर और कल्याणकारी हो सकती है । इस अंक के संपादकीय में इस संबंध में प्रकाश डाला गया है, जिसे पढ़कर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ से श्री रोशनलाल अग्रवाल पिछले दिनों 'कान्ति' कार्यालय में पधारे । उनके साथ आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार आन्दोलन के केन्द्रीय संयोजक श्री आशाराम गौतम भी थे । श्री अग्रवाल जी बड़े मिलनसार, विशालहृदय और मधुरभाषी व्यक्ति हैं । उनके बड़ी अवस्था में बड़े अनुभव निहित हैं । वे जनता के आर्थिक उत्थान हेतु कई दशकों से सक्रिय हैं । इस सन्दर्भ में उनके विचार उल्लेखनीय हैं ।

उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि वास्तव में प्रकृति ने किसी चीज़ का अभाव नहीं रखा है । प्रकृति में इतने संसाधन मौजूद हैं कि अगर उनका सही वितरण हो जाए तो इन्सान की आर्थिक समस्याएं चुटकी बजाते ही हल हो जाएंगी । व्यवस्था की विकृति के कारण समस्याएं मौजूद हैं । श्री रोशनलाल अग्रवाल ने कुछ उदाहरण देते हुए बताया कि हमारे देश में कुछ ऐसे क़ानूनी प्रावधान हैं, जिनके चलते धनी और धनी बनता जा रहा है और निर्धन और निर्धन । हमारे देश की कर प्रणाली विसंगतियों से भरी है । एक ओर नमक पर कर लिया जा रहा है, जो निर्धन व्यक्ति भी देता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे प्रावधान हैं जो धनी व्यक्ति को और सम्पन्न बना देते हैं । अगर धनिक या कोई व्यक्ति वर्ष भर में 186 दिन विदेश में गुज़ार लेता है तो उस पर कर देने की ज़िम्मेदारी नहीं रह जाती । इसी प्रकार धनिक अगर 12 वर्ष तक अपनी काली कमाई छिपाने में सफल हो जाता है तो उसकी यह काली कमाई सफ़ेद कमाई में बदल जाएगी, अर्थात वैध धन हो जाएगा । है ना यह अंधा क़ानून !

श्री अग्रवाल ने बताया कि ब्याजरहित इस्लामी बैंकिंग से शोषण रुकेगा और जमाकर्ताओं को उचित लाभ प्राप्त होगा । उन्होंने इस्लाम में ज़कात और सदक़ों की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की । उन्हें यह बताया गया कि ज़कात धनिकों से लिए जाने और ग़रीबों को देने की अनिवार्य व्यवस्था है, जबकि सदक़ा (दान) ऐच्छिक है, जिसको अमल में लाने का पुण्य है । श्री अग्रवाल ने इसे सराहा और कहा कि इस विषय में वे भविष्य में और जानकारी प्राप्त करेंगे । उन्होंने कहा कि आज राजनेताओं की बेईमानी, मनमानी, लूट-झूठ और विवेकहीनता से पूरा समाज परेशान है । इन्होंने सारी राजनैतिक और संवैधानिक व्यवस्था को मज़ाक़ बनाकर रख दिया है । नियम-क़ानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गयी है । जनता का शोषण हर स्तर पर हो रहा है । देश के 70 प्रतिशत संसाधनों पर दस प्रतिशत लोगों का क़ब्ज़ा है । अतः समुचित सुधार के लिए पर्याप्त जनचेतना पैदा करने की आवश्यकता है । इस सिलसिले में भी इस्लाम के आर्थिक दृष्टिकोण से सबको लाभान्वित होना चाहिए ।

विचारों एवं भावनाओं के बीच सामंजस्य आवश्यक

मनुष्य का हाव-भाव ही उसका व्यक्तित्व है । भाव को पहचानना सरल होता है क्योंकि इसमें हमारे विशेष प्रकार के विचारों और भावनाओं का समन्वय होता है, परन्तु व्यक्ति की अस्ली पहचान के लिए हाव-भाव ही पर्याप्त नहीं हैं । प्रत्येक व्यक्ति अच्छा नज़र आना चाहता है, इसलिए अच्छा नज़र आने के प्रयास में चतुर व्यक्ति अपने मनोभावों को छिपा लेते हैं तथा बहुत ही विनम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करते हैं । व्यक्ति की सही पहचान उसकी आंखों से ही संभव है । आंखों में सब कुछ झलक जाता है ।

विचार एक मानसिक तरंग है, जो विशेष ढंग से ख़ास दिशा में चलती है और यही विचार हमारे हाव-भाव अभिव्यक्त होते हैं । हाव-भाव में भावनाओं और संवेदनाओं की सूक्षम रेखाएं बनती-मिटती रहती हैं, जिसे आसानी से देखा-परखा जा सकता है । कभी सुख की, कभी दुख की, कभी हर्ष की, कभी विषाद की रेखाएं बनती-मिटती रहती हैं । हाव-भाव के आधार पर व्यक्तियों को मुख्यत: तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–महाधूर्त, औसत व्यक्ति और आदर्श ।

प्रथम वर्ग के लोग चतुर तथा शातिर ढंग के होते हैं । इनकी पहचान करवाना काफ़ी कठिन होता है । ये अपने विचारों एवं भावनाओं को अपनी इच्छित दिशा में मोड़ने में पारंगत होते हैं । इनका हंसना, रूठना, रोना, बोलना आदि अत्यंत ही बनावटी होता है । इनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि सामान्य व्यक्ति बरबस आकर्षित हो उठता है । इनकी झूठी बात पकड़ जाने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति को इतनी सहजता एवं आसानी से विश्वास दिला देते हैं कि उन्होंने झूठ बोला ही नहीं । धोखे से इसका आभास हुआ है । ऐसे व्यक्ति महास्वार्थी एवं अहंकारी होते हैं, जिसे पारखी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है । ऐसे व्यक्ति बहुत ख़तरनाक एवं धोखेबाज़ होते हैं । इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है ।

दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, जिनके हाव-भाव को बड़ी ही सहजता से पहचाना जा सकता है । औसत व्यक्ति अपने विचार एवं भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्त कर देता है । इसके हाव-भाव में कुछ विशेष नहीं होता । इसमें हर्ष-विषाद, सुख-दुख व हानि-लाभ आदि भाव छलके बिना नहीं रहते । इन्हें और इनकी वर्तमान स्थिति को जाना-समझा जा सकता है । ऐसे व्यक्ति किसी के ख़िलाफ़ षड्यंत्र नहीं रचते । थोड़ी-सी सावधानी एवं धैर्य के साथ इनके साथ निर्वाह किया जा सकता है । ऐसे व्यक्तियों में एक विशेष गुण यह होता है कि अपने किये पर पछताते भी हैं ।

तीसरी श्रेणी में वास्तव में सीधे-सरल व्यक्ति आते हैं । इन्हें सही अर्थ में एक आदर्श व्यक्ति कह सकते हैं । ये अन्दर और बाहर दोनों से एक होते हैं । इनमें मानवता के प्रति संवेदना होती है तथा इनका एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है यह वर्ग शांत, गंभीर तथा पूर्ण परिपक्व व्यक्तियों का है । इनका लक्षण है–चेहरे पर शान्ति तथा आत्मीयता का आकर्षक भाव । दृढ़ता तथा सहनशीलता इनका धर्म होता है । ये शिकायत नहीं समाधान जानते तथा करते हैं । इनके चेहरे पर एक आभा निखरती रहती है जिसके संस्पर्श से व्यक्ति अनायास ही प्रसन्न हो उठता है । इनके व्यवहार में अपनापन होता है ।

इनकी ख़ास विशेषता है विचारों तथा भावनाओं में गहरा तादात्म तथा सामंजस्य । ये न तो अति भावुक होते हैं और न हृदयहीन । इनकी आंखें सागर की गहराई तथा आसमान की अनंत ऊंचाई से भी अधिक ऊंची स्थिरता लिए होती हैं । ऐसे व्यक्ति निष्ठावान एवं संकल्प के धनी होते हैं । इनके विचारों एवं भावनाओं में सही संतुलन होता है ।

यदि किसी व्यक्ति के विचारों एवं भावनाओं में ज़रा भी असंतुलन आता है तो व्यवहार गड़बड़ाता है और इसका प्रभाव हमारे अथवा उस व्यक्ति के हाव-भाव पर पड़ता

है । अत: व्यवहार को आदर्शवान व्यक्तित्व के समान गढ़ने के लिए हमें भी अपने विचारों एवं भावनाओं की सही समझ पैदा कर इनके बीच सामंजस्य रखना चाहिए ।

आर॰एन॰ पाण्डेय

शक्तिनगर, सुलतानपुर (उ॰प्र॰)

मनुष्य में ईश्वर नहीं होता

दिल्ली के इच्छाधारी बाबा सैक्स स्कैंडल में फंस गये, बेंगलूरू के नित्यानन्द महाराज एक तमिल अभिनेत्री के साथ रंगरलियां मनाते पकड़े गये । इससे पहले मशहूर प्रचारक संत आशाराम के आश्रम में होने वाली ग़ैरक़ानूनी हरकतें मीडिया में आ चुकी हैं । इसी प्रकार चंद्रास्वामी के काले कारनामों की तफ़सील हमारे सामने है, सच्चा सौदा के धर्म गुरु पर भी मुक़दमा है, ऐसी कहानियां वर्ष के बारह महीने कानों में ख़राश पैदा करती रहती हैं, इस प्रकार के सभी बाबा लोग धर्म के नाम पर सामने आते हैं, लोगों को अपने द्वारा कुछ चमत्कार दिखाते और उन्हें अपना मोहित कर लेते हैं । उनके भक्त समझते हैं कि बाबा में कोई ऊपरी शक्ति है या उनमें भगवान की आत्मा विराजमान है, लोग उनके पैर चूमते हैं, उन्हें ईश्वर का अवतार या ईश्वर का स्वरूप समझते हैं, उन पर धन-दौलत न्योछावर करके अपनी आत्मा को शान्ति देते हैं । सीधे-सादे लोग बाबाओं से आस्था जोड़ लेते हैं ।

आस्था का संबंध धर्म से है । परन्तु धर्म में और अश्लीलता में आग और पानी का संबंध है, जहां अश्लीलता है वहां धर्म नहीं और जहां धर्म नहीं वहां ईश्वर नहीं, तो क्या ऐसे बाबाओं में ईश्वर हो सकता है ? कदापि नहीं, परन्तु फिर भी एक लंबी अवधि तक भारी संख्या में बहुत से लोग उन्हें भगवान समझ कर पूजते रहे, इसका कारण क्या है ? यही न कि हमने यह आस्था गढ़ ली है कि कुछ मनुष्यों में ईश्वर होता है, और वह होता है बाबाओं में, धर्म गुरुओं में । अगर धर्म गुरुओं और बाबाओं में ईश्वर होता है तो कम से कम उनमें तो नहीं था जो उक्त प्रकार के स्कैंडलों में पकड़े गये हैं । अगर उनमें नहीं था तो औरों की क्या गारंटी है ? आप कह सकते हैं कि वे नक़ली बाबा थे, वे ढोंगी साधु थे, परन्तु मैं पूछना चाहूंगा कि उन ढोंगियों के साथ मीडिया वालों ने कुछ सफ़ेद पोश बाबाओं की तस्वीरें दिखायी हैं जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जिन्हें आज भी लोग पूरी आस्था से पूज रहे हैं, आज भी उनके व्यक्तित्व में ईश्वर माना जाता है, वह उन ढोंगियों के साथ क्यों खड़े हैं ? उनके अन्दर के ईश्वर ने उन ढोंगियों को क्यों नहीं पहचान लिया । उन्हें पहचान कर बेपरदा कर देना क्या उन सफ़ेदपोश बाबाओं का काम नहीं था जो उनके साथ खड़े हैं, जो साफ़-सुथरे हैं, जिनके अन्दर सच-मुच का ईश्वर विराजमान है । विशेष रूप से वे सफ़ेदपोश बाबा तो मुजरिम के कटघरे में खड़े होने से बच नहीं सकते जिनकी तस्वीरें इन ढोंगियों के साथ दिखायी गयी हैं । उन सफ़ेदपोश बाबाओं में अगर ईश्वर की आत्मा जागृत थी तो उन्होंने संसार को ढोंगियों के कारनामों से आगाह क्यों नहीं किया ? कम से कम उन्होंने ढोंगियों के साथ तस्वीरें ही क्यों खिचवायीं ?

इस बात से तो यही सिद्ध होता है कि इन्सान इन्सान है वह भगवान नहीं हो सकता, हां मनुष्य अपने जप-तप से चाहे कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो जाए मनुष्य ही रहता है ईश्वर नहीं बनता । ढोंगी बाबाओं का उदाहरण हमारे सामने है जिन्हें एक लंबी अवधि तक लाखों भक्त भगवान समझते रहे परन्तु उनमें भगवान नहीं शैतान निकला और ऐसे शैतानों को वे बाबा और धर्मात्मा भी न पहचान सके, जिन्हें उनके भक्त आज भी भगवान समझते हैं । इससे तो यही ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य में ईश्वर नहीं होते ।

डॉ॰ मुहम्मद असलम क़ासिमी

रुड़की, उत्तर प्रदेश

अलग राज्य बने विदर्भ

न्यायाधीश फ़ज़्ल अली आयोग ने विदर्भ राज्य बनाने की पुरज़ोर सिफ़ारिश की थी । पिछले 60 वर्षों से हर धर्म और समाज के लोग विदर्भ राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, किन्तु कुछ स्वार्थी तत्वों के विरोध के कारण यह मांग नहीं मानी गयी । विदर्भ के 11 ज़िलों में खनिज का भंडार है, जंगलों की क़ीमती दौलत है । चावल, गेहूं, कपास, दालें आदि की अच्छी फ़सलें होती हैं । इसमें छोटी-बड़ी नदियां हैं, डैम हैं, बिजली पैदा करने वाले पावर हाउस हैं, जो विदर्भ को बहुत विकसित और संपन्न बनाते हैं । ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से भी विदर्भ का क्षेत्र पश्चिमी महाराष्ट्र से अलग रहा है । आज़ादी के बाद जब यह महाराष्ट्र का हिस्सा बना, तभी से यह राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ता गया । इसको और अधिक

इस्लाम-परिचय

हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org

www.islamicwebdunia.com

पिछड़ने से बचाने के लिए केन्द्र सरकार को विदर्भ के अलग राज्य की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए ।

हसनैन कैफ़

भंडारा, महाराष्ट्र

मिसाली भाईचारा

विगत अंक में इस्लामी बैंकिंग की बेहतर और भरपूर जानकारी मिली । यह बहुत ही सुखद है । सामाजिक स्तर पर ऐसी बैंकिंग व्यवस्था को अपनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ग में आर्थिक विकास संभव हो ।

विगत महीने में 'पुस की रात' और इस बार 'मनुष्य' का परम कर्तव्य जैसी प्रेमचंद की उत्कृष्ट कहानियां पढ़ने को मिलीं ।

रतलाम में दोनों समुदायों के बीच प्रेम और भाईचारा एक मिसाल है । अतीत से लेकर वर्तमान तक मौजूद इस एकता को लेख के रूप में प्रस्तुत कर देश के अन्य भागों में भी जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ।

निरंजन कुमार निराकार

रामगढ़, रतलाम

सुझाव

मैं 3-4 वर्षों से 'कान्ति' का नियमित पाठक हूं । ऐसी दूसरी पत्रिका आज तक मेरी नज़र से नहीं गुज़री जो इन्सान को सही रोशनी दे । यह पत्रिका गागर में सागर समेटे हुए है । संपादकीय की जितनी सराहना की जाए कम है । इसे समाज का दर्पण कहना मुनासिब है । इसके अन्य स्तंभ भी काफ़ी ज्ञानवर्धक हैं । मेरे ग़ैर-मुस्लिम दोस्त भी इसे पढ़ते हैं । उनकी एक परेशानी है, वह यह कि हफ़ीज़ मेरठी की ग़ज़लों और नअतों में कुछ शब्द बहुत कठिन होते हैं, जिनका अर्थ यदि नीचे दे दिया जाए तो उनकी कठिनाई दूर हो सकती है । इसके अलावा हमारी एक सलाह है कि शरीआ क़ानून के अनुसार तलाक़ पर एक लेख 'कान्ति' में प्रस्तुत किया जाए, ताकि बहुत से लोगों का भ्रम दूर हो ।

सग़ीर अहमद

लातेहार, झारखंड

अनूठी मिसाल

पार्श्वनाथ जैन मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, के बिल्कुल पास में जनाब रसूल ख़ां का अपना मकान था । जब मंदिर द्वार को बड़ा करने की बात आयी तो रसूल ख़ां ने अपना मकान मंदिर को दान कर दिया और साम्प्रदायिक सौहार्द्र की एक अनुपम मिसाल क़ायम की । उनका कहना है कि वे इसका शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन द्वार ऐसा बने कि लोग इसकी भव्यता देखने को आएं ।

रसूल ख़ां का मकान शहर के बीच में था और बहुत क़ीमती था, लेकिन उन्होंने कहा कि मकान तो कहीं और भी बनाया जा सकता है । अब जैन समाज की बारी है कि वे रसूल ख़ां के लिए निवास की व्यवस्था करे ।

घेवरचन्द गोदीका

जयपुर, राजस्थान

'कान्ति' पसन्द आयी

आपकी पत्रिका 'कान्ति' एक पुस्तकालय में पढ़ने को मिली । हमें यह पत्रिका बहुत पसन्द आयी । हम इससे जुड़ना चाहते हैं । आप कृपया हमें यह पत्रिका नियमित भेजें ।

सी॰एम॰ भाटी

नागौड़, राजस्थान

महती कार्य

आपकी पत्रिका 'कान्ति' मुझे नियमित रूप से मिलती है । मैं इसे चाव से पढ़ता हूं । इस्लामी जगत और उसकी 'सोच' को हिन्दी जगत, विशेषकर ग़ैर-मुस्लिम समाज को परिचित कराने में यह पत्रिका एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, इसके लिए आप बधायी के पात्र हैं ।

● ब्र॰गो॰रा॰चं॰

बधाई

आप 'कान्ति' पत्रिका का काफ़ी मेहनत के साथ प्रकाशन कर रहे हैं । बधाई । पत्रिका का अंक प्राप्त हुआ धन्यवाद ।

अंजनी रस्तोगी

बदायूं (उ॰प्र॰)

सार्थक प्रयास

'कान्ति' की प्रति समय से हस्तगत हुई है एतदर्थ अनेकानेक धन्यवाद एवं हार्दिक आभार । 'पत्र लेखन' शीर्षक रुचिकर लगा । संपादकीय समसामयिक परिप्रेक्ष्य की निर्मिर्ति में सहायक सिद्ध है । पत्रिका लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है । इसके क्षेत्र विस्तार को दृष्टिगत करते हुए सीमाओं से परे भी साहित्यिक क्षेत्र का क्षेत्र है । उसको भी अपनी परिधि में स्थान दें । साहित्य सीमातीत होता है, तभी वह सार्वभौमिक, सार्वदेशिक एवं सार्वजनिक बनता है ।

आशा एवं विश्वास हैं आप संपादकीय में और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री परोस कर पाठकों को रसानुभूति कराने का सार्थक प्रयास करेंगे । साहित्यिक आलेख पूर्व में भेजे गये हैं । यदि संभव हो तो प्रकाशित करने की कृपा करें ।

डॉ॰ पशुपतिनाथ उपाध्याय

अलीगढ़ (उ॰प्र॰)

आत्मघाती दोहरा न्याय

बाबरी मस्जिद विध्वंस, गुजरात नरसंहार, मालेगांव तथा मुंबई का 26/11 के कांड चर्चा के विषय बने हुए हैं । बाबरी मस्जिद विध्वंस तथा गुजरात नरसंहार में क्रमशः लालकृष्ण आडवाणी एवं अन्य, नरेन्द्र मोदी एवं अन्य पर क़ानूनी दांवपेच संबंधि धीमी निरर्थक कार्रवाई की जा रही है, उनके अनुसार ऐसी प्रक्रिया में 20 वर्षों में भी कोई परिणाम सामने नहीं आ पाएंगे जो कि क़ानून के लिए शर्म की बात है ।

गुजरात नरसंहार में लगभग 2500 मुसलमानों की दर्दनाक हत्याएं की गयीं थीं । छेड़छाड़, बलात्कार, लूट, आगज़नी के दिल दहलाने वाले अनगिनत कांड हुए थे । बाबरी मस्जिद विध्वंस में पूरा राष्ट्र साम्प्रदायिकता की चपेट में आ गया था, जिसमें मस्जिद समुदाय ही को दोषी ठहराया गया और उन्हें सज़ाएं दीं गयीं, निर्दोषों को भी हिरासत में लिया गया, जबकि लालकृष्ण आडवाणी एवं अन्य के भड़कीले भाषण, धार्मिक स्थल की तोड़फोड़, वहां रखे धार्मिक पुरातत्व कृतियों का अपमान कर उन्हें जलाना तथा उसके बाद फैले दंगों में क्या नहीं हुआ ।

लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करते हुए खुले घुमते आरोपियों पर हिरासत जैसी कार्रवाई भी नहीं हो सकी, जबकि ऐसे अनेकों मामलों में भारतीय दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत उन्हें महीनों हिरासत में रखे जाने का प्रावधान है । आरोपी प्रज्ञा एवं अन्य पर आरोपों से मुक्त कराये जाने की पहल की गयी तथा कसाब पर न्यायिक कार्रवाई के पूर्व ही उसे फांसी पर चढ़ाये जाने के नारे लगाये जाते रहे ताकि न्यायालय भी उसे फांसी की सज़ा सुना दे । अतएव देश के क़ानून एवं न्याय को ज़िंदा रखने के लिए एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होना चाहिए बल्कि पारदर्शी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के हिरासत में लिए जाने हेतु क़ानून को आगे आना चाहिए । संज्ञान लेते हुए न्यायालय को स्वयं हस्तक्षेप करते हुए संबंधित आदेश देना चाहिए ।

मलिक

नागपुर

पारदर्शी कुण्डलियां

पानी-बिजली दें नहीं, सड़कें हैं बदहाल ।
आज़ादी ऐसी मिली, मरें बिना ही काल ।।
मरें बिना ही काल, करें घोटाले भारी ।
भ्रष्टाचारी बने, सभी नेता-अधिकारी ।।
सत्ता-मद में फूल, 'पारदर्शी' अभिमानी ।
महंगाई से उतरा है जनता का पानी ।।
नाचें बन्दर की तरह, पीकर दारू-भंग ।
परेशान बाज़ार है, बाराती के संग ।।
बाराती के संग, नाचते लड़का-लड़की ।
आग और घी साथ, सेक्स की ज्वाला भड़की ।।
कान-फाड़ आवाज़, बैंड की ऐसी गाजे ।
शर्म-हया सब छोड़, 'पारदर्शी' जन नाचें ।।
गांजा-चरस-अफ़ीम में, मस्त रहें जो भक्त ।
कैसे प्रभु को पा सकें, दोषी जिनका रक्त ।।
दोषी जिनका रक्त, बने वह शिथिलाचारी ।
जप-तप छोड़ा और, बने सब स्वेच्छाचारी ।।
नशा नाश का मूल, 'पारदर्शी' समझा जा ।
करे शराब ख़राब, कभी मत पीना गांजा ।।

संत ॐ पारदर्शी

पारदर्शी साधना केन्द्र, 261, उत्तरी आयड़, उदयपुर-313001

दिमाग़ीन®
ब्रेन टॉनिक

- दिमाग़ीन हर आयु के मानसिक एवं शारीरिक रूप से व्यस्त लोगों के लिए लाभप्रद है।
- दिमाग़ीन एक पोषक एवं औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल ऑवला (मुख्य घटक) द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें विटामिन 'सी' सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इसमें केल्शियम एवं आयरन भी पाया जाता है।
- दिमाग़ीन एकाग्रता बढ़ाता है साथ ही थकान कम करता है ।
- दिमाग़ीन मुंह की दुर्गंध दूर करता है तथा पाचन को सुधारता है ।
- दिमाग़ीन एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्फूर्तिदायक एवं शक्ति से भरपूर यूनानी औषधि है ।

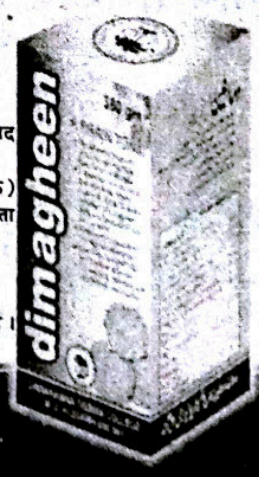

दवाख़ाना तिब्बिया कालिज
मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़

दो नई पुस्तकें

लेखकः इरफ़ान ख़लीली अनुवादकः आबिद हामिदी

ख़ुलफा-ए-राशिदीन हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उसमान ग़नी और हज़रत अली मुरतज़ा (रज़ि०) की सीरत पर "प्यारे नबी के चार यार" का उर्दू सेट बेहद मक़बूल होने के बाद पहले दो भाग का आसान और सादा ज़बान में हिन्दी अनुवाद।

हज़रत अबू-बक्र (रज़ि०) [1]

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू-बक्र की जीवनी पर आधारित ऐसी किताब जिसको पढ़कर हमारे दिलों में उनके लिए मुहब्बत की भावना पैदा होगी।

✹ 23X36/16 ✹ पृष्ठः 72 ✹ मूल्यः 25/-

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) [2]

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़ का जीवन, ख़िदमात और कारनामों पर एक महत्वपूर्ण किताब।

✹ 23X36/16 ✹ पृष्ठः 88 ✹ मूल्यः 25/-

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS
D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

जगत उद्धारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) : पैग़म्बरी पूर्व जीवन के कुछ पृष्ठ

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की वंशावली लगभग सात पीढ़ियों पर हज़रत इस्माईल (अलैहि॰) से जाकर मिलती है। हज़रत इबराहीम के सुपुत्र थे। उनका ख़ानदान ख़ूब फला-फूला। इस्माईल (अलैहि॰) ने जुरहुम क़बीले में विवाह किया था जिसकी गणना आरिबा नस्ल में होती थी। क़ुरआन का बयान है कि हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) अल्लाह के हुक्म पर अपनी पत्नी हाजरा और पुत्र इस्माईल को मक्के की घाटी में छोड़कर गये थे, उस समय जुरहुम क़बीला मौजूद न था।

हज़रत इस्माईल (अलैहि॰) की संतान में, अदनान का जन्म हुआ। अदनान से बहुत-सी संतानें हुईं जिनमें मअद बिन अदनान काफ़ी मशहूर हुए। मअद की संतान में मुज़र अधिक प्रसिद्ध हुए और उनकी संतान में फ़िहर बिन मालिक ने ख़ानदान का नाम रोशन किया। फ़िहर बिन मालिक की संतान का नाम क़ुरैश पड़ गया और यह नाम इतना फैल गया कि पूरा क़बीला इसी नाम से जाना जाने लगा। क़ुरैश का वंशज अपनी प्रतिष्ठा, उच्चाचरण, वीरता, संभाषण-शक्ति और हौसलामंदी के कारण अरबवासियों में मक़बूल हो गया। लोग इस ख़ानदान को आदर की दृष्टि से देखते थे।

फ़िहर की संतान में क़ुसई बिन किलाब पैदा हुए। मक्का की सरदारी जुरहुम क़बीले के हाथ में रही, यहां तक कि खुज़ाआ का, जो काबा के संरक्षक थे, प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद क़ुसई को, उनके उच्च गुणों और क्षमताओं को देखते हुए, काबा का सेवा-कार्य सौंप दिया गया। काबा की दरबानी और देखभाल उनके ज़िम्मे थी। उसकी कुंजी भी उन्हीं के ज़िम्मे थी। उनकी अनुमति के बिना कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। इस प्रकार क़ुसई लोकप्रिय सरदार के रूप में उभरे।

मक्के में उस वक़्त तक इमारतों का नामो-निशान तक न था। किसी में यह हिम्मत न थी कि काबे की ज़मीन में कोई घर बनवाये या कोई दूसरी इमारत बनवाये जो काबे से ऊंची हो। क़ुसई ने एक इमारत बनवायी, जिसका नाम 'दारुन्नदवा' (मंत्रणा-गृह) रखा। वहां वे लोगों को जमा करते, उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श करते। महत्वपूर्ण मामलों में उनसे मशविरा लेते, वहीं पर मुक़दमों के फ़ैसले भी किये जाते और शादी-विवाह के मामले भी तय होते।

क़ुसई के पुत्र अब्द मनाफ़ प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभरे। उनके बड़े पुत्र का नाम हाशिम था जिनके अधिकार क्षेत्र में सिक़ाया[1] और रिफ़ादा[2] की पूर्ण व्यवस्था थी। अब्द मनाफ़ हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के दादा अब्दुल मुत्तलिब के दादा थे। अब्दुल मुत्तलिब को सिक़ाया और रिफ़ादा की व्यवस्था की ज़िम्मेदारी अपने चचा मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ़ से प्राप्त हुई थी। अब्दुल मुत्तलिब को अपनी क़ौम में प्रतिष्ठा और आदर-सम्मान प्राप्त था।

क़ुरैश के लोगों को दृढ़ विश्वास था कि काबा का अल्लाह की निगाह में एक विशिष्ट स्थान है, वही इसका संरक्षक है। हब्शा के सम्राट अबरहा ने काबा पर सारी सेना के साथ हमला कर दिया था। उसमें उसे ज़बरदस्त पराजय हुई, इस घटना ने भी काबा का महत्व बढ़ा दिया था।

अब्दुल मुत्तलिब के दस बेटे थे और छह पुत्रियां थीं। अब्दुल्लाह सबसे अधिक सुन्दर और सबसे अधिक चरित्रवान बेटे थे। उन्हें ज़बीह कहा जाता था। जब उनके पिता ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पांसा फेंका तो अब्दुल्लाह का नाम बलि देने के लिए निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा और उनकी बलि चढ़ाने के लिए काबा के पास ले गये। परन्तु क़ुरैश के समझाने पर

1. पीने के पानी की व्यवस्था।
2. क़ुरैश द्वारा निर्धारित एक वार्षिक धनराशि जिसे मिना और मक्का में हाजियों के सत्कार में व्यय किया जाता था।

अब्दुल्लाह और दस ऊंटों के बीच पांसा डाला गया, तो फिर पांसा अब्दुल्लाह के नाम पर पड़ा । फिर ऊंटों की संख्या दस-दस करके बढ़ायी गयी । जब सौ तक पहुंची तो पांसा ऊंटों के नाम पड़ा । ऊंटों की बलि चढ़ा दी गयी । नबी (सल्ल०) कहा करते थे, "मैं तो दो ज़बीहों की संतान हूं । एक हज़रत इस्माईल और दूसरे अब्दुल्लाह ।"

अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह का विवाह हज़रत आमिना से किया । वे विदा होकर अब्दुल्लाह के घर आयीं । परन्तु थोड़े समय के पश्चात् मदीना में अब्दुल्लाह की मृत्यु हो गयी जहां वे अपने पिता के निर्देशानुसार खजूरें लाने गये हुए थे । अब्दुल्लाह के देहांत के समय हज़रत आमिना गर्भवती थीं ।

जन्म और जीवन के आरंभिक चालीस वर्ष

आख़िर मानव-इतिहास का वह सबसे रोशन और मुबारक दिन आ गया जब मानवता उपकारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का जन्म मक्का नगर में हुआ । आपका जन्म बारह रबीउल अव्वल, सोमवार के दिन हुआ जो ईसवी सन के अनुसार 30 अप्रैल, 571 ई० है । आपके आगमन से अंधकारों और विपदाओं से घिरे विश्व में सत्य-प्रकाश दीप्तमान हुआ । आपकी पैदाइश से सारा घर नूर से भर गया । आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको लेकर काबा में गये और आपके लिए वहां दुआएं करते रहे । दादा ने अपने एक मुबारक स्वप्न की रोशनी में आपका नाम 'मुहम्मद' रखा । कहा : 'मैं चाहता हूं, मेरा पोता प्रशंसाएं प्राप्त करे ।' आपकी मां ने एक शुभ स्वप्न की रोशनी में आपका नाम 'अहमद' रखा ।[1] मुहम्मद बिल्कुल नया नाम था, जिस पर अरबों को बहुत आश्चर्य हुआ । आपके जन्म के सातवें दिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट कुरबान कराया और कुरैश की दावत की । जब लोग खाना खा चुके तो किसी ने पूछा–

"अब्दुल मुत्तलिब ! क्या कारण है, आपने अपने पोते का नाम 'मुहम्मद' रखा ? ख़ानदानी नाम क्यों नहीं रखा ?"

अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया–

"मैंने चाहा कि आकाश पर भी इसकी प्रशंसा हो और धरती पर भी, पालनहार को भी प्यारा हो और लोगों को भी ।"

कुरैश के ऊंचे घरानों की औरतें उस वक़्त अपने बच्चों को दूध खुद नहीं पिलाती थीं । गांव से दाइयों की टोलियां आतीं, वे बच्चों को अपने यहां ले जातीं । उनको दूध पिलातीं और लालन-पालन करतीं । जब वे बड़े हो जाते तो वापस कर जातीं और दूसरे बच्चों को ले जातीं, इससे बच्चे स्वस्थ रहते । अच्छी अरबी भी सीख लेते । दाइयों के आने के मौसम तय थे । मुहम्मद (सल्ल०) का जन्म हुआ तो उस समय कोई दाई न मिली । दो-तीन दिन तक आमिना ने खुद दूध पिलाया । फिर मुहम्मद (सल्ल०) को अब्दुल्लाह के एक भाई अबू लहब की दासी सौबिया के हवाले कर दिया । यह कहा गया कि जब तक कोई दाई न मिले, बच्चे को दूध पिलाये । सौबिया ने बस कुछ ही दिन दूध पिलाया कि बनी सअद क़बीले की दाइयां आ गयीं । इन दाइयों को लालन-पालन और अच्छी भाषा के मामले में विशिष्टता प्राप्त थी । उन्हीं औरतों में हलीमा सादिया भी थीं । वे भी अपने गांव से आयी थीं ।

सूखा पड़ा था, लोग बहुत परेशान थे । आपको बनी सअद की दाइयों के सामने लाया गया, किन्तु अधिकतर ने यह सोचकर कि यह बच्चा यतीम है, इसके बाप होते तो लाभ की आशा थी, मां-दादा से क्या मिल पाएगा, आपकी ओर ध्यान नहीं दिया । हलीमा बहुत कमज़ोर और दुर्बल थीं । उन्होंने शुरू में आपकी ओर ध्यान न दिया और उनका झुकाव भी दूसरी ओर होने लगा ।

हलीमा का पति साथ था । हलीमा ने उससे कहा, "खुदा की क़सम ! मुझे शर्म आती है । सारी सहेलियों की गोदें भरी हों और एक मेरी गोद ख़ाली हो । मैं तो जाती हूं और उस यतीम को लिए लेती हूं । ख़ाली हाथ लौटने से यतीम को ले जाना अच्छा है ।" पति ने कहा, "जाओ, ले आओ । क्या हर्ज है ? हो सकता है अल्लाह उसी में बरकत दे ।"

अत: वे वापस आयीं और आप (सल्ल०) को लेकर क़ाफ़िले में जा मिलीं । उन्होंने खुली आंखों से आपकी बरकत को देखा । दूध में, जानवरों में, खाने में, हर चीज़ में साफ़ बरकत महसूस हुई । हलीमा के साथ की जितनी दूध पिलानेवालियां थीं उन्होंने अब कहना शुरू किया, "हलीमा, तुमको बहुत मुबारक बच्चा मिला है ।"

बरकतों की बारिश का सिलसिला जारी रहा, यहां तक

1. हज़रत आमिना को आपके जन्म से पहले ऐसी बहुत-सी निशानियां और चिन्ह नज़र आये जिनसे मालूम होता था कि उनके बेटे की भविष्य में बड़ी शान और प्रतिष्ठा होने वाली है ।

कि दो साल बीत गये और बीबी हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और आपको लेकर मां आमिना के पास पहुंची । उनसे आग्रह किया कि आपको कुछ समय और उनके पास रहने दिया जाए । आमिना राज़ी हो गयीं और आपको हलीमा के साथ वापस लौटा दिया । आपका पालन-पोषण गांव के साफ़-सुथरे और खुले वातावरण में हो रहा था ।

जब आप छह वर्ष के हुए तो अपनी मां आमिना के साथ यसरिब गये । आमिना अपने पति अब्दुल्लाह की क़ब्र पर भी जाना चाहती थीं । मदीना में एक महीना रहने के पश्चात मक्का वापस आते हुए 'अबवा' नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गयी । वहीं वे दफ़न कर दी गयीं ।

एक ओर मां की जुदाई का ग़म था, तो दूसरी ओर सफ़र में अकेले पड़ जाने का । मां साथ थीं तब भी आपको यतीमी का दुख था । भला दिल पर क्या बीती होगी जबकि यह सहारा भी टूट गया । ग़म पर ग़म, एक से बढ़कर दूसरा । हबश की रहने वाली उम्मे ऐमन वरक़ा आपको लेकर मक्का आयीं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया ।

अब्दुल मुत्तलिब क़ुरैश के सरदार थे । वे मुहम्मद (सल्ल०) का बहुत ही ख़याल रखते और प्रेम, स्नेह की वर्षा करते । हर तरह से तसल्ली देते । खुद अपनी और अपनी औलाद से बढ़कर उनकी फ़िक्र रखते । वे आपको क़ाबा के साये में फ़र्श पर अपने साथ बिठाते और प्यार से पीठ सहलाते । लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी अधिक समय तक जीवित न रहे । मुहम्मद (सल्ल०) आठ वर्ष के हुए थे कि दादा भी चल बसे । आपके लिए दादा का देहांत बड़ा दुखद था । दादा का ग़म मां-बाप से भी बढ़कर था । अल्लाह की हिक्मत थी कि आपको बराबर ग़मों और सदमों से गुज़ारकर, सांसारिक सहारों से वंचित कर, अपने कठिन और महानतम कार्य के लिए तैयार किया जाए ।

चचा अबू तालिब के साथ

दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मरते वक़्त अपने प्रिय पोते मुहम्मद (सल्ल०) को अबू तालिब के सुपुर्द कर दिया था । वे उनको आप (सल्ल०) की अच्छी तरह देखभाल और अच्छा बर्ताव करने की नसीहत बराबर करते रहे । अबू तालिब आपके पिता के सगे भाई थे । उन्होंने अपने भतीजे का पालन-पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया । आपको अपने लड़कों अली, जाफ़र और अक़ील से भी बढ़कर माना । वे चालीस वर्ष से अधिक समय तक अपने संरक्षण में रखकर आप (सल्ल०) को शक्ति प्रदान करते रहे ।

जब आपकी उम्र लगभग बारह साल थी, अबू तालिब शाम (सीरिया) की व्यापारिक यात्रा पर निकले । साथ में मुहम्मद (सल्ल०) भी थे । लंबे और कठिन सफ़र के पश्चात क़ाफ़िला शाम स्थित बुसरा (Bostra) पहुंचकर ठहरा । वहां जरजीस नामक एक राहिब (संन्यासी) रहता था जो बुहैरा नाम से प्रसिद्ध था । वह गिरजा से बाहर कभी नहीं निकलता था, परन्तु उस समय वह बाहर निकला और अबू तालिब के क़ाफ़िले का अप्रत्याशित रूप से आतिथ्य-सत्कार किया । उसने मुहम्मद (सल्ल०) को शुभ लक्षणों के आधार पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा–

"ये विश्वनायक हैं, अल्लाह ने इन्हें 'रहमतुल्लिल आलमीन' (सारे संसार के लिए दयानिधि) बनाकर भेजा है ।"

इस्लामी साहित्य संगम की गोष्ठी

इस्लामी साहित्य संगम की गोष्ठी विगत 11 अप्रैल 2010 ई० को 'कान्ति' कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अक़ीदतुल्लाह क़ासिमी ने की । इसमें प्रतिष्ठित उर्दू साहित्यकार डॉ० अब्दुल बारी (शबनम सुबहानी) साहब ने अपनी एक ग़ज़ल पेश की ।

मौलाना अब्दुल हक़ फ़लाही द्वारा पवित्र क़ुरआन की तिलावत से कार्यक्रम आरंभ हुआ । जनाब मुहम्मद इलियास हुसैन ने दकनी भाषा में साहित्य सृजन की परम्परा पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला । जनाब मुहम्मद यूसुफ़ 'मुन्ना' द्वारा प्रस्तुत लघुकथा में पहचान पत्र की समस्या को रेखांकित किया गया । संस्था के संयोजक डॉ० मुहम्मद अहमद ने अतिक्रमण पर आधारित कुछ लघुकथाएं प्रस्तुत कीं । इसमें शामिल होने वालों में कुछ प्रमुख लोगों के नाम हैं–जनाब रफ़ीक़ अहमद साहब (सेक्रेट्री दावत ट्रस्ट), जनाब मुईनुद्दीन साहब (सेवानिवृत राजपत्रित अधिकारी), जनाब मुर्शिद साहब (अध्यापक), जनाब कमाल साहब, जनाब मुशर्रफ़ अली साहब ।

–संपादन प्रभाग

आज का इन्सान

आज का इन्सान तो नादान है ! हैवान है !
आने वाले वक़्त के ख़तरों से ये अन्जान है !

कहने को बेशक ज़माना है तरक़्क़ी का जनाब !
औरतों पर जुल्म फिर भी हो रहा है बेहिसाब !

इनके दम से पतझड़ों तक में भी आती है बहार ।
हर क़दम पर फिर भी ये शोषण का होती हैं शिकार ।

करते हैं कुछ लोग पशुसम, निर्दयी ऐसा ग़ज़ब ।
लड़कियों को जन्म लेने ही नहीं देते हैं अब ।

बन गया हो बाप क़ातिल अपनी बेटी का जहां !
क्यों न धिक्कारेंगे उसको ये ज़मीनो-आसमां !

हर तरफ़ लड़के नज़र आएंगे या कि आदमी !
कैसी नीरस दोस्तों हो जाएगी ये ज़िन्दगी ?

'मेरी बहना' कह के तुम किसको पुकारोगे कभी ?
फिर तुम्हारे कौन राखी बांधने को आएगी ?

ज़िन्दगी जीना पड़ेगा सर को धुनने के लिए !
तुम तरस जाओगे ''भैया'' शब्द सुनने के लिए !

अल-ग़रज़[4] साथी बिना कब तक जिएगा आदमी ?
ज़ह्र-ए-तनहाई पिएगा और मरेगा आदमी !

है समय अब भी बचाना हो अगर भारत ''लतीफ़'' !
रोको कन्या भ्रूण की हत्याओं की लानत ''लतीफ़'' !

जानता है औरतों से जन्म मर्दों को मिला !
फिर भी अनदेखी हमेशा उनकी ये करता रहा !

बढ़ रही हैं औरतें हर क्षेत्र में आगे मगर !
मर्द की रहती है उन पर आज भी तिरछी नज़र !

आजकल तो और भी हालात बदतर हो गये ।
ऐसा लगता है कि दिल इन्सां के पत्थर हो गये ।

आज कन्या भ्रूण की हत्याएं करना आम है !
किसको बतलाएं कि इसका क्या बुरा अंजाम है ?

इस घिनौने काम का चलता रहा गर[1] सिलसिला !
तो नज़ारा कैसा होगा आने वाले वक़्त का !

आप देंगे किसको 'जीवन संगिनी' का फिर ख़िताब[2] ?
आग बरसाएगा फिर तो ज़िन्दगी का आफ़ताब[3] !

किसके सर पर हाथ रखकर आप ये देंगे वचन ?
तेरी रक्षा के लिए मैं जान दूंगा बहन ।

''पापा-पापा'' कहने वाली होगी फिर बेटी कहां ?
सूना-सूना क्या नहीं तुमको लगेगा ये जहां ?

ये ज़मीं ये आसमां क़ायम रहेंगे सब मगर !
आ नहीं पाएगा इसमें एक भी मानव नज़र !

डॉ० लतीफ़ अकबराबादी
49, वामकुंज, जे०के० चौराहा निम्बाहेड़ा (राज०)-312601

1. गर=अगर, यदि, 2. ख़िताब=उपाधि, 3. आफ़ताब=सूर्य, 4. अल-ग़रज़=सारांश यह कि ।

हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०)

❖ तालिब हाशमी

(गतांक से आगे)

(5)

सन 3 हिजरी में हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) अपने पति हज़रत अबू तलहा (रज़ि०) के साथ उहुद की जंग में शामिल हुईं। उस जंग में एक छोटी-सी भूल के कारण मुसलमानों की स्थिति बिगड़ गयी और भगदड़-सी मच गयी। हज़रत अबू तलहा (रज़ि०) उन गिने-चुने सहाबियों में से एक थे जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के साथ रहे और आप (सल्ल०) की रक्षा में आगे-आगे रहे। हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि०) के साथ जंग के मैदान में मशक भर-भरकर लातीं और ज़ख़्मियों को पानी पिलाती थीं।

सन 6 हिजरी में जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ख़ैबर की जंग के लिए प्रस्थान किया तो हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) भी कुछ दूसरी सहाबियात (रज़ि०) के साथ इस्लामी सेना के पीछे-पीछे चल पड़ीं। आप (सल्ल०) को जब इसका पता चला तो आप (सल्ल०) ने नाराज़गी का इज़हार करते हुए पूछा : "तुम किसके साथ और किसकी अनुमति से आयी हो ?"

हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) ने जवाब दिया। "हमारे मां-बाप आप पर क़ुरबान ! हम ऊन कातते हैं और उससे अल्लाह की राह में मदद करते हैं। हमारे साथ ज़ख़्मियों के इलाज का सामान मौजूद है। हम लोगों को तीर उठा-उठाकर देते हैं और सत्तू घोल-घोलकर पिलाते हैं।" आप (सल्ल०) ने उनकी बातें सुनकर और उनकी भावनाओं को समझ कर उन्हें जंग के मैदान में रहने की अनुमति दे दी।

ख़ैबर की जंग के बाद जब हज़रत सफ़िया (रज़ि०) आप (सल्ल०) से निकाह करने पर राज़ी हो गयीं तो आप (सल्ल०) ने उन्हें हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) के हवाले किया कि नहला-धुलाकर हज़रत सफ़िया (रज़ि०) को दुल्हन बनाएं। ज्ञात हो कि जंग की परेशानियों ने हज़रत सफ़िया (रज़ि०) को तोड़ कर रख दिया था।

(6)

हुनैन की जंग में भी हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) अपने पति हज़रत अबू तलहा (रज़ि०) के साथ शामिल थीं। जंग के दौरान एक ऐसी स्थिति भी आयी जब मुसलमानों की पंक्तियां दरहम-बरहम हो गयीं। लेकिन आप (सल्ल०) के कुछ जांनिसार अपनी जानों पर खेलकर आप (सल्ल०) की रक्षा कर रहे थे। हज़रत तलहा (रज़ि०) भी उन लोगों में एक थे। हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) भी हाथ में ख़ंजर लिए वहीं खड़ी थीं। लड़ाई का ज़ोर कुछ कम हुआ तो हज़रत तलहा (रज़ि०) ने आप (सल्ल०) को बताया कि "उम्मे सुलैम (रज़ि०) भी ख़ंजर हाथ में लिए यहीं खड़ी हैं।"

आप (सल्ल०) ने मुस्कराते हुए पूछा : "ख़ंजर का क्या करोगी ?"

"ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! कोई मुशरिक नज़दीक आया तो उसका पेट चाक़ कर दूंगी।"

यह सुनकर आप (सल्ल०) मुस्कराने लगे।

सहीह मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) और कुछ अंसारी महिलाओं को जंगों में साथ रखते थे, जो लोगों को पानी पिलातीं और घायलों की मरहम-पट्टी किया करती थीं।

(7)

हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) को आप (सल्ल०) से बहुत लगाव था। आप (सल्ल०) भी उनका बहुत ख़याल रखते थे। रिवायतों में आता है कि आप (सल्ल०) अपनी पत्नियों के अलावा केवल हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) और हज़रत उम्मे हराम (रज़ि०) के घर जाते थे और कभी-कभी दोपहर को वहां आराम भी करते। यदि कभी नमाज़ का समय हो जाता तो आप (सल्ल०) उनके घर पर ही नमाज़ पढ़ लिया करते थे। एक बार आप (सल्ल०) ने उम्मे सुलैम (रज़ि०) के घर पर मशकीज़े से मुंह लगा कर पानी पिया।

'तबक़ात इब्न सअद' में है कि आप (सल्ल०) हज से फ़ारिग़ होने के बाद जब अपने बाल कटवाये तो हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि०) ने अपने पति से कहा कि नाई से आप

(सल्ल॰) के मुबारक बाल को मांग लो । उन्होंने ऐसा ही किया और हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) ने उसे तबर्रूक के तौर पर अपने पास रख लिया ।

आप (सल्ल॰) जब हज को रवाना होने लगे तो उम्मे सुलैम (रज़ि॰) से पूछा : ''तुम हज के लिए न जाओगी ?''

उन्होंने जवाब दिया, ''मेरे पति के पास केवल दो सवारियां थीं । उन दोनों पर वे अपने बेटे के साथ हज को चले गये । मेरे पास अब कोई सवारी नहीं है ।''

आप (सल्ल॰) ने अपनी पाक पत्नियों के साथ उन्हें भी सवार करा दिया और अपने साथ हज को ले गये ।

(8)

हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) का एक बेटा था जिसका नाम अबू उमैर था । वह बड़ा प्यारा-सा बच्चा था । आप (सल्ल॰) जब उनके घर जाते तो उस बच्चे से प्यार-मुहब्बत की बातें किया करते थे । एक दिन जब आप (सल्ल॰) उनके घर गये तो नन्हे अबू उमैर का चेहरा उतरा हुआ था । आप (सल्ल॰) ने उम्मे सुलैम (रज़ि॰) से पूछा, ''क्या बात है ? आज अबू उमैर कुछ सुस्त है ।''

''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! अब उमैर की चिड़िया, जिससे वह खेला करता था, आज मर गयी है । इसीलिए वह दुखी है ।''

आप (सल्ल॰) ने अबू उमैर को अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर मुस्कराते हुए पूछा :

''ऐ अबू उमैर, तेरी चिड़िया ने क्या किया ?''

अबू उमैर जवाब में हंस पड़ा, फिर खेल-कूद में व्यस्त हो गया । कुछ दिनों बाद अबू उमैर बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गयी । अबू तलहा (रज़ि॰) उस समय घर पर मौजूद नहीं थे । हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) ने अपने बेटे की मौत पर जिस तरह धैर्य और संयम का सबूत दिया वह अपनी मिसाल आप है ।

हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) ने चुपचाप बेटे की मैयत को नहलाया, कफ़न पहनाया और फिर एक तरफ़ रख दिया । अपने घर वालों और दूसरे लोगों को मना कर दिया कि अबू तलहा (रज़ि॰) के घर आते ही अबू उमैर की मौत की अलमनाक ख़बर न दें ।

रात को हज़रत अबू तलहा (रज़ि॰) घर आये । उम्मे सुलैम (रज़ि॰) ने उन्हें खाना खिलाया । जब वे इत्मीनान से बिस्तर पर लेटे तो वे उनसे बोलीं :

''यदि कोई चीज़ अमानत के तौर पर दी जाए और फिर वापस ले ली जाए तो क्या उसका वापस लिया जाना तुम्हें नागवार गुज़रेगा ?''

''कदापि नहीं'' अबू तलहा (रज़ि॰) ने जवाब दिया ।

फिर बोलीं, ''तुम्हारा बेटा भी अल्लाह की अमानत थी, जो उसने वापस ले ली । तुम्हें उसकी तरफ़ से सब्र करना चाहिए ।''

अबू तलहा (रज़ि॰) ने ''इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन'' पढ़ा और उनसे कहा, ''तुमने पहले क्यों नहीं बताया ?''

बोलीं, ''ताकि तुम इत्मीनान से खाना आदि खा लो ।''

सुबह उठकर हज़रत अबू तलहा (रज़ि॰) आप (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुए और सारी घटना कह सुनायी ।

आप (सल्ल॰) ने हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) के धैर्य और संयम की बहुत तारीफ़ की और दुआ फ़रमायी कि, ''अल्लाह तआला तुम्हें और उम्मे सुलैम (रज़ि॰) को अबू उमैर का नेमुलबदल अता फ़रमाए ।''

उसके बाद अल्लाह तआला ने हज़रत अबू तलहा (रज़ि॰) और हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) को एक और बेटा अता किया जिसका नाम अब्दुल्लाह रखा गया । उनकी तर्बियत आप (सल्ल॰) की देख-रेख में ही हुई और उन्हीं से हज़रत अबू तलहा (रज़ि॰) की नस्ल चली ।

(9)

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) के घर गये । उन्होंने आप (सल्ल॰) की सेवा में खजूरें और मक्खन पेश किये । आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''मैं रोज़े से हूं ।'' कुछ देर के बाद आप (सल्ल॰) ने नफ़्ल नमाज़ पढ़ी और उम्मे सुलैम (रज़ि॰) के घराने के लिए दुआ मांगी । हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) ने कहा :

''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मुझे अपने बेटे अनस से जो आपका सेवक है, बहुत मुहब्बत है । उसके लिए ख़ासतौर से दुआ कर दीजिए ।''

आप (सल्ल॰) ने हाथ उठा दिया और हज़रत अनस (रज़ि॰) के लिए इस तरह दुआ मांगी ।

''ऐ अल्लाह, उसको माल दे और उसकी आयु में बरकत दे ।''

इस दुआ का प्रभाव यह पड़ा कि हज़रत अनस (रज़ि॰) तमाम अंसारियों में सबसे अधिक मालदार हो गये । उन्होंने लंबी उम्र पायी और उन्हें बहुत-सी औलादें भी हुईं ।

एक बार अबू तलहा (रज़ि॰) ने हज़रत उम्मे सुलैम

(रज़ि॰) से कहा कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के घर कुछ खाना भेज दो । उन्होंने कुछ रोटियां अपने बेटे अनस (रज़ि॰) को दीं और कहा कि इसी वक़्त जाओ और आप (सल्ल॰) को खाना खिलाओ ।

जब अनस (रज़ि॰) रोटी लेकर आप (सल्ल॰) के पास पहुंचे तो वहां कुछ सहाबी भी बैठे थे । आप (सल्ल॰) ने अनस (रज़ि॰) से पूछा कि "अबू तलहा (रज़ि॰) ने तुम्हें भेजा है ?" "जी हां, अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)", फिर पूछा, "खाने के लिए" उन्होंने कहा, "जी हां ।"

फिर आप (सल्ल॰) अपने सभी सहाबियों के साथ हज़रत उम्मे सुलैम के घर आ गये । अबू तलहा (रज़ि॰) को चिंता होने लगी कि खाना इतने आदमियों के लिए काफ़ी न होगा । उन्होंने अपनी चिंता हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) को बतायी । उन्होंने इत्मीनान से कहा, "यह बात अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल॰) बेहतर समझते हैं ।"

फिर जो थोड़ा बहुत खाना मौजूद था आप (सल्ल॰) और उनके सहाबियों के सामने पेश कर दिया । अल्लाह तआला ने उसमें इतनी बरकत दी कि सबने पेट भरकर खाना खाया ।

एक बार एक परेशानहाल आदमी आप (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुआ और आपसे खाना मांगा । आप (सल्ल॰) ने अपनी पाक पत्नियों से यह मालूम किया कि घर में खाने को कुछ है । सभी ओर से यही जवाब मिला कि आज फ़ाक़ा है । फिर आप (सल्ल॰) ने वहां मौजूद सहाबियों की ओर देखते हुए कहा, "कोई है जो अल्लाह के इस बन्दे को अपना मेहमान बनाए ।"

हज़रत अबू तलहा (रज़ि॰) उठ खड़े हुए और कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! इसको मैं अपना मेहमान बनाऊंगा ।" और फिर मेहमान को लेकर अपने घर आ गये और हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) से पूछा : "खाने के लिए कुछ है ?"

"बच्चों के लिए थोड़ा-सा खाना पका है, इसके सिवा ख़ुदा की क़सम, खाने के लिए कुछ भी नहीं है ।"

हज़रत अबू तलहा (रज़ि॰) ने कहा :

"कोई बात नहीं, बच्चों को बहला-फुसला कर सुला दो–वे सो जाएं तो उनका खाना हम मेहमान के सामने रख देंगे । तुम चिराग़ ठीक करने के बहाने उठकर उसे बुझा देना । अंधेरे में मेहमान खाना खा लेंगे और हम भी यूं ही मुंह चलाते रहेंगे ।"

इस तरह मेहमान को खाना खिलाकर दोनों मियां-बीवी और बच्चों ने रात फ़ाक़े से गुज़ार दी ।

सुबह को जब हज़रत अबू तलहा आप (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुए तो आप (सल्ल॰) कुरआन की यह आयत तिलावत कर रहे थे :

"वे लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, यद्यपि उन पर तंगी हो ।" (कुरआन)

फिर आप (सल्ल॰) ने अबू तलहा (रज़ि॰) को कहा : रात को मेहमान के साथ तुम लोगों का बर्ताव अल्लाह तआला को बहुत पसन्द आया ।

(10)

हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि॰) से कुछ हदीसें भी मरवी हैं । उनके रावियों में हज़रत अनस (रज़ि॰), हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि॰), ज़ैद बिन साबित (रज़ि॰) और अम्र बिन आसिम (रज़ि॰) हैं ।

सहीह मुस्लिम है कि एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया :

"मैं जन्नत में गया तो मुझे कुछ आहट मालूम हुई ।" मैंने पूछा, "कौन है ?" तो लोगों ने कहा : "अनस की मां हैं ।" यानी स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उन्हें जन्नत की ख़ुशख़बरी सुना दी थी ।

Niyaz Ahmed
Tel. : 2292062 (S)
M. : 98261-29877

Hosiery Centre

Wholesaler

Readymade & Handloom

B/43 Uttar Gangotri, Supela, Bhilai, Durg (C.G)

निदाए यतीम (Voice of Orphan Boys)

यतीमख़ाना इस्लामिया, गया।

दीनी व असरी उलोम की अपनी तर्ज की मशहूर अकामती (Residential) तालीमगाह



बिरादराने इस्लाम !

अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहु

•आपका यह क़दीम इदारा 92 साल से इल्म की शमा रौशन किय हुए है। आज इसी के तुफ़ैल से इलाक़ा में मुसलमान और हिन्दुओं के स्कूल, पाठशाला, मदरसा और दूर–दूर तक गांव में मकातिब नज़र आ रहे हैं। आज एक छोटी–सी जगह 'चेरकी' के आसपास बएक–वक्त कई बड़े–बड़े इदारे मिल्लत के फ़ायदे के लिए चल रहे हैं। ग़रज एक चिराग़ से बहुत से चिराग़ रौशन हो गये हैं। • यतीमख़ाना अपने तर्ज का वाहिद दीनी व असरी तालीम का संगम होने की बजह कर मशहूर व मुम्ताज है। •अक्टूबर 1917 ई० से ही सही इस्लामी खुतूत पर नयी नरल की तालीम व तर्बियत में मसरूफ़ है। • तारीख क़ियाम : अक्टूबर 1917 ई० • कैफ़ियत क़ियाम : जनाब इनायत खान (रह०) ने इदारा की बुनियाद एक उस्ताद और दो (2) यतीम बच्चे से आठ आने (50 पैसे) माहबार किराये की कोठरी में तीस रूपये (Rs. 30/-) की छोटी–सी रक़म से डाली थी। • कफ़ालत : इस वक़्त इदारा में 125 यतीम तोलबा हैं, जिनका सारा ख़र्च इदारा बरदाश्त करता है। • तालीमी साल अप्रैल या मार्च • तालीम : दर्जा अतफाल ता मैट्रिक (Matric) • शोबा–ए–हिफ़्ज : यहां असरी तालीम के साथ हिफ़्ज़ भी कराया जाता है। • तादाद ज़ेरे तालीम तोलबा व तालिबात तक़रीबन 450 • अल्लामा इकाल • अल्लामा शिबली • डा० अबुल खैर • सैयद मोहम्मद नाजिर हुसैन • सैयद मोहम्मद उमर दराज • ख्वाजा गेयासुद्दीन होस्टल • अपना सारा ख़र्च देकर ग़ैर य़तीम तोलबा और इदारे के यतीम तोलबा रहते हैं। • तादाद असातज़ा व दीगर मुलाज़मीन 28 • सालना ख़र्च 13 लाख रूपये से ज़ायद • ज़रिया आमदनी : मुस्लिम अवाम के चन्दे।

• याद रखें ! हर साल मैट्रिक (Matric) बोर्ड के इम्तिहान में स्कूल का रिज़ल्ट सौ प्रतिशत (100 %) हुआ करता है। • यहां के तोलबा को मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनीवर्सिटी में आलमियत के साल अब्वल और दोम में आसानी से दाख़िला मिला जाता है। • खुशख़बरी : • फ़ासलाती निज़ामे तालीम (Centre for Distance Education) का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (Approved by Aligarh Muslim University, Aligarh) के तहत, यतीमख़ना इस्लामिया, गया (The Gaya Muslim Orphanage) में सी० डी० ई० स्टडी सेन्टर (C.D.E. Study Centre) खुल चुका है। 2009–10 के सेशन में इन्टरमेडिएट दर्जा, ग्यारहवीं (Class XI) और बारहवीं (XII) का फार्म भरा जा रहा है। • कंप्यूटर की भी तालीम शुरू हो चुकी है।

नोट : कुरआरन, अरबी और इस्लामियात की तालीम दर्जा अब्वल ता दर्जा दहुम तक दी जाती है अरबी और अंग्रेज़ी मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान में भी लाज़िमी है।

एक अहम अपील : कफ़ाला स्कीम (Kafala Scheme) के तहत एक यतीम तालिब इल्म पर सालाना ख़र्च (Rs.8,000/-) रूपये का है। आप भी एक यतीम बच्चे का खर्चे उठा कर कारे सवाब में शरीक हों। जिस शक्ल में मुम्किन हो तआवुन फ़रमा कर अल्लाह से अज्रे अजीम हासिल करें। मसलन, • ज़कात, • अतियात, • सदकात, • पैदावार की ज़कात, • चर्म कुर्बानी, • एक यतीम बच्चे का सालाना ख़र्च देकर, • अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम कमरा या हॉल बनवाना वग़ैरह।

नोट : हॉस्टल और स्कूल में यतीम और ग़ैर–यतीम तोलबा का दाख़िला जारी

• नया तालीमी साल माह अप्रैल से शुरू।

इदारा आपसे फ़राख़दिलाना तआवुन की अपील करता है।

चेक व ड्राफ्ट पर केवल यह लिखे : **"THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE"**

M-9955655960 चेक, ड्राफ्ट और मनीऑर्डर भेजने का पता : फोन नं०–0631–2734428

Hon. Secretary. **THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE**

• Cherki Distt. Gaya, 824237 (Bihar) India

• Bank A/C No.: 10581, Union Bank of India (Main Branch, Gaya)

• **CORE BANKING A/C NO. 300402010010581**

(डॉ०) फ़रासत हुसैन (सदर) Email : gmocde@yahoo.com Website : www.gmogaya.com

(डॉ०) मुहम्मद एहतिशाम रसूल (एज़ाज़ी नाज़िम)

पर्यावरण संरक्षण पर इस्लाम की शिक्षाएं और हमारा दायित्व

■ मुहम्मद अली शाह शुएब

जलवायु परिवर्तन से संबंधित इतिहास की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी कांफ्रेंस विभिन्न मरहलों से गुज़रती हुई पिछले दिनों अपनी असफलता पर समाप्त हो गयी । इस कांफ्रेंस के आरंभ होने से पहले दुनिया के लोगों ने बड़ी आशाएं लगा रखी थीं । आरंभिक सत्र में कांफ्रेंस की अध्यक्ष कोनी हेडगार्ड ने कहा भी था कि यह दुनिया के लिए एक बेहतरीन मौक़ा है, अगर हम इससे चूक गये तो ऐसा मौक़ा आने में बरसों लग जाएंगे ।

7 दिसम्बर से 18 दिसम्बर, 12 दिनों तक चलने वाली इस कांफ्रेंस में एक मरहला यह भी आया कि मेज़बान देश डेनमार्क का प्रस्तावित मसौदा लीक होने से वार्ता हंगामे में बदल गयी । क्योंकि इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के फाइनांस का कंट्रोल वर्ल्ड बैंक को दिये जाने का समर्थन किया गया था और क्योटो प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज़ किया गया था । इस मसौदे पर भारत सहित सभी विकासशील और ग़रीब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी । उनका कहना था कि मेज़बान देश ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश कर रहा है और यूरोपीय देशों के प्रति पक्षपात का रवैया अपना रहा है ।

भारत ने अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखा कि वह 2020 ई० तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 20-25 प्रतिशत तक की कटौती करेगा लेकिन इस पर अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी । अंततः अमेरिका और बेसिक देशों (भारत, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीक़ा) के बीच एक बाध्यकारी समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि विकसित देश विकासशील देशों के लिए 2020 तक हर वर्ष सौ अरब डॉलर जुटाने के लिए लक्ष्य तय करेंगे और उभरते राष्ट्र उत्सर्जन में कमी के लिए उठाये गये क़दमों की निगरानी खुद करेंगे तथा संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट देंगे । मसौदे में विकासशील देशों से फ़रवरी 2010 तक उत्सर्जन में कटौती के पैमाने तय करने, बराबरी के आधार पर तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन सीमा का पता लगाने जैसी बातें भी शामिल हैं ।

दुनिया को मुंह दिखाने के लिए अमेरिका और बेसिक देशों (भारत, चीन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीक़ा) के मध्य यह डील हो तो गयी है लेकिन इस डील पर आलोचनाओं का सिलसिला भी चल निकला है । तुवालू के प्रतिनिधियों ने कहा कि धनी देश सहायता का वादा करके ग़रीब देशों को ख़रीदना चाहते हैं । चांदी के टुकड़ों के लिए हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे

क्या है ग्रीन हाउस गैसें : धरती में एक विशेष स्तर पर तापमान को स्थिर रखने के लिए प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था पायी जाती है, सूर्य से धरती को ऊर्जा मिलती है, जिससे धरती गर्म होती है । इस ऊर्जा के एक हिस्से को ज़मीन वापस (Radiate) करती है । वातावरण में मौजूद कुछ गैसें इस ऊर्जा के एक हिस्से को सोख लेती हैं । इन गैसों को ही ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं । कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफलोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड और जलवाष्प आदि कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं ।

ग्लोबल वार्मिंग क्या है ? : वातावरण के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं । 20वीं शताब्दी के आरंभ से अंत तक तापमान में 0.74 से 0.18 तक की वृद्धि हुई है ।

सकते । एक प्रसिद्ध एन॰जी॰ओ॰ 'ग्रीनपीस' ने एक बयान में कहा कि दुनिया के अमीर देशों ने मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा किया है । स्वयं भारत के एक संगठन 'सेन्टर फॉर साइंस एंड टेक्नॉलोजी' ने इस डील को पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी बताते हुए कहा कि इसके सहारे अमीर देश अपना एमिशन बढ़ाएंगे ।

जलवायु परिवर्तन से आने वाली तबाही

यह लोभ, लालच, धन लोलुपता, स्वार्थपरता और अहंकार की चरम सीमा है कि अपने हितों और क्षणिक लाभों की ख़ातिर अमीर देश कायनात को तबाह कर देने पर तुले हुए हैं । इस सम्मेलन के आरंभ होने से पहले भी और आरंभ होने के समय भी विभिन्न एन॰जी॰ओ॰ की ओर से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट पर जो शोध पत्र और रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं उनसे मालूम होता है कि जलवायु परिवर्तन से कितनी भयानक तबाही आने वाली है । संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण समिति ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि यदि जंगल इसी गति से कटते रहे और बर्फ़ इसी रफ़्तार से पिघलती रही तो शायद अगले पचास सालों में दुनिया के कई निचले इलाक़े डूब जाएंगे और यही हालत रही तो सौ सालों में मालदीव, मॉरिशस सहित भारत के मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर भी पानी में डूबकर विलुप्त हो सकते हैं ।

इस कांफ्रेंस के आरंभ में एक फ़िल्म दिखायी गयी जिसमें दिखाया गया था कि आज के लीडर यदि किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहे तो भविष्य में बच्चों को किस क़ियामत का सामना करना पड़ेगा । Save the Children की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन से जो सैलाब और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उनसे करोड़ों बच्चे हर साल प्रभावित होंगे । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के अन्तर्गत होने वाले इस जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं की संख्या भी 200 प्रतिवर्ष से बढ़कर 400 प्रतिवर्ष से भी अधिक हो गयी है और यदि यही हालत रही तो इसमें 320 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी हो सकती है ।

पर्यावरणविदों का कहना है कि 20वीं शताब्दी के दौरान तापमान में पहले ही से 0.74^{0}C की वृद्धि हो चुकी है और इस शताब्दी के अंत तक 1.1 से 6.40 तक की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और फ़सलों की पैदावार में आने वाली कमी की वजह से लाखों लोग या तो घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे या वे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे । पर्यावरणविदों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन से जीव-जन्तु, वनस्पति और बैक्टीरिया की अनेक प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं जो बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं को क़ाबू में रखती हैं । 'स्टेट ऑफ़ फ़ोरेस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार पेड़ों के तेज़ी से कटाव की वजह से लगभग 728 वर्ग कि॰मी॰ जंगल ख़त्म हो चुके हैं और घने जंगलों का प्रतिशत केवल 1.66 रह गया है ।

सारांश यह कि जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है जिससे एक ओर ग्लोबल वार्मिंग, मौसम में बदलाव, वायु एवं जल प्रदूषण जैसे संकट उत्पन्न हो रहे हैं तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती जा रही है और तीसरी ओर जीव-जन्तुओं और पेड़-पौधों की बहुत-सी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं ।

यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अब जबकि तबाही के लक्षण पूरी तरह उभरकर सामने आ गये हैं, तब भी दुनिया के अमीर देश इसकी अनदेखी में लगे हुए हैं और इस समस्या को दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं । ये अमीर देश यदि इसी तरह अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो दुनिया को तबाही से बचाना असंभव है ।

इस्लामी दृष्टिकोण

इस समस्या को सुलझाने के लिए इस्लाम एक बेहतरीन समाधान प्रस्तुत करता है । इस समस्या का मूल कारण और उनका इस्लामी हल निम्नलिखित है–

दुनिया में लागू जो क़ानून व्यवस्था है वह यह शिक्षा देती है कि अधिक से अधिक कमाओ और उसे फ़ुज़ूलख़र्ची में उड़ाओ । इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनियां अधिक से अधिक लाभ कमाने के लालच में विज्ञापनों की भरमार करती हैं ताकि लोगों के अन्दर फ़ुज़ूलख़र्ची का रुझान बढ़े, जिसके नतीजे में लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों से कहीं अधिक ख़र्च करते हैं । यदि घर में एक कार से काम चल सकता है तो उसकी जगह कई-कई कारें रखने की होड़ लगती है और इस होड़ और दुनिया की चमक-दमक में डूबे रहने के शौक़ ने दुनिया को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है ।

इस्लाम की शिक्षा है कि एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ केवल नेकियों और भलाई के कामों में होनी चाहिए न

कि माल कमाकर उसे फ़ुज़ूलख़र्ची करके उड़ाने में । क़ुरआन मजीद में है, "तकासुर (अर्थात एक-दूसरे से अधिक माल हासिल करने की धुन) ने तुम्हें हलाक कर दिया । (क़ुरआन, 102:1)

इस्लाम ने सादा जीवन अपनाने, फ़ुज़ूलख़र्ची न करने, चीज़ों को बरबाद न करने और उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करने की शिक्षा दी है । अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा, "साधारण ढंग से रहना ईमान में से है ।" (हदीस : अबू दाऊद) नबी (सल्ल०) ने यह भी कहा कि मोमिन एक मुसाफ़िर की तरह है जो आराम के लिए थोड़ी देर पेड़ की छाया में ठहरता है फिर चल देता है । क़ुरआन में है कि फ़ुज़ूलख़र्ची न करो । निस्सन्देह फ़ुज़ूलख़र्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं । (17:26,27) और यह कि अल्लाह बिगाड़ को पसन्द नहीं करता ।

(क़ुरआन, 2:205)

एक हदीस में नबी (सल्ल०) ने माल को बरबाद करने, ख़ुद न देने और दूसरों से मांगने से सख़्ती से मना किया है । (हदीस : बुख़ारी) हज़रत अबूबक्र (रज़ि०) ने इस्लामी फ़ौजों के सिपहसालारों को निर्देश देते हुए कहा था कि फलदार पेड़ों को न काटना, किसी आबाद ज़मीन को वीरान न करना, शहद की मक्खियों को न जलाना और उन्हें तितर-बितर न करना । (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक) इसके अतिरिक्त इस्लाम की शिक्षा है कि यदि किसी के पास अधिक संसाधन उपलब्ध हों तो उन्हें ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करना चाहिए । क़ुरआन में है, "आपसे पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें ? कह दीजिए कि जो ज़रूरत से अधिक है (ख़र्च कर दो)।"

(क़ुरआन, 2:219)

पानी को अत्यंत सावधानी से इस्तेमाल करने और उसे गंदा न करने की शिक्षा भी नबी (सल्ल०) ने दी है । (हदीस) एक बार नबी (सल्ल०) के एक साथी सअद (रज़ि०) वुज़ू कर रहे थे । नबी (सल्ल०) ने पानी अधिक ख़र्च करने से मना किया । उन्होंने कहा कि क्या वुज़ू में भी फ़ुज़ूलख़र्ची होती है । नबी (सल्ल०) ने कहा कि हां, चाहे तुम बहती नदी के किनारे ही वुज़ू क्यों न कर रहे हो । (हदीस : मुसनद अहमद)

एक और हदीस में नबी (सल्ल०) ने कहा कि क़ियामत के दिन अल्लाह उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा कि जिसको ज़रूरत से अधिक पानी मिले और वह उस पानी से मुसाफ़िरों को फ़ायदा उठाने से वंचित रखे । (हदीस : मुसनद अहमद) नबी (सल्ल०) ने अतिरिक्त पानी के व्यापार से भी मना किया है । (मुस्लिम)

नबी (सल्ल०) ने पेड़ों को अकारण काटने से मना ही नहीं किया बल्कि पेड़-पौधे अधिक से अधिक उगाने की शिक्षा भी दी । नबी (सल्ल०) ने कहा कि जो व्यक्ति किसी बंजर ज़मीन को हरा-भरा बनाएगा, उसे उसका बदला (पुण्य) मिलेगा । (मुसनद अहमद) इसी के आधार पर नबी (सल्ल०) के बाद पहले ख़लीफ़ा अबूबक्र (रज़ि०) अपने सिपहसालारों को पेड़ काटने और ज़मीन को वीरान करने से सख़्ती से मना करते थे । एक और हदीस में नबी (सल्ल०) ने कहा कि यदि तुम देखो कि क़ियामत आने वाली है और तुम्हारे पास केवल इतना समय है कि तुम एक पौधा लगा सकते हो तो उसको लगा दो ।

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the Society

(Q. Hoda) Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

इस हदीस से जहां व्यक्ति को अन्तिम समय तक सक्रिय रहने की शिक्षा मिलती है, वहीं यह शिक्षा भी मिलती है कि धरती को बचाए रखने और इसे हरा-भरा रखने के लिए इन्सान अन्तिम समय तक जो प्रयास भी कर सकता है उसे करना चाहिए । नबी (सल्ल॰) ने यह भी कहा कि अल्लाह परम सुन्दर है और सुन्दरता को पसन्द करता है ।

इस संबंध में इस्लाम की सबसे सशक्त धारणा यह है कि इस सृष्टि का मालिक एक ईश्वर है और यहां जितने भी संसाधन हैं वे सब उसी की मिल्कियत हैं । इन्सानों को उनका मात्र निगरां या संरक्षक बनाया गया है । (कुरआन, 23:84,85) इन्सानों को यह अधिकार दिया गया है कि वे यथासंभव संसाधनों का इस्तेमाल करें लेकिन उनको बरबाद न करें और न करने दें । (कुरआन, 45:13)

इसी के साथ-साथ इस्लाम सावधान करता है कि प्राकृतिक संसाधनों को बरबाद करने के प्रति जवाबदेही करनी होगी । पवित्र कुरआन में है कि अल्लाह ने इन्सान को जो संसाधन प्रदान कर रखे हैं उनमें से हर चीज़ के बारे में उससे पूछताछ होगी ।
(कुरआन, 6:165)

यह वह मूल अवधारणा है जो दुनिया के संसाधनों को इस्तेमाल करने के मामले में ज़िम्मेदारी का ज़बरदस्त एहसास पैदा करती है और इन्सान बेनकेल के ऊंट जैसा स्वेच्छाचारी नहीं रहता । यही ज़िम्मेदारी का एहसास इन्सान को मजबूर करता है कि वह दुनिया के संसाधनों के इस्तेमाल में सतर्कता बनाए रखे और संतुलन से काम ले ।

इन शिक्षाओं के अतिरिक्त स्वयं अपने को, अपने घर और मुहल्ले को साफ़-सुथरा रखने की शिक्षाएं कुरआन और हदीस में हमको मिलती हैं । अत: हमारी ज़िम्मेदारी है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए और उसे दूषित होने से बचाने के लिए हम इस्लाम की शिक्षाओं का अनुसरण करें ताकि यह धरती स्वच्छ और प्रदूषणरहित बन सके तथा मानव जाति साफ़-सुथरे वातावरण में सांस ले सके ।

हम क्या करें

एक साधारण पीले बल्ब की जगह CFL का प्रयोग करें । इस प्रकार हम साल में लगभग 70 किलो Co_2 वातावरण में जाने से बचा सकते हैं । ● जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं । एक पेड़ अपनी पूरी ज़िन्दगी में लगभग एक टन कार्बन को सोख लेता है । ● कूड़ा करकट कम करें और उचित स्थान पर ही डम्प करें । 10 प्रतिशत कूड़ा कम करने से 540 किलो कार्बन को रोका जा सकता है । ● जितना संभव हो पैदल चलें । गाड़ियों का प्रयोग ज़रूरत भर ही करें, एक लीटर डीज़ल जलने से 2.7 किलो और एक लीटर पेट्रोल जलने से 2.3 किलो और एक लीटर एल॰पी॰जी॰ के जलने से 1.5 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है । ● अपनी गाड़ियों की ट्यूब्स में हवा पूरी भरें इससे पेट्रोल या डीज़ल कम जलता है । ● पानी को गन्दा न करें और न करने दें । ● शादी और त्योहारों के अवसरों पर पटाख़े आदि बिल्कुल न छोड़ें । इस्लाम की शिक्षाओं से भरपूर लाभान्वित हों, उन्हें जीवन में अपनाएं ।

09425164608, 09752189505

UNIQUE COLLECTION

Exclusive Branded Shop

For : Mens, Girls & Kids

Central Bank Road, Durga Chowk, Seoni (M.P.) 480661

जाति : जन्म, कर्म के आधार पर या कुछ और ?

पुस्तक का नाम : भाड़ में जाए जाति जन्मना व कर्मणा
लेखक : डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात
प्रकाश : समयक प्रकाशन
32/3 पश्चिमपुरी, नयी दिल्ली-63
दूरभाष : 65706888, 9810161823
email : budhdharam@bol.net.in
पृष्ठ : 80, मूल्य : 50 रुपये

डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात किसी परिचय के मुहताज नहीं, वे पिछले 40 वर्षों से हिन्दी, अंग्रेज़ी, पंजाबी और संस्कृत भाषाओं में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लिखते आ रहे हैं, डॉ॰ साहब ने बहुत से मुद्दों और समस्याओं के मर्म और मूल की खोज की यह कहा जाए तो ग़लत न होगा कि आपके सारे आलेख शोध प्रधान होते हैं, जिससे स्पष्ट है समाज को नयी जानकारी प्राप्त होती है । ऐसे ही यह पुस्तक ''भाड़ में जाए जाति जन्मना व कर्मणा'' हाल में प्रकाशित हुई है ।

इस पुस्तक में जन्म और कर्म के आधार पर जाति निर्धारण का वस्तुपरक अध्ययन किया गया है और जाति व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है । डॉ॰ अज्ञात ने ''द कास्ट सिस्टम'' पुस्तक का जायज़ा लेते हुए इसके लेखक डॉ॰ शर्मा और उनकी विचारधारा को खुली चुनौती दी है कि वह किसी भी हिन्दू धर्म ग्रंथ से एक शब्द भी ऐसा दिखाएं जो इस बात का प्रतिपादन करता हो कि छूतछात बीमारियों से बचने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी और इसका पालन बीमारियों से बचने के लिए करना चाहिए ।

डॉ॰ अज्ञात लिखते हैं, ''छूतछात वस्तुतः गो-मांस खाने के कारण शुरू की गयी थी । बुद्ध के उपदेशों से जब लोग यज्ञों में निरर्थक पशु हत्या से, पशुबलियों से मुंह मोड़ने लगे तब वे ब्राह्मण पुरोहित को भी तिलांजलि देने लगे । इस पुरोहित का हलवा-पुरी बन्द होने लगा तो उसने 'मरता क्या न करता' के अनुसार उस गाय को पूजना शुरू कर दिया जिसे कल तक वह मधुपर्क और यज्ञ के समय खाया करता था । जिन लोगों ने इस पर भी गो-मांस भक्षण जारी रखा उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया यह बात अनेक स्मृतियों में अंकित है । वेद व्यास स्मृति में कहा गया है कि चर्मकार चमार, भिल्ल, रजक, पुष्कर, नट, विराट, मेद, चांडाल, दाश श्वपच तथा कोलिक नाम की जातियां एवं और भी वे दूसरी जातियां जो गवाशना (गाय का मांस खाती है) वे सब अंत्यज (अछूत) हैं । यदि कोई इनसे बात भी करे तो बाद में स्नान भी करे तब शुद्ध होगा ।'' (पृष्ठ-60)

आलोच्य पुस्तक ज्ञानवर्धक तो है ही सत्य उद्घाटक भी है, जिससे कुछ लोग यह अवश्य कह सकते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, लेकिन पुस्तक के पढ़ने से यह बात प्रतीत नहीं होती कि जान-बूझकर किसी वर्ग या समाज को टार्गेट किया गया हो । ● संपादन प्रभाग

एहतिशाम ख़ान मोबाइल : 09425842976

पब्लिक ट्रैवेल्स

सिवनी से मंडला	प्रातः 7:20
सिवनी से छिंदवाड़ा	प्रातः 7:55
छिंदवाड़ा से बालाघाट	प्रातः10:30
मंडला से सिवनी	दिन 12:50
बालाघाट से सिवनी	सायं 6:00
सिवनी से नैनपुर	सायं 5:40
नैनपुर से सिवनी	दिन 12:20

प्रतिदिन

नोट : शादी व पार्टियों के लिए 33, 40 एवं 50 सीटर बस उपलब्ध है संपर्क करें-

एहतिशाम ख़ान, बस स्टैंड, सिवनी (मध्य प्रदेश)

इस्लाम में ब्याज वर्जित क्यों ?

❖ असलम राशिद
(भिलाई, म०प्र०)

आज आय को बहुत महत्व दिया जाता है । आय बढ़ाने के नये-नये तरीक़े ढूंढ़े जाते हैं, लेकिन आय कैसे आये इस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी नहीं समझा जाता । यही कारण है कि विश्व में यह अत्याचार का सबसे बड़ा हथियार हो गया है, बाक़ी सभी हथियार इसके आगे बौने नज़र आते हैं । इसकी बड़ी वजह, इस आर्थिक हथियार का व्यापक प्रभाव होना है । इसके समक्ष आम लोगों का क्या कहना, एक स्वतंत्र राष्ट्र तक आत्म समर्पण के लिए तैयार रहता है ।

इस दौर में आय एक पवित्र चीज़ समझी जाती है चाहे इसे किसी भी तरह से प्राप्त किया गया हो । ऐसे समय में मेरा यह प्रश्न कि ब्याज वर्जित क्यों है आर्थिक तंत्र से जुड़े लोगों के लिए फ़िज़ूल और बकवास लगे किन्तु उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो समाज में देखते हों कि इसकी आड़ में मानव अधिकार का कैसे हनन हो रहा है । कैसे एक ईंट भट्टे का मज़दूर ब्याज अदा न कर पाने के कारण बंधुआ मज़दूर हो जाता है । कैसे कुछ उधार की रक़म अदा न करने के कारण अपने बच्चे को बेच देता है । कैसे किसान का खेत उसके हाथ से निकल जाता है । कैसे देश का किसान आत्महत्या करता है । कैसे कम उम्र की लड़कियां वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती है । कैसे एक मज़दूर की पूरी मज़दूरी साहूकार लेकर चला जाता है और हमारी न्याय व्यवस्था टकटकी लगाए ये सब देखती रहती है ।

इस्लाम ब्याज को वर्जित करता है । यही एक ऐसा धर्म नहीं है जो ब्याज को वर्जित करता है बल्कि सभी धर्म इसे वर्जित घोषित करते हैं । क्यों वर्जित है इसका सीधा-सा जवाब है कि यह ज़ुल्म है । ज़ुल्म कैसे है इसको जानने के लिए इसकी हक़ीक़त को समझना होगा । इसकी हक़ीक़त को ठीक से नहीं समझने का यह नतीजा हुआ कि इसको जायज़ ठहराने के बहाने ढूंढ़े जाने लगे । अंततः हुआ यह कि इस्लाम को छोड़ सभी व्यवस्था ने ब्याज को अपनी व्यवस्था में अंगीकार कर लिया । कम्युनिस्टों ने पूंजीवादी व्यवस्था में तो खूब कोसा लेकिन खुद अपनी व्यवस्था में इसके दरवाज़े खुले रखे । इसकी हक़ीक़त को नहीं समझने का ही नतीजा है कि मुसलमानों का वो गिरोह, जो अल्लाह की दी गयी नैतिकता को अपनी अक़ल की छन्नी से गुज़रने के बाद स्वीकार करता है वो भी इसके वर्जित होने को समझ से परे तथा आधुनिक जीवन की आवश्यकता के विरुद्ध इसकी हक़ीक़त को न समझने का ही नतीजा है कि ज़्यादातर लोग इसे किराया की ही तरह बुरा नहीं मानते हैं । नतीजा यह होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब किराया जायज़ हो सकता है तो ब्याज क्यों नहीं । अगर ब्याज वर्जित है तो किराया भी वर्जित होना चाहिए । विश्व में ऐसे मत भी पाये जाते हैं जो किराया को ब्याज ही की तरह ग़लत समझते हैं । आधुनिक अर्थशास्त्र में ब्याज को "पूंजी का किराया" कहा गया है ।

अल्लाह ने ब्याज को इसलिए वर्जित किया क्योंकि यह ज़ुल्म है और हर ज़ुल्म को अल्लाह ने वर्जित किया चाहे वह किसी भी शब्द के साथ जुड़ा है । सामान्यतः व्यापार जायज़ चीज़ है लेकिन व्यापार का वो तरीक़ा जिसमें ज़ुल्म पाया जाता हो उसे भी वर्जित किया है । आय के कुछ मद ऐसे हैं जिनके सामान्य स्वरूप जायज़ है लेकिन कुछ विकृत स्वरूप में ज़ुल्म पाया जाता है । लेकिन ब्याज का पूरा का पूरा स्वरूप ही ज़ुल्म की श्रेणी में आता है । अगर हम आय के स्रोत का जायज़ा लें तो वह निम्न प्रकार में से हो सकता है । 1. खेती 2. व्यापार 3. उत्पादन 4. किराया 5. ब्याज 6. कमीशन 7. रायल्टी 8. शिकार 9. उत्खनन 10. टैक्स व रंगदारी 11. ज़कात व फ़ितरा 12. चंदा दान व तोहफ़ा 13. विरासत व हिस्सा 14. भीख 15. चोरी-डकैती व पाकेटमारी 16. जुआ, लाटरी व बीमा 17. पेंशन 18. वेतन या मज़दूरी 19. ग़नीमत 20. पाना गिरी-पड़ी वस्तु का 21. फ़ीस व दक्षिणा 22. रिश्वत 23. चढ़ावा 24. खेल-तमाशा की आमदनी 25. ठेकेदारी 26. गबन 27. बट्टा 28. सुपारी और 29. सट्टा ।

कोई व्यक्ति व्यापार के सामान को थोक भाव से ख़रीदता है तथा चिल्हर भाव में उसे बढ़े हुए दाम में बेच देता है, इसे इस्लाम ज़ुल्म नहीं कहता । एक किसान अपनी उपज को चाहे जिस दाम पर बेचे, इस्लाम इसे ज़ुल्म नहीं कहता । एक व्यक्ति अपने मकान या दुकान के किराये की दर कितनी भी रखे, उसे इस्लाम ज़ुल्म नहीं कहता । एक मज़दूर अपनी मेहनत की जो भी क़ीमत ले इस्लाम को उस पर आपत्ति नहीं है । फिर ब्याज में ऐसी क्या बात है कि उसे इस्लाम हराम समझता है । ब्याज के ज़ुल्म होने को, हर वो आदमी महसूस करता है जो इसके चंगुल में फंसता है । इसके विपरीत ब्याज वसूलने वाला, ब्याज को औचित्यपूर्ण ठहराने में लगा रहता है । कभी वो इसे व्यापार अर्थात विनिमय कहता है, तो कभी इसे पूंजी का किराया । हालांकि, वो यह भी जानता है कि अगर यह व्यापार अथवा किराया होता है तो इसे ब्याज जैसे शब्द से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । एक देहाती भी समझता है कि मकान को उधार पर लेने से किराया अदा करना पड़ता है । रुपये-पैसे के उधार पर ब्याज वसूला जाता है । सभी जानते हैं व्यापार में विनिमय होता है जिसमें लेने और देने की मात्रा निर्धारित कर ली जाती है । इसमें समय के साथ बढ़ने की कोई हक़ीक़त नहीं होती । ये अलग बात है कि व्यापार में भी उधार पाया जाता है । लेने या देने में से कोई एक काम वर्तमान में होता और इनमें से पूरक कार्य बाद के लिए निर्धारित कर दिया जाता है तो इसे हम उधार का व्यापार कहते हैं । लेकिन जब लेने और देने का कार्य, वर्तमान समय में होता है तो इसे नक़द व्यापार कहते हैं ।

ब्याज के लिए उधार का पाया जाना अनिवार्य शर्त है । यही कारण है कि आय के अन्य स्रोत, जिसमें भी उधार पाया जाता है ब्याज से उसकी तुलना कर, जायज़ ठहराने की कोशिश की जाती है जैसे :

"उनका कहना है : "व्यापार भी तो ब्याज के सदृश्य है", जबकि अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया है ।" (क़ुरआन, 2:275)

ब्याज को सही ठहराने के लिए सबसे ज़्यादा जो तर्क दिये जाते हैं वह यह है कि जब एक व्यक्ति किसी माल को कम क़ीमत पर ख़रीद कर अधिक क़ीमत पर बेच सकता है, तो फिर पैसा उधार देकर बदले में ज़्यादा पैसा लेना किस तरह ग़लत है ।

यह सही है कि व्यापार में माल कम क़ीमत पर ख़रीद कर ज़्यादा क़ीमत पर बेचा जाता है । इस बीच का अन्तर मुनाफ़ा होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये मुनाफ़ा ख़रीदने वाला तय नहीं करता । ख़रीदने वाले को तो ये भी पता नहीं होता कि बेचने वाला कम क़ीमत पर ख़रीद कर ज़्यादा में बेच रहा है या फिर इसके विपरीत ज़्यादा क़ीमत में ख़रीदकर कम में बेच रहा है । या फिर इन दोनों से अलग खुद के खेत की उपज या खुद के कारख़ाने का सामान या फिर ज़मीन से निकलने वाला कोई सामान, जंगल से जमा किया गया सामान या फिर शिकार का सामान बेच रहा है । सार यह कि बेचने वाले के लिए व्यापार फ़ायदे या घाटे का सौदा भले ही हो लेकिन हक़ीक़त में बेचने और ख़रीदने वाले के बीच महज़ विनिमय होता है । ख़रीदने और बेचने वाले के बीच जो बात तय होती है वह विनिमय की दर होती है न कि मुनाफ़ा की दर । इसके विपरीत ब्याज में उधार देने तथा उधार लेने वाले के बीच ब्याज मुनाफ़ा की दर तय होती, जिसके कारण समय के साथ-साथ ब्याज बढ़ता जाता है । ब्याज को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए आप जो भी तर्क दे दें लेकिन ब्याज को आप व्यापार किसी भी तरह से साबित नहीं कर सकते ।

"और सत्य में असत्य का घाल-मेल न करो और जानते-बूझते सत्य को छिपाओ मत ।" (क़ुरआन, 2:42)

ब्याज़ के औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए दूसरा सबसे बड़ा तर्क जो दिया जाता है वह यह है कि जब ज़मीन, घर, कुर्सी-टेबल उधार में देकर, किराया वसूलने में, जब कोई बुराई नहीं है तो पैसे उधार देकर ब्याज कमाने को ज़ुल्म कैसे कहा जा सकता है । समय के साथ एक निश्चित दर से ब्याज का बढ़ना अन्यायपूर्ण है तो किराया भी तो समय

के साथ एक निश्चित दर से बढ़ता है ।

यह सही है कि किराये और ब्याज में काफ़ी समानता पायी जाती है लेकिन फिर भी दोनों एक नहीं है । अगर एक होता तो दो अलग-अलग शब्द नहीं होते और न ही ब्याज के गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र होता :

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

अगर ब्याज और किराया एक ही होता तो अल्लाह भी ब्याज को किराये की तरह हलाल ही रखता, लेकिन ऐसा है नहीं । जिस दिन हम इस फ़र्क़ को समझ लेंगे उसी दिन हमें यह एहसास हो जाएगा कि ब्याज कितना बड़ा ज़ुल्म है । इस ज़ुल्म से हमें कैसे बचना चाहिए । इस ज़ुल्म को ढाने वाले के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए और मज़लूम के साथ किस हद तक हमदर्दी होनी चाहिए ।

''ऐ लोगो ! जो ईमान लाए हो, ख़ुदा से डरो और जो सूद लोगों पर बाक़ी रह गया है, उसे छोड़ दो, अगर वाक़यी तुम ईमान लाए हो । लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आगाह हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग है । अब भी तौबा कर लो तो अपना मूल धन लेने के हक़दार हो । न तुम ज़ुल्म करो और न तुम पर ज़ुल्म किया जाए ।'' (कुरआन, 2:278-279)

ब्याज और किराया को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि इसमें उपयोग होने वाले, उपयोगी सामान के विभेद को समझ लें । जब आप मकान किराया पर लेते हैं तो इसके किराया को ब्याज क्यों नहीं कहते । उसी प्रकार जब एक किसान, दुकानदार से एक बोरा गेहूं के उधार के बदले, फसल कटने पर डेढ़ बोरा गेहूं लौटाता है तो इस अतिरिक्त आधा बोरा गेहूं को ब्याज क्यों कहते हैं । इसे किराया क्यों नहीं कहते, आइये इसी फ़र्क़ को समझते हैं ।

हम जितने तरह के भी सामान प्रयोग में लाते हैं उसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(क) एक वह सामान, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए, उस सामान का अस्तित्व का समाप्त होना अनिवार्य होता है । जिसे हम उपभोग वस्तु कहते हैं, जिसे फ़िक़्ह में इस्तहलाक कहा जाता हैं । जैसे :

1. गेहूं, जौ, खजूर, नमक, आटा, चावल, अनाज तथा हर खाने का सामान ।

2. जलाने की लकड़ी, पेट्रोल, डीज़ल, साबुन आदि ।

3. मुद्रा (सोना-चांदी अथवा काग़ज़ी) ।

4. सोना-चांदी, और

5. हर वो कच्चा माल जो उत्पादन में काम आता हो ।

(ख) दूसरा वह सामान जिससे फ़ायदा उठाने के लिए उस सामान का अस्तित्व बाक़ी रहना आवश्यक है । इस तरह के सामान का उपयोग (USE) करते हैं । इसलिए इसे उपयोग सामान कहते हैं ।

1. ज़मीन, 2. मकान, 3. कुर्सी-टेबल, 4. बर्तन तथा ज़ेवर (सोना तथा चांदी का भी) और 5. उत्पादन कार्य में काम आने वाली मशीन इत्यादि ।

वास्तव में किराया और ब्याज का फ़र्क़ सिर्फ़ सामान के फ़र्क़ के कारण है । जब हम उपयोग में आने वाली वस्तु को उधार पर देते हैं और उसके बदले में जो प्रतिफल की वस्तु मिलती है उसे किराया कहते हैं । इस तरह की वस्तु के साथ निम्नलिखित बातें जुड़ी होती है ।

1. इसे उधार लेने वाले व्यक्ति को उपयोग करने के लिए नष्ट नहीं करना पड़ता । यह सामान सिर्फ़ घिसता तथा पुराना पड़ता है ।

2. इस तरह के सामान को उपयोग करने वाला, हमेशा उपलब्ध पाता है ।

3. इसे समय के साथ बार-बार उपयोग में ला सकता है ।

4. जब इसे लौटाना होता है तो यह सामान सदैव उपलब्ध रहता है ।

5. उधार का वही सामान लौटाया जाता है जिसे उपयोग के लिए उधार लिया गया होता है ।

वहीं दूसरी ओर, उपभोग के सामान को जब उधार पर दिया जाता है और उसके प्रतिफल के तौर पर जो राशि वसूली जाती है उसे ब्याज कहते हैं । इसके साथ भी निम्नलिखित बातें जुड़ी होती है जो कि उपयोग में लाने वाले सामान के ठीक विपरीत होती है ।

1. इस तरह के सामान का उपभोग करते ही अपना अस्तित्व खो देता है ।

2. इसे एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है ।

3. अगर उपभोग कर लिया गया हो तो लौटाते समय यह उपलब्ध नहीं होता ।

4. अगर उपभोग कर लिया गया हो तो लौटाने के लिए सामान को फिर से अर्जित करना पड़ता है ।

5. अगर उपभोग कर लिया गया हो तो जब उधार लौटाया जाता है तो वह सामान उपलब्ध नहीं होता जिसे उसने उधार में लिया था ।

दो घटनाएं

आपने एक मकान किराये से लिया और कई महीने तक अपनी ग़रीबी के कारण किराया अदा नहीं किया तो तंग आकर मकान मालिक ने घर ख़ाली करने के लिए कहा । आपने घर ख़ाली कर दिया बाक़ी रहा वो किराया, जो आपने अदा नहीं किया । वो भी अब स्थिर है ।

अब दूसरी घटना को देखिए । आपने 100 किलोग्राम अनाज 10 किलोग्राम प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त आमदनी पर उधार लिया । इस अनाज को या तो आपने खा लिया या फिर खेत में बो दिया । तीन महीने तक न तो आपने 100 किलोग्राम का मूल अनाज लौटाया और न ही 10 किलोग्राम प्रतिमाह की दर से 30 किलोग्राम अनाज लौटाया । तंग आकर उधार देने वाले ने मूल अनाज के वापसी की मांग की । आपके पास लौटाने के लिए अनाज नहीं है क्योंकि आप उसको या तो खाकर नष्ट कर चुके हैं या फिर खेत में बो कर, अब आप मजबूर हैं । जब तक आप उसे अर्जित नहीं कर लेते तब तक आप लौटा नहीं पाएंगे । जब तक लौटा नहीं पाएंगे तब तक 10 किलोग्राम प्रतिमाह की दर से अनाज बढ़ता जाएगा । हालांकि उसे आपने एक ही बार इस्तेमाल किया है ।

ज़ाहिर है कि जिसका प्रयोग एक बार किया गया हो और प्रतिफल बार-बार लिया जा रहा हो तो उसे जुल्म ही कहेंगे । इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्याज को जायज़ ठहराने का कोई नैतिक आधार दुनिया में नहीं पाया जाता है । ये अलग बात है कि महज़ रज़ामंदी और समझौता के आधार पर जायज़ समझा जाता है । इसी रज़ामंदी और समझौते को मानकर ग़ैर-इस्लामी व्यवस्था की अदालतें ज़ालिम साहूकार के पक्ष में फ़ैसला सुनाती रहती है और शोषित मज़लूम ऋणी, उस न्यायपूर्ण व्यवस्था के इन्तिज़ार में अंतिम सांस ले रहा होता है, जो उसे इस लानत से निजात दिला सके ।

सत्य धर्म की पहचान में एक पहचान यह भी है कि सत्य धर्म किसी तरह के जुल्म को जायज़ नहीं करता है । हर समझौते व रज़ामंदी को न्याय का पाबंद बनाता है । जुल्म और न्याय के लिए नैतिक आधार प्रस्तुत करता है । भलाई को उभारता और बुराई को दबाता है ।

क्या व्यापारिक ऋण पर ब्याज लिया जाना मुनासिब है, क्योंकि इस ऋण से ऋणी व्यवसाय कर मुनाफ़ा कमाता है । इस तरह का ब्याज, एक प्रकार से व्यावसायिक लाभ का अंश होता है ।

व्यावसायिक ऋण को जब अपने व्यवसाय में घाटा होता है तब भी उसे ऋण का ब्याज अदा करना पड़ता है । ज़ाहिर है जब मुनाफ़ा हुआ ही नहीं तो मुनाफ़ा का अंश कैसा ? मुनाफ़ा के अंश होने की बात तब स्वीकार्य हो

प्रो॰ मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा

9826809922
9826689853

पापुलर ट्रेवल्स

लग्जरी बस सेवा 2/2 (स्लीपर) के लिए सम्पर्क करें ।

अम्बिकापुर से बिलासपुर	रात्रि	23:20
अम्बिकापुर से रायपुर	प्रात:	03:00
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:30
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:25
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:30
मननगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	19:10
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	05:00
अम्बिकापुर से चीरमीरी	प्रात:	06:30
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	16:10
रायगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:40

राम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

सकती थी जब इसे सिर्फ़ मुनाफ़ा होने पर लिया जाता है और घाटा होने पर नहीं लिया जाता । क्या ब्याज के समझौते में ऐसी कोई शर्त शामिल होती है ? निश्चित ही नहीं होती । व्यावसायिक ऋण की अस्ल हक़ीक़त यह होती है कि क़र्ज़ देने वाले को इससे कोई मतलब नहीं होता कि क़र्ज़ लेने वाले को मुनाफ़ा हो रहा है या घाटा । न ही उसे इस बात से मतलब होता है कि मुनाफ़ा किस अनुपात में हो रहा है । उसे सिर्फ़ इस बात से मतलब होता है कि उसे उस निर्धारित दर से ब्याज मिलता रहे जो समझौते में निर्धारित की गयी है । सूदी क़र्ज़ के समझौते में व्यावसायिक और ग़ैर-व्यावसायिक के बीच कोई फ़र्क़ नहीं होता । अगर विश्व के साहूकार सिर्फ़ इसके लिए तैयार हो जाते कि घाटा होने पर, न तो हम ब्याज की गणना करेंगे और न ही ब्याज लेंगे तो निश्चित ही विश्व को मंदीचक्र से दोचार नहीं होना पड़ता । ब्याज को, इसके गणना के सूत्र से भी अच्छी तरह समझा जा सकता है । जैसा कि सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र इस प्रकार है ।

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{समय} \times \text{दर}}{100}$$

ब्याज के लिए तीन अनिवार्य शर्त है जो इस सूत्र में दिये गये हैं । इनमें से कोई एक भी नहीं होगा अथवा उसका मान शून्य होगा तो वह ब्याज नहीं कहलाएगा ।

1. मूलधन : मूलधन से तात्पर्य ऐसे सामान की वह मात्रा जिसको प्रयोग में लाने से अपना वजूद खो देता है । इस सूची में वह सामान शामिल नहीं है जिस पर किराया लगता है ।

2. समय : समय से तात्पर्य उधार की अवधि है । अगर नक़द लेन-देन हो रहा है तब ब्याज नहीं हो सकता क्योंकि उस स्थिति में समय की अवधि शून्य होगी अर्थात ब्याज का गणनात्मक मान शून्य होगा ।

''अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया, ''ब्याज उधार में है ।''

3. दर : दर से तात्पर्य वह घनात्मक राशि जो किसी निश्चित अवधि तथा निश्चित प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती है । यह राशि, मूलधन की भी वस्तु अथवा उससे अलग वस्तु चाहे वह उपभोग वस्तु हो अथवा उपयोग वस्तु दोनों या दोनों में से कोई एक हो सकती है ।

जैसा कि सूत्र के अनुसार ब्याज के लिए मूलधन समय तथा दर का पाया जाना अनिवार्य है । अर्थात इनमें से कोई एक भी नहीं पाया जाएगा तो ब्याज नहीं होगा । मान लीजिये कोई व्यक्ति सौ रुपये के नोट को एक-एक रुपये के 110 सिक्के से हाथों-हाथ बदलता है तब इसे क्या कहेंगे ? इस लेन-देन में जो दर है वह 10 प्रतिशत है लेकिन समय शून्य है । ज़ाहिर है इसे आप ब्याज के सूत्र में रखेंगे तो वह मान इस प्रकार होगा ।

$$\text{ब्याज} = \frac{100(\text{मूलधन}) \times 10(\text{दर}) \times 0(\text{समय})}{100}$$

ब्याज = 0 (शून्य)

हालांकि ब्याज की गणना शून्य आती है, जबकि 10 रुपये का अतिरिक्त लेन-देन हुआ है । इस लेन-देन के लिए जो सूत्र लगेगा वह इस प्रकार है :

$$\text{ब्याज} = \frac{100(\text{मूलधन}) \times 10(\text{दर})}{100}$$

इस अतिरिक्त 10 रुपये को ब्याज नहीं कह सकते हैं । इसके लिए दूसरा शब्द 'बट्टा' है । यह ब्याज न होकर एक प्रकार का व्यापार अर्थात विनिमय है । हालांकि यह विनिमय, विनिमय के सामान्य प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है । सामान्यत: विनिमय दो अलग तरह की वस्तु के बीच होता है । यह लेन-देन ब्याज से मिलता-जुलता प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी ब्याज नहीं है, क्योंकि इसमें ब्याज की भयानकता नहीं है । ब्याज के अन्दर भयानकता इसलिए आती है क्योंकि एक उपभोग वस्तु का उपभोग कर लेने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है । उसे लौटाने के लिए फिर से अर्जित करना होता है । यहां पर लेन-देन हाथों-हाथ हो जा रहा है । लौटाने की कोई ज़िम्मेदारी यहां पर बची नहीं रहती । हालांकि लोग यह कह सकते हैं कि जब 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से एक वर्ष बाद दिया जाने वाली 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि जब ब्याज हो सकती है तो हाथों-हाथ वसूला जाने वाला 'बट्टा' ब्याज क्योंकर नहीं हो सकता, जो सही नहीं है । अगर गंभीरता से विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि व्यापार का विकृत से विकृत रूप भी ब्याज की भयानकता के निकट नहीं पहुंच सकता । यही कारण है कि ब्याज के सम्पूर्ण स्वरूप को इस्लाम ने वर्जित किया है जिसमें ज़ुल्म पाया जाता है । यही कारण है कि विनिमय में जब भिन्न-भिन्न सामान के बीच किसी भी अनुपात में विनिमय किया जाता है तो इस पर इस्लाम को

कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन हमजिंस (एक समान) सामान के बीच समान अनुपात में विनिमय न कर, किसी दर पर, भिन्न अनुपात में विनिमय करने को नाजायज़ क़रार देता है । इस विनिमय को रिबाबिल फ़ज़्ल कहता है, जिसे हम व्यवहार में बट्टा कहते हैं ।

अब ब्याज के सूत्र में वर्णित एक अनिवार्य शर्त 'दर' को लेते हैं । अगर यह 'दर' शून्य हो तथा समय का कोई मान पाया जाता हो तब भी ब्याज शून्य होगा । मान लीजिए कि 500 रुपये किसी मूलधन पर 4 साल के लिए उधार दिया गया हो जिसकी दर 0 (शून्य) प्रतिशत वार्षिक हो तो गणना इस प्रकार होगी ।

$$\text{ब्याज} = \frac{500(\text{मूलधन}) \times 4(\text{वर्ष}) \times 0(\text{दर})}{100}$$

ब्याज = 0 (शून्य) होगा

अर्थात इस तरह के क़र्ज़ को बिना ब्याज का क़र्ज़ कहेंगे ।

एक और स्थिति पर विचार करें जिसमें एक व्यावसायी, एक निवेशक से एक राशि लेता है और मुनाफ़ा होने पर लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट देता है । लेकिन हानि होने पर लाभ नहीं देता और न ही हानि में हिस्सेदार बनता है । निवेशक को इस स्थिति में भी मिलने वाली लाभ की राशि को ब्याज नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्याज वह होता है जो कि मूलधन से एक निश्चित दर से वसूला जाता है और यह ब्याज व्यावयासी से हानि होने पर भी वसूला जाता है ।

इस समझौते को एक ऐसे हिस्सेदारी का व्यवसाय कहा जाएगा जिसमें निवेशक (जो प्रबंधन से अलग है) हानि में हिस्सेदारी नहीं हो और केवल लाभ में हिस्सेदारी हो । हालांकि इस समझौते में निवेशक व्यावसायी से जोख़िम रहित हिस्सेदार होता है । फिर भी इस समझौते को ब्याज का समझौता नहीं कह सकते क्योंकि 'जोखिम' ब्याज की अनिवार्य शर्त में नहीं है ।

वर्तमान समय में इस तरह के समझौते जिसमें खुद के पैसे से व्यवसाय करने वाला व्यावसायी लाभ व हानि की ज़िम्मेदारी लेते हुए किसी निवेशक की राशि स्वीकार्य करता हो (जो कि व्यावसायी के प्रबंधन से अलग रहता हो) और उन्हें केवल लाभ में हिस्सेदार बनाता हो । साथ ही केवल लाभ लेने वाले तथा लाभ व हानि दोनों लेने वाले के बीच एक अनुपात दो (1:2) का बंटवारा होता है । ऐसा समझौता ब्याज पर आधारित तंत्र को ख़त्म करने में कारगर हो सकता है ।

हालांकि एक अन्य मामले में जिसमें व्यवसाय करने वाले की कोई पूंजी न हो उसकी केवल मेहनत हो तथा निवेश करने वाले की पूरी पूंजी हो और वह सिर्फ़ लाभ का हिस्सेदार हो तो उसे ग़लत ही कहा जाएगा । क्योंकि यह उस व्यवसाय करने वाले के साथ जुल्म है जिसकी मेहनत हानि होने पर बरबाद हुई लेकिन फिर भी पूंजी की देनदारी बाक़ी हो जिसकी सिर्फ़ पूंजी लगी हो, हानि होने पर, उसकी भरपायी भी उस मेहनत करने वाले व्यावसायी से करे जिसके पास अपनी कोई पूंजी नहीं है । इस तरह के समझौते में जुल्म पाये जाने के बावजूद यह ब्याज की श्रेणी में नहीं आता । क्योंकि हानि होने पर किसी तरह की लाभ की राशि

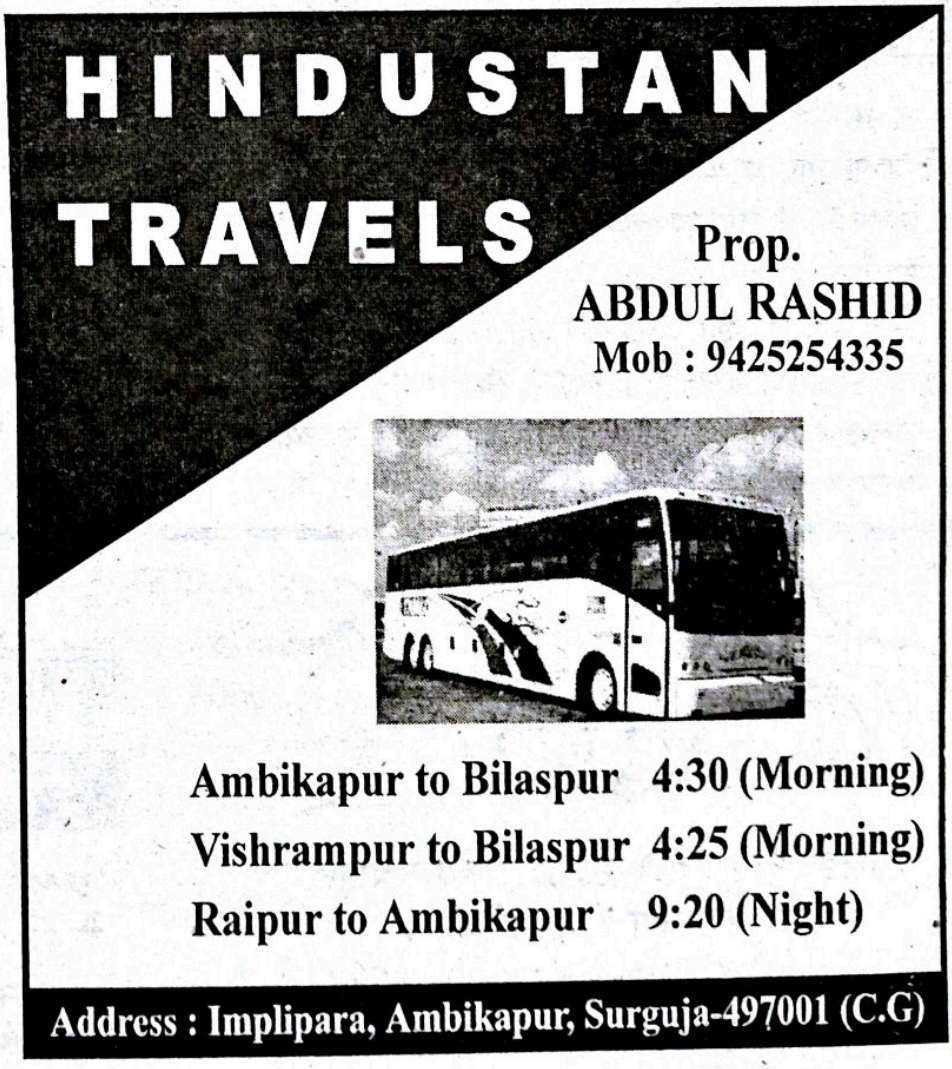

पूंजी लगाने वाले को नहीं दी जाती । अधिक से अधिक मूलधन लौटाया जाता है ।

मूलधन

अब ब्याज के अंतिम अनिवार्य शर्त मूलधन को लेते हैं । इस मूलधन की भी अपनी अलग तरह की प्रकृति है । हर तरह के माल पर ब्याज नहीं लगता ।

हर वो सामान, जिसकी प्रकृति इस तरह की हो कि उसे प्रयोग में लाने पर अपना अस्तित्व खो देता है तथा लौटाने के लिए फिर से अर्जित करना पड़ता है ब्याज का मूलधन हो सकता है । यह तीन तरह की वस्तु हो सकती है ।

1. उपभोग का सामान : इस तरह के सामान का उपभोग उसके अस्तित्व की समाप्ति का पूरक है । इसके अस्तित्व को बाक़ी रखते हुए इसका उपभोग नहीं किया जा सकता । जब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो इसे लौटाने के लिए फिर अर्जित करना पड़ता है ।

2. मुद्रा : मुद्रा अपने आप में उपभोग की वस्तु नहीं होती इससे फ़ायदा उठाने के लिए इसका विनिमय करना पड़ता है । विनिमय के साथ अपना अस्तित्व खो देता है और लौटाने के लिए फिर से अर्जित करना पड़ता है ।

3. कच्चा माल : किसी सामान के उत्पादन में काम आने वाला सारा कच्चा माल इस श्रेणी में आता है ।

सबसे पहले उपभोग के सामान को ब्याज के सूत्र पर बैठाकर देखें :

मान लीजिये 700 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम प्रतिमाह की दर से आठ महीने के लिए उधार लिया जाता है तो उधार की अवधि पूरी होने पर ब्याज इस प्रकार होगा :

$$\text{ब्याज} = \frac{700(\text{मूलधन}) \times 10(\text{दर}) \times 8(\text{समय})}{100}$$

अर्थात ब्याज = 560 किलोग्राम

यहां पर दर के रूप में मूलधन की ही वस्तु का होना आवश्यक नहीं है । गेहूं के बदले दूसरा अनाज अथवा मुद्रा भी हो सकती है । उसी प्रकार मूलधन के रूप में दिये जाने वाली मुद्रा का ब्याज मुद्रा के रूप में या मुद्रा के अलावा कोई अन्य सामान, चाहे वह उपभोग वस्तु हो या फिर उपयोग वस्तु, ब्याज की वस्तु हो सकती है । ब्याज के रूप में श्रम भी हो सकता है जैसा कि बंधुआ मज़दूर के साथ होता है । अगर आप इस सूत्र में मूलधन की वस्तु के रूप में उपभोग के बजाय उपयोग वस्तु अर्थात मकान, कुर्सी, टेबल इत्यादि को रखकर गणना करेंगे तो वह ब्याज न होकर किराया होगा ।

एक विसंगति : एक व्यक्ति अपने रोज़गार के लिए एक मोटर ट्रक ख़रीदना चाहता है । बैंक उसे ट्रक ख़रीदकर देती है और उसकी क़ीमत को मूलधन मानते हुए निर्धारित दर से ब्याज वसूलती है । साथ ही उस ट्रक पर मालिकाना हक़, बैंक अपने पास रखती है ।

सोचने की बात यह है कि अगर ट्रक का मालिक बैंक है तो उसे ट्रक का किराया लेना चाहिए । उसकी क़ीमत पर ब्याज लेने का अधिकार किस तरह हो सकता है । जब ट्रक का मालिक खुद बैंक है तब मूलधन की वापसी का प्रश्न कहां रह जाता है । बैंक को तो सिर्फ़ ट्रक का किराया लेने का अधिकार बनता है और अगर उपयोग करने वाला किराया न दे तो ट्रक को अपने क़ब्ज़े में लेने का हक़ रहना चाहिए न की उसकी क़ीमत और ब्याज ।

मारूफ़
शू पैलेस
जी०ई० रोड, बस स्टैंड, बी०एम०वाई०
चरौदा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788-6534786

मक़सूद भाई मोबाइल : 9406090786
एस०के० इंटरप्राइजेज
होल सेल शू मर्चेन्ट
अलंकार कम्पलेक्स के निकट
कैम्प-2, भिलाई, (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788 6535786

कर्नाटक हाईकोर्ट के सम्मान्य जजों को पवित्र क़ुरआन की प्रतियां दी गयीं

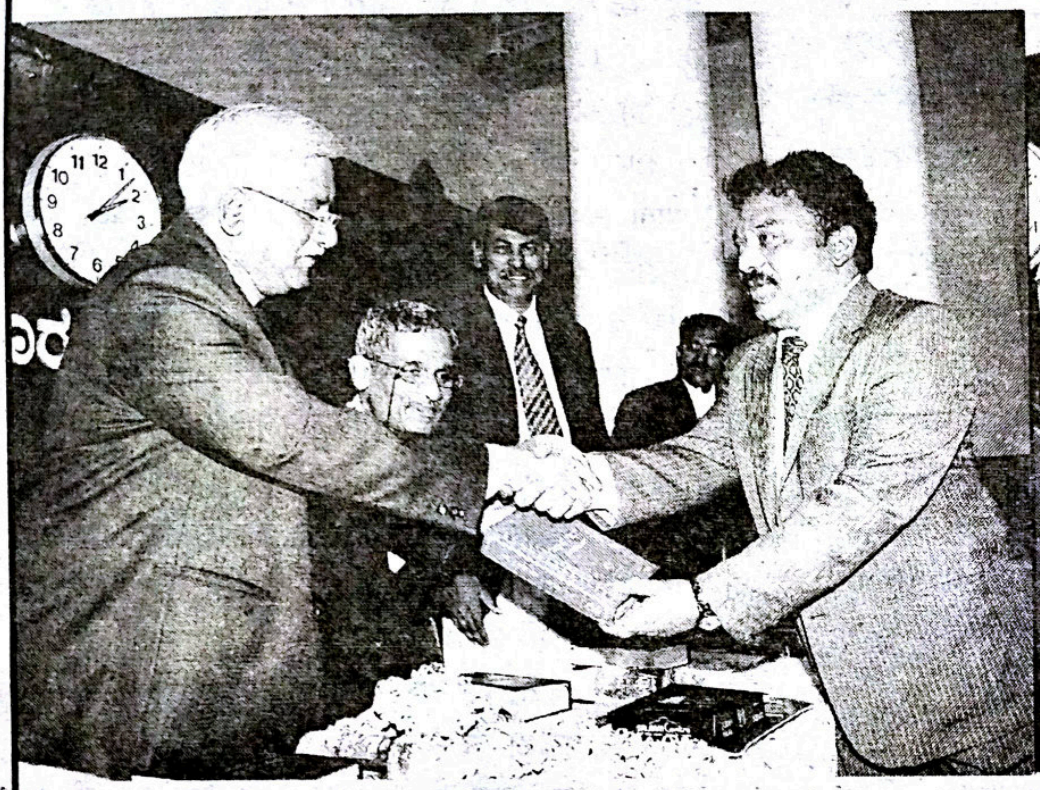



सलाम सेन्टर, बेंगलुरू के तत्वावधान में पिछले दिनों आयोजित पवित्र क़ुरआन वितरण समारोह कई दृष्टियों से यादगार और उल्लेखनीय है । इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में कर्नाटक हाईकोर्ट के 38 सम्मान्य जजों में से 28 ने भाग लिया । इसमें 1450 अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही । इस अवसर पर आदरणीय जजों को सलाम सेन्टर के चेयरमैन जनाब सैयद हामिद मुहसिन ने पवित्र क़ुरआन के कन्नड़ अनुवाद की प्रतियां पेश कीं । सम्मान्य जजों और अन्य वक्ताओं ने इस कार्यक्रम की बड़ी सराहना की और इसे ऐतिहासिक क़रार दिया । वक्ताओं का कहना था कि इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित ही देश की शान्ति, सलामती और सहिष्णुता को बढ़ाते हैं । वर्तमान में जो स्थिति पायी जाती है और इस समय जो समस्याएं हैं, इसे देखते हुए किसी बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए यह मानना कठिन है कि आज का इन्सान किसी बौद्धिक आधार पर इस्लाम से विमुख हो सकता है और उसके पेश किये जीवन-व्यवस्था से उदासीन हो सकता है । आज की सदी में भी मानवता उन तमाम दोषों में पड़ी हुई है, जिनकी यह असभ्यता-काल में शिकार थी । तरक़्क़ी और रोशनख़्याली के इस युग में भी मानवता नस्ली विद्वेष की अति घिनौनी स्थिति का सामना कर रही है ।

मुद्दत हुई कि जब इस्लाम ने आकर मानवता को तमाम नस्ली तंगनज़रियों और संकीर्णताओं से मुक्त किया था, आज भी केवल इस्लाम ही संसार को घृणा की इस दलदल से निकाल सकता है, क्योंकि इस्लाम इन्सानी बराबरी का एक सुन्दर चित्र ही प्रस्तुत करके नहीं रह जाता, बल्कि व्यवहार-जगत में भी वह ऐसी पूर्ण समता स्थापित करके दिखा चुका है, जिसका विश्व-इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता । इस्लाम के इस आदर्श युग में किसी काले को गोरे पर रंग या नस्ल के आधार पर कोई प्रमुखता प्राप्त न थी । उसके यहां प्रमुखता और श्रेष्ठता का एक मात्र आधार इन्सान की नेकी और उसका सदाचरण था । अतएव इस्लाम ने गुलामों को गुलामी की लानत ही से निजात नहीं दिलायी, बल्कि उन्हें तरक़्क़ी और ख़ुशहाली की व्यापक संभावनाओं की सूचना भी दी, यहां तक कि गुलामों के लिए राष्ट्राध्यक्ष के पद पर आसीन होने के अधिकार को भी स्वीकार किया ।

–संपादन प्रभाग

प्रतिबद्धता

वह क्वालिफाइड पैथालोजिस्ट है । शहर की सबसे बड़ी पैथॉलोजी लैब में काम करता था, उसकी मेहनत, लगन, पेशे के प्रति प्रतिबद्धता दूसरों के लिए आदर्श रही है ।

लैब के मालिक ने कई बार अपना असंतोष व्यक्त करते हुए उससे कहा–''ब्लड शुगर के जितने सैम्पल तुम टेस्ट करते हो उनमें से अधिकांश में तुम ब्लड शुगर नार्मल लिमिट के अन्दर बताते हो । ऐसे तो हमारा ही धंधा चौपट नहीं होगा, बल्कि जो डॉक्टर उन मरीज़ों को हमारे पास भेजते हैं उनका काम भी मंदा हो जाएगा । रिपोर्ट में यदि हम थोड़ी बहुत नार्मल से अधिक शुगर दिखा देंगे तो वह मरीज़ डॉक्टर का ही नहीं हमारा भी परमानेंट ग्राहक बना रहेगा । ब्लड शुगर के वहम में वह बार-बार टेस्ट करवाता रहेगा ।''

मालिक ने उसे सहमत करने के लिए यह भी समझाया कि हमारी ऐसी रिपोर्ट को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मरीज़ का ब्लड, शुगर तो घटता-बढ़ता ही रहता है । इसलिए इसमें कोई ख़तरा भी नहीं है ।

मगर अपने पेशे के प्रति गद्दारी और मरीज़ों के विश्वास के साथ विश्वासघात करने को वह राज़ी नहीं हुआ । परिणामस्वरूप गत सप्ताह उसे नौकरी से निकाल दिया गया । इतना ही नहीं शहर के अन्य हर एक पैथॉलोजी लैब को उसके विरुद्ध अनर्गल आरोपों का दोषारोपण करके उसके लिए अन्य सभी दरवाज़े भी बन्द कर दिये गये ।

आज वह खिन्न मन जा रहा है, अपना शहर छोड़कर कहीं और भाग्य आज़माने ।

अपने

कब सोचा था कि भाग्य ऐसा खेल भी खेलेगा ? जीवन रोज़ी-रोटी की भागमभाग में, परिवार के पालन-पोषण में, दिन-रात की ऊहापोह, कशमकश, संघर्ष में न जाने कब बीत गया, पता ही नहीं चला, सोचा था सेवानिवृत्ति के बाद फ़ुरसत का आनन्द लेंगे । ज़िन्दगी के बचे-खुचे दिन आराम से बिताएंगे, पर इन्सान का सोचा, चाहा भला कितना पूरा हुआ है ?

अचानक ही तकलीफ़ हुई । बताया गया कि गुर्दों ने काम करना बन्द कर दिया है । कम से कम एक गुर्दे का प्रत्यारोपण अविलंब करवाना ही होगा और कोई विकल्प नहीं । जीवन नरक हो गया । परिवार में खुसपुस शुरू हुई । गुर्दा आये कहां से ?

बड़े बेटे के ख़ून ने ज़ोर मारा । संभव है लोकलाज का भय रहा हो । उसने अपना एक गुर्दा देने की बात मुंह से निकाली ही थी कि बहूरानी ने रो-रोकर बुरा हाल कर लिया । अपनी और बच्चों की क़समें दे डालीं । मायके से अपने माता-पिता को बुलवा लिया । बड़ा बेटा मजबूर हो गया । मझली बहू ने तो दोटूक बात कही कि जब बड़े भाई साहब नहीं दे रहे तो हम ही क्यों दें ? हम भी तो बाल-बच्चे वाले हैं । ऊपर से यह भी जोड़ दिया कि पापाजी तो खेले खाये पक्की उम्र के हैं । यूं भी कितने दिन और जिएंगे ?

छोटा बेटा अभी कुंआरा है । मां का लाडला भी है । उसकी मां ने ही उसकी पैरवी की कि इस बेचारे ने अपना गुर्दा दे दिया तो कल को इसे अपनी लड़की कौन देगा ? बेचारी नारी ? कैसी असमंजस्य और दुविधा की स्थिति में फंस जाती है । पति और पुत्र में किसे वरीयता दे । अपने हाड़-मांस का पलड़ा ही अंततः भारी पड़ता है ।

अब समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जा रहे हैं । अस्पतालों में संपर्क किया जा रहा है । सुना है पच्चास हज़ार से एक-डेढ़ लाख तक में गुर्दे मिल जाते हैं । सोचता हूं सेवानिवृत्ति पर मिला पैसा यदि आज पास न होता तो...।

स्पष्टवादी

कल रद्दी वाले से बात हुई तो बोला कि आप तौल कर देंगे तो तीन रुपये किलो का भाव होगा । मैं तौलूंगा तो साढ़े चार रुपये किलो । कैसी साफ़ स्पष्ट दोटूक बात ?

आज डेयरी वाले से दूध पतला होने की शिकायत की तो जवाब मिला कि अट्ठारह रुपये लीटर में तो ऐसा ही दूध आता है । बीस के भाव लें तो आपके लिए भी अलग से ले आया करूंगा ।

कुछ दिन पूर्व एक सरकारी दफ़्तर में मामूली-सा काम था । बाहर ही एक सज्जन मिले । समझाया कि महीनों चक्कर काटने पड़ेंगे । जूतों के तल्ले घिस जाएंगे । 200 रुपये ख़र्च करें तो काम अभी खड़े-खड़े हो जाएगा ।

ओम प्रकाश बजाज
जबलपुर (म०प्र०)

अनैतिकता

भारत अगर धर्मनिरपेक्ष है तो उसकी आत्मा की पहचान हमें रखनी चाहिए । हमें दूसरे धर्मों के चरित्र, आचार और व्यवहार से बचना चाहिए । जहां यह सही नहीं लगेगा कि मुसलमान हिन्दुओं के तौर-तरीक़ों की आलोचना करें वहीं हमें भी यह सोचना चाहिए कि हमें इस्लाम के तौर-तरीक़ों की आलोचना का अधिकार नहीं है । उनके किसी सुधार संशोधन का हक़ दूसरे धार्मिक विश्वास वाले को क़तई नहीं होगा ।

मुसलमान स्त्री बुर्क़ा पहने या न पहने, यह फ़ैसला इस्लाम के विचारक समुदाय का है । किसी दूसरे विश्वास को मानने वाले को इस्लामी रिवायतों पर सुझाव देने की कोशिश भी साम्प्रदायिक नाइत्तिफ़ाक़ी को बढ़ावा देने का ही काम करती है । इसलिए बुर्क़े पर ग़ैर-इस्लामी हस्तक्षेप सही नहीं है ।

(मुद्राराक्षस, राष्ट्रीय सहारा, 4 अप्रैल 2010)

शिक्षा को चुनौती

शिक्षा का अधिकार भारत के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किन्तु इसके ख़र्च की भरपायी राज्य नहीं केन्द्र करे । साथ ही इसकी बाधाओं को दूर किया जाए । इस घोषणा को महज़ खानापूर्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत को ज्ञानवान बनाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए । इसे भारतीय भाषाओं को समाप्त कर अंग्रेज़ी थोपने के साधन के रूप में इस्तेमाल न किया जाए ।

भूखा अभिभावक, भूखा बच्चा, भूखा अध्यापक और जर्जर स्कूल क्या शिक्षा की चुनौती को क़बूल कर सकेंगे । संभ्रांत लोगों को स्कूल खोलने से रोककर सरकारी संस्थाओं को गोद लेने को कहा जाए क्योंकि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी सेवा है, उद्योग अथवा व्यवसाय की तरह कमाई का साधन नहीं है ।

(मोहन सिंह, दैनिक जागरण, 6 अप्रैल 2010)

फ़ीस

पता नहीं मनमोहन सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की इजाज़त देने वाले विधेयक को मंजूरी देते समय बी॰बी॰सी॰ की यह ख़बर पढ़ी-सुनी थी या नहीं, जिसके अनुसार ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों की ऊंची फ़ीस चुकाने के लिए विद्यार्थी देह व्यापार करने से लेकर पोर्न फ़िल्मों में काम करने तक को मजबूर हो रहे हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार किंग्सटन वि॰वि॰ के प्रोफ़ेसर रान रोबर्ट्स के सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के भारी ख़र्चों को उठाने के लिए लगभग 25 फ़ीसद विद्यार्थियों को देह व्यापार में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ।

(आनंद प्रधान, राष्ट्रीय सहारा, 3 अप्रैल 2010)

चेतना शून्य

दरअस्ल, हमने किसी भी घरेलू हिंसा या चारदीवारी के भीतर हो रहे हिंसक वारदात को लेकर यह सोच विकसित कर रखी है कि इसमें पड़ने से अपना क्या फ़ायदा या हम इन मामलों में क्यों पड़े ? इस नकारात्मक नज़रिये ने समाज को उस स्तर तक ला धकेला है कि यहां आकर इन्सान चेतना-शून्य हो चुका है । सवाल है कि हम किन-किन मामलों में निष्क्रिय बने रहना चाहते हैं और इस निष्क्रियता से हम किस सामाजिक सरोकार को पूरा करने का दम भरते हैं । ?

(कमलेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय सहारा, 5 अप्रैल 2010)

नाकामी

मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक परिवेश में इसका ख़ूब ज़िक्र होता है कि समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए । यह एक स्वीकारोक्ति है कि हमारा लोकतांत्रिक शासन इस मक़सद में नाकाम रहा है । इससे समाज का बड़ा हिस्सा राष्ट्र के 'कल्याणकारी' दायरे में नहीं आ पाया है । दूसरी ओर इससे राष्ट्र के निर्माण में जाति और वर्ग की सहभागिता की अहमियत भी सामने आती है ।

(के॰ एन॰ पाणिक्कर, नवभारत टाइम्स, 5 अप्रैल 2010)

गीता में एकेश्वरवाद

■ श्याम नारायण चौहान
(चंदौली, उ०प्र०)

जब प्रभु की कृपा होती है तो उसके दिये हुए आदेशों तथा धर्म के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है ।

सर्वत: पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वत: श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।।
(गीता, 13:13)

वह ब्रह्म सब ओर से हाथ, पैर वाला, सब ओर से नेत्र व सिर और मुख वाला तथा सब ओर से कान वाला यानी सुनने वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है ।

अपाणि पादो जवनो ग्रहीता ।
पश्यत्य चक्षु स श्रृगोत्य कर्ण: ।।
(श्वेताश्वनरोपनिषद, 3/19)

अर्थात वह परमात्मा बिना पैर, हाथ के ही वेग से चलता है और ग्रहण करता है तथा बिना नेत्रों के देखता और बिना कानों के ही सुनता है । अतएव उसका स्वरूप अलौकिक है ।

नियत कर्म मन और इन्द्रियों की एक निर्धारित अंत:क्रिया है जब कार्य का यही स्वरूप है तो बाहर मंदिर-मठ-चर्च बनाकर देवी-देवताओं की मूर्ति या प्रतीक पूजना कहां तक संगत है ? भारत में हिन्दू कहलाने वाला समाज वस्तुत: वे सनातन धर्मी हैं जिनके पूर्वजों ने परम सत्य की खोज करके देश-विदेश में उसका प्रचार किया । उस पथ पर चलने वाला विश्व में कहीं भी हो सनातन धर्मी है । इतना गौरवशाली हिन्दू समाज कामनाओं में विवश होकर तरह-तरह की भ्रान्तियों में पड़ गया । श्रीकृष्ण कहते हैं कि अर्जुन देवताओं के स्थान पर देवता नाम की कोई चीज़ नहीं है गीता अध्याय 9:23 फिर आगे कहते हैं कि :

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना: प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता: ।
तंतं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ।।
(गीता, 7:20)

कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रान्त है, ऐसे मूढ़बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजां करते हैं । इस तरह से पूजा करने वालों को निश्चय ही तू आसुरी स्वभाव से संयुक्त जान ।

अक्सर लोग पेड़, पत्थर, पानी, मंदिर व मठ में देवी-देवताओं का पीछा करते देखे जाते हैं । उन्हीं के साथ श्रीकृष्ण की भी प्रतिमा बढ़ा लेते हैं तथा श्रीकृष्ण की ही साधना पर बल देने वाले और जीवन भर मूर्तिपूजा का खंडन करने वाले महापुरुष बुद्ध की भी मूर्ति उनके अनुयायियों ने बना ली और लगे पूजा करने (दीप दिखाने)। जबकि बुद्ध ने कहा था 'आनन्द' यथागत की शरीर-पूजा में समय नष्ट न करना ।

महापुरुषों में स्त्रियां पुरुष सभी होते आये हैं, सीता ने राम को प्राप्त किया और अपनी भक्ति से आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुईं । राजकुल में उत्पन्न मीरा में परमात्मा की भक्ति की लौ लग गयी वह सब कुछ छोड़कर ईश्वर के चिंतन में लग गयी, व्यवधान को झेला और सफल रहीं । उनकी स्मृति ताज़ा रखने के लिए मंदिर व स्मारक बने ताकि समाज उनके उपदेशों से, कृत्यों से लाभ उठा सकें ।

शोधकर्ता महापुरुष हमारे आदर्श हैं हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए । परन्तु इससे बड़ी भूल क्या होगी कि यदि हम उनके चरणों में फूल, पुष्प चढ़ा कर अपने कर्मों की इतिश्री मान बैठें । जो वस्तुत: आदर्श है उनका निरादर न करें, किन्तु उस पर पुष्प पत्र चढ़ाने को ही भक्ति भाव बैठने से उतने ही को कल्याण साधन मान लेने से हम लक्ष्य से बहुत दूर भटक जाएंगे । जहां भी महापुरुष की प्रतिमा लगायी गयी है वहां हम सिर्फ़ इसलिए पहुंचते हैं कि उसने क्या किया और क्या पाया, कैसे बन्दगी की और कैसे प्राप्त किया, किन्तु उन स्थानों पर महापुरुषों के कार्य कलाप उनकी जीवन व्यवस्था के पद चिन्ह नहीं बताए गये, करके नहीं सिखाये गये, कल्याण की व्यवस्था नहीं मिली

तो वह स्थान ग़लत है । वहां आपको रूढ़ि मिलेगी, वहां जाने से आपका नुक़सान है ।

व्यक्तिगत रूप से घर-घर, गांव-गांव, गली-गली जाकर उपदेश देने-पहुंचाने की अपेक्षा सामूहिक उपदेश केन्द्रों के रूप में इन धार्मिक स्थलों की स्थापना की गयी थी किन्तु कालान्तर में इन प्रेरणा स्थलियों से ही मूर्ति पूजा तथा रूढ़ियों ने धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया और यहीं से भ्रम पनप गया ।

सन्देशवाहक

किसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है । चूंकि 'गीता' महान ग्रंथ के अनुसार श्रीकृष्ण जी एक संदेशवाहक हैं, क्योंकि गीता भगवान श्रीकृष्ण के मुखार बिन्दु से निकली वाणी है जिसे परमात्मा ने उनके मुख से कहलवाया ।

जैसा कि श्रीमद भगवद् गीता में वर्णित है ।

यदा यदा हि धर्मस्य ग़लानिर्भवति भारत: ।
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम ।।

(गीता, 4:7)

हे अर्जुन, जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए आत्मा को रचता हूं ।

परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम ।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे ।।

(गीता, 4:8)

साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार क़ायम करने के लिए मैं युग-युग में (समय-समय) पर प्रकट हुआ करता हूं ।

अत: कहने का तात्पर्य एक ईश्वर की उपासना (आज्ञापालन) तथा उसके सन्देशवाहक के द्वारा बताए गये तरीक़ों (शास्त्रविधि) से कार्य रूप देना ही एकेश्वर की उपासना है और शास्त्र के अनुसार यही उचित है ।

धर्म

असत् वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत् का कभी अभाव नहीं है । परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है अजर, अमर, अजन्मा, अपरिवर्तनशील और सनातन है गीता अध्याय 2:16 एवं 20 ।

किन्तु वह परमात्मा अचिन्त्य और अगोचर है चित्त की तरंगों से परे हैं । उस परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम कर्म है (शास्त्र विधि द्वारा) और उस कार्य को कार्य रूप देना ही धर्म है ।

यत: प्रवृत्तिभूतानां येन सर्व मिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव: ।।

(गीता, 18:46)

जिस परमेश्वर से सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा/अनुपालन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है । अर्थात एक निश्चित विधि से एक परमात्मा की बन्दगी ही धर्म है । धर्म में प्रवेश किसको है इसे करने का अधिकार किसे है ? इसे स्पष्ट करते हुए योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन अत्यंत दुराचारी भी यदि अन्यन्य भाव से मुझे भजता है अर्थात मेरे सिवा किसी अन्य को नहीं भजता तो 'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा' वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है । पवित्र ग्रंथ गीता में है ।

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ।।

(गीता, 9:31)

एक ईश्वर के भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परमशान्ति को प्राप्त होता है, तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी विफल नहीं होता ।

धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के द्वारा दिये गये आदेशों के (नियत कर्म) का आचरण करता है । धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है । गीता में है-

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।।

(गीता, 16:24)

इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है । परन्तु जो लोग परमेश्वर के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार आचरण नहीं करते बल्कि अपने विचार से मनमाना आचरण करते हैं ऐसे ही लोग हर तरह से, हर क्षेत्र में असफल हैं जैसा गीता में वर्णित है-

य: शास्त्रबिधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत: ।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ।।

(गीता, 16:23)

जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति और न सुख को ही ।

धर्म में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है इसे किसी को ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि सबको आज़ादी मिली हुई है और विवेक भी दिया गया है । चाहे वह माने या न माने, परन्तु जिस व्यक्ति में ईश-भय, परहेज़गारी और सोच-विचार करने की क्षमता मौजूद होती है और अपने किये गये कर्मों के हिसाब-किताब से डरता है तथा आख़िरत पर पूर्णरूपेण भरोसा करता है ऐसे ही लोगों को ईश्वर से मार्ग-दर्शन प्राप्त होता है । ऐसे ही लोग धन्य है जिनको परमात्मा का संरक्षण प्राप्त हो जाए । जैसा कि धर्मग्रंथ गीता में है–

तमेव शरमं गच्छ सर्वभावेन भारत: ।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ।।
(गीता, 18:62)

सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: ।।
(गीता, 18:66)

अर्जुन सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में जा उस परमात्मा की कृपा से ही तू परमशान्ति को तथा सनातन शाश्वत धाम को प्राप्त होगा ।

सम्पूर्ण धर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्व शक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर ।

निष्कर्ष

अत: धार्मिक उथल-पुथल को छोड़कर एक परमात्मा की भक्ति व बंदगी करना ही श्रेयस्कर है । एक परमात्मा के प्रति समर्पण ही धर्म का मूल है, उस प्रभु को पाने की नियत विधि (शास्त्र विधि) का आचरण ही धर्माचरण है ।

अतएव एक परमात्मा में दृढ़ विश्वास करके उसके संदेशवाहक के द्वारा निर्दिष्ट तरीक़ों से उपासना ही सच धर्म है और जो इस तरह की ज़िन्दगी गुज़ारता है वही धार्मिक है ।

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Registration Going On

الحراء پبلک اسکول و ھاسٹل، شاہ گنج، پٹنہ-۶

AL-HIRA PUBLIC SCHOOL & HOSTEL

MUHAMMADPUR, SHAHGANJ, PATNA-6

C.B.S.E. Curriculum
Computer Lab & Library
Class Monitoring with CCTV
Separate Hostel for Boys & Girls

English Medium
Quality Education
Co-Curricuiar Activities
Regular Weekly Tests

Website : alhirapatna.com
E-mail : alhirashahpat@sify.com

0612-2685287
9431087443

धर्म की आड़ में ढोंगी बाबाओं की करतूत

■ विद्या प्रकाश

संसार में प्रचलित समस्त धर्मों का उद्देश्य मानव चरित्र को सुसंस्कृत तथा मानव जीवन को खुशहाल बनाना होता है। प्रत्येक धर्म अपनी-अपनी पृथक-पृथक उपासना प्रणालियों के माध्यम से मानव मन को वर्ण, लिंग, भाषा-भूषा, जाति आदि पर आधारित भेदोपभेद, सांसारिक विषय वासनाओं तथा काम, क्रोधादि मनोविकारों से ऊपर उठाकर विश्व की परमपरात्पर शक्ति से जोड़ता तथा उसके चारित्रिक नैतिक स्तर को ऊंचा उठाता है, मगर समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो धर्म को अपनी स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बनाकर उसका दुरुपयोग करते हैं तथा लोगों को भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा क़रते हैं।

आजकल हमारे समाज में ऐसे बाबाओं की बाढ़ आ गयी है, जिन्होंने बाक़ायदा अपना एक सुनियोजित संगठन स्थापित कर रखा है। दूसरों को सांसारिक तथा ऐन्द्रिक विषय वासनाओं, लाभ, लोभ से दूर रहने की शिक्षा देने वाले इन बाबाओं तथा मठाधीशों के पास भोग-विलास के समस्त आधुनिकतम संसाधन मौजूद रहते हैं। रहने के लिए वातानुकूलित बंगला, आवागमन के लिए एक से बढ़कर एक एयर- कंडीशंड सुसज्जित कार, रंगीन टी०वी०, डी०वी०डी०, गीजर, मोबाइल कूलर वग़ैरह क्या-क्या नहीं हैं उनके पास। नाम तो आश्रम का है मगर आश्रम के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये की चलाचल सम्पत्ति उनके पास है। उनके आश्रम में अनेक जर्सी गाएं बंधी है। श्रद्धालु भक्तगण रोज़ाना सुबह-शाम चढ़ावे में आम, संतरा, मुसम्मी, अंगूर, काजू, किशमिश, अख़रोट, नारियल, मिष्ठान्न आदि अर्पित करते हैं। प्रति वर्ष धनाढ्य जन बाबाओं तथा मठाधीशों को दान करते हैं। इन बाबाओं तथा मठाधीशों का रहन-सहन विलासितापूर्ण होता है।

समाज में ऐसे बाबाओं, धर्मगुरुओं तथा मठाधीशों की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज सेवा तथा लोकोपकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हैं मगर ऐसे भी धर्मगुरुओं की कमी नहीं है जो श्रद्धालुओं तथा दानकर्ताओं द्वारा दान की गयी चढ़ावे की रक़म तथा फल-फूल से ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरों को त्याग का उपदेश करने वाले से बाबा स्वयं संग्रही हैं। इनमें से अनेक बाबा तो ऐसे हैं, जो कामलोलुप तथा विषयासक्त है।

पिछले कुछ दिनों से इच्छाधारी बाबा की चर्चा अख़बारी सुर्ख़ियों में रही। उन पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। कुछ माह पूर्व समाचार, पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे बाबाओं के बारे में विस्तारपूर्वक ख़बर प्रकाशित हुई थी जिन पर बड़े-बड़े सफ़ेदपोश राजनेताओं तथा भ्रष्ट अधिकारियों से काले धन को सफ़ेद करने के नाम पर लाखों रुपये बतौर कमीशन लेने का आरोप था। ये बाबा धर्म की तिजारत करते हैं और धर्म के नाम पर अंधविश्वासी लोगों को मोहक शब्द जाल से मूर्ख बनाकर देखते ही देखते मालामाल हो जाया करते हैं। समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वास्तविकता पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिये बग़ैर उनके अंधे अनुयायी बन जाते हैं तथा उनके द्वारा कही गयी बात पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगते हैं तथा उनको दान भी ख़ूब करते हैं।

यह संसार ईश्वर की रचना है। बिना ईश्वर की मर्ज़ी के न हवा बह सकती है और न पेड़ की पत्ती हिल सकती है। वह सबको उत्पन्न करने वाला और सबका भाग्य विधाता है। मगर हम उसकी उतनी निष्ठा, तन्मयता तथा भक्ति भावना से उपासना नहीं करते जितनी श्रद्धा और निष्ठा से ढोंगी-पाखंडी बाबाओं का सादर चरण स्पर्श तथा स्तवन वन्दन करते हैं। क्या ये बाबा अलौकिक शक्ति सम्पन्न ईश्वर है ? क्या ये ईश्वर से भी अधिक ऊंचे, महान तथा सामर्थ्यवान हैं ?

दूसरों के चढ़ावे की कमाई पर विलासितापूर्ण जीवन-यापन करने वाले ये तथाकथित परपिंडोपजीवी बाबा क्या वाक़यी पूजनीय, अभिनन्दनीय, आदरणीय तथा प्रातःस्मरणीय हैं ? धर्म के नाम पर समाज में गन्दगी फैलाने वाले और श्रद्धालु भक्तों का भावनात्मक और आर्थिक शोषण करने वाले धर्म के इन ठीकेदारों का हम पिछलग्गू क्यों बनते हैं तथा क्या यह उचित एवं आवश्यक है ? यदि हमको इबादत करनी है तो क्यों न उस ईश्वर की करें जो सबका जन्मदाता, पालनहार तथा जीवनदायक है। उसे भूलकर अथवा उसे कम महत्व देकर हम धर्म के ठीकेदारों के चक्कर में क्यों पड़ें ?

शराब की बुराई

"ग़ाज़ियाबाद में कन्हैया लाल मुहल्ला निवासी प्रमोद कुमार गर्ग (40 वर्ष) का गद्दों का कारोबार है । बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, सो प्रमोद इन दिनों टेंशन में था । एक दिन देर रात वह अपने घर में शराब पीने लगा । पत्नी चारू ने इससे मना किया तो वह मारपीट पर उतारू हो गया । पत्नी का विरोध बढ़ा तो धुत प्रमोद ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल उस पर तान दी । इसी बीच उनका बेटा शिवम (11 वर्ष) बीच में आ गया और प्रमोद ने शिवम पर गोली चला दी । गोली शिवम के पेट में लगी और वह ख़ून से लथपथ होकर गिर गया । इस बीच चारू और बेटी निमिषा (14 वर्ष) ने प्रमोद को पकड़ना चाहा तो उसने उन पर भी गोली चला दी । गोली चारू के पेट में और निमिषा की जांघ में लगी ।"

प्रमोद के बेटे की मौत हो गयी, उसकी पत्नी और बेटी घायल होकर अस्पताल में हैं । उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा ।

यही कारण है कि इस्लाम शराब को सभी बुराइयों की जड़ बताता है और अपने मानने वालों को आदेश देता है कि यह गंदा शैतानी काम है, इससे बचो–

"शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच शत्रुता और द्वेष पैदा कर दे ।"

(क़ुरआन, 5:91)

शराब या दूसरा कोई भी नशा अक़्ल को ढक देता है फिर आदमी पूरी तरह शैतान के वश में होता है और शैतान उससे अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम करवा सकता है । इसलिए शराब को दूसरे धर्मों में भी वर्जित ठहराया गया है और मानवता को इससे बचने की शिक्षा दी गयी है । 1947 ई० में भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद गांधी जी ने भी यहां के नेतृत्व को शराब की बुराइयों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था, मगर सत्ता पर क़ाबिज़ लोगों ने गांधी जी की नसीहत पर कान नहीं धरा और इसे राजस्व बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम समझते हुए इसकी बिक्री को ख़ूब बढ़ावा दिया । आज स्थिति यह है कि देशवासियों को चाहे पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता हो, लेकिन सरकारी ठेके हर गली-मुहल्ले में मौजूद हैं, जहां शराब की उपलब्धता में कभी कमी नहीं होती । देश में बढ़ते अपराधों का एक बड़ा कारण यह भी है ।

ख़ुशी की तलाश

"हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही हो, बावजूद इसके आपको मर्ज़ी के अनुसार ख़ुशी हासिल नहीं हो रही हो, क्योंकि आपको यह पता है कि आपके पड़ोसी की इनकम आपसे ज़्यादा है । लंदन में की गयी एक नयी स्टडी में ऐसा नतीजा निकाला गया है ।

ब्रिटिश हाउस होल्ड पैनल के एक सर्वे में मनोवैज्ञानिकों के क़रीब 10 हज़ार लोगों की ख़ुशी के लेवल के बारे में विश्लेषण कर नतीजा निकाला कि किसी शख़्स को पैसे से ख़ुशी मिलती है, लेकिन उसी हालत में, जब वह अपने पड़ोसियों से ज़्यादा कमा रहा है । डेली मेल में छपी रिपोर्ट के अनुसार, नतीजों से पता चला कि हालांकि ख़ुशी के लिए सैलरी महत्वपूर्ण चीज़ है, मगर किसी शख़्स का सोशल स्टैट्स ज़्यादा मायने रखता है । सामाजिक हैसियत में पिछड़ने पर पैसे से मिलने वाली ख़ुशी बदरंग होती है ।"

वास्तविकता यह है कि ख़ुशी की परिभाषा ही बदल गयी है । ख़ुशी को लोग अपने से बाहर ढूंढ़ते हैं, जहां वह होती ही नहीं है । वे सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार उन्हें वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन होता इसके विपरीत है । जब उसे एक वस्तु प्राप्त हो जाती है तो दो नयी वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा भी उसके मन में जागृत हो जाती है । फिर जब वह इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है तो ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा की तृप्ति हो जाती है, बल्कि अब उसके मन में चार नयी इच्छाएं जन्म लेती हैं और वह उनकी पूर्ति के लिए भाग-दौड़ तेज़ कर देता है और वह सांसारिक मोह में उलझता ही चला जाता है और अंततः जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी हज़ारों इच्छाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति वह नहीं कर पाया होता है ।

इसके विपरीत अगर उसने ख़ुशियों की तलाश अपने भीतर की होती तो वह उसे आसानी से मिल जाती, उसे जीवन भर उसके पीछे नहीं भागना पड़ता ।

विघटनकारी

"आज के दौर में अक्सर कहा जाता है कि पैसे से आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं, जबकि हक़ीक़त यह है कि पैसे से आप न ख़ुशी, न प्यार और न सम्मान ख़रीद सकते हैं लेकिन पैसा आपको दर्द से राहत ज़रूर दिला सकता है । मिन्नेसोटा यूनीवर्सिटी में इस संबंध में हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि प्रयोग में हिस्सा लेने से पहले जिन लोगों को नोटों को गिनने का काम दिया गया था, उनकी उंगलियों को जब गर्म पानी में डुबोया गया, तब उन्हें दर्द का अनुभव कम हुआ जबकि जिन लोगों को काग़ज़ या बिल गिनने के लिए दिये गये थे, उनमें दर्द के स्तर में कोई कमी नहीं आयी थी । इतना ही नहीं, प्रयोग में नोटों का स्पर्श, भावनात्मक दर्द को दूर करने में भी सक्षम पाया गया ।"

लोगों को भौतिकवाद की ओर और अधिक प्रेरित करने के लिए बड़ी-बड़ी यूनीवर्सिटियां ऐसे बेसर-पैर के अध्ययन कराती हैं । इन अध्ययनों की कोई रचनात्मक उपलब्धि नहीं है बल्कि ये विघटनात्मक हैं । ये लोगों में बची-खुची नैतिकता को भी खुरच देना चाहते हैं ।

समाधान

"यह है आधी दुनिया की पूरी और कड़वाहट से भरी सच्चाई । एक तरफ़ संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फ़ीसद आरक्षण देने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ़ रामपुर, उत्तर प्रदेश में एक किशोरी के साथ बलात्कार होता है । घर वाले जब इस जघन्य और शर्मनाक वारदात को पंचायत की संज्ञान में लाते हैं तो पंच लड़की की इस्मत की क़ीमत लगा देते हैं । तीस हज़ार रुपये । 'सहृदय' पंच अपने फ़ैसले में बलात्कारी को क्षमादान भी दे देते हैं ।

अपने क्रूर फ़ैसलों के लिए बदनाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पंचायतों से अक्सर अजीब-व-ग़रीब और कई बार हिलाकर रख देने वाले फ़ैसले आते हैं ।"

बलात्कार के मामले में गांव की पंचायत हो या शहर की अदालतें, सही फ़ैसला कहीं नहीं होता । बल्कि अदालतों में तो लंबी क़ानूनी प्रक्रिया पीड़िता को और प्रताड़ित करने वाली होती है । अदालतों में उससे ऐसे-ऐसे सवाल किये जाते हैं, मानो उस बलात्कार को जो अंधेरे में और अकेले में हुआ था, दिन के उजाले में भरी सभा में दुहराया जा रहा हो । इसलिए इज़्ज़तदार लोग तो ऐसे मामलों में अदालतों से बचना ही चाहते हैं । अधिकतर मामलों में लंबी प्रक्रिया का लाभ अपराधी को मिलता है साथ ही उसे मोरल सपोर्ट भी मिलता है ।

समाज को इन सभी बुराइयों से बचाने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमें यह देखना चाहिए कि ईश्वरीय विधान इस संबंध में क्या कहता है । सौभाग्य से हमारे पास ईश्वर का अन्तिम और विशुद्ध विधान मौजूद है और वह मानवता को पेश आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है । जब तक हम स्वयं को उसके समक्ष समर्पित नहीं करेंगे, तब तक यूं ही भटकते रहेंगे, हमारी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती रहेंगी ।

● मुशर्रफ़ अली



मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इंन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ सिमोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09450587737, 09793424547

जामिया का बैंक खाता नं०

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

रचनाशीलता का अभिनव प्रयोग

■ डॉ॰ पशुपतिनाथ उपाध्याय
(अलीगढ़, उ॰प्र॰)

साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के ग्राहकों एवं पाठकों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है । अन्य पत्र-पत्रिकाएं राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक अपनी स्थिति संभाली हुई हैं । वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक समृद्धि, कंप्यूटराइज्ड प्रणाली के परिवेश में साहित्याभिरुचि को जागृत करने वाली बहुत ही कम पत्र-पत्रिकाएं हैं । भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, मुक्त बाज़ार, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, आतंकवाद, जातिवाद आदि ने मानवतावाद को सीमित घेरे में ले लिया है जिस पर वर्ष 2005 की पत्र-पत्रिकाओं में गहनता से विचार किया गया है । साहित्यकारों की प्रवृत्ति में परिवेश-परिवर्तन के साथ युगबोध का भाव एवं रचनाधर्मिता में परिवर्तन अपेक्षित है ताकि मानवीय संवेदना सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से संपृक्त होकर साहित्यिक क्षेत्र में पत्र-पत्रिकाओं में स्थान पाकर लोक कल्याणी बन सके । लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने वाली पत्र-पत्रिकाएं भी जनमानस में स्थायी स्थान बना सकती हैं अन्य यदि मिटती नहीं तो सिमट अवश्य जाएंगी ।

वस्तुतः पत्र-पत्रिकाएं राष्ट्रीय-सांस्कृतिक-साहित्यिक, वैचारिक एवं मानसिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं । राष्ट्रीय सामाजिक आकांक्षाओं, अभिलाषाओं एवं परम्पराओं तथा मान्यताओं की संवेदनशीलता ही उनका लक्ष्य होना चाहिए तभी वे लोकोपयोगी, समाजोपयोगी एवं लोककल्याणी सिद्ध हो सकती है । सार्वकालिकता, सार्वभौमिकता एवं सार्वदेशिकता को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय संवेदना की वेदी पर पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों, रचनाकारों एवं साहित्यकारों को नव्य-चिंतन से लेखन को नव्य धरातल पर प्रतिष्ठित करने की आज महती आवश्यकता है । राष्ट्रीय राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास में पत्र-पत्रिकाओं की अहम भूमिका है जो भाषायी सम्प्रेषणीयता का द्योतन करती हैं । राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली, न्याय व्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति आदि को अंगीकार किये हुए ये पत्र-पत्रिकाएं निश्चय ही हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध हुई हैं । बड़ी पत्रिकाएं भले ही संख्या में कम प्रकाशित हुई हैं लेकिन लघु पत्रिकाएं अहर्निश सेवा की संकल्पी हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र-विस्तार को अधिकाधिक बढ़ा रही हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है ।

साहित्य की सामाजिकता के रचनात्मक अभियान को

सहयोग के लिए अपील

एक इल्मी व दीनी इदारा जो आज़ादी के बाद से और नये रूप में 1982 ई॰ से तहरीके इस्लामी हिन्द के अकाबिरीन और ख़ास तौर से मौजूदा अमीरे जमाअत इस्लामी हिन्द मौलाना जलालुद्दीन उमरी की निगरानी में किताब व सुन्नत की तालीमात के मुताबिक़ उम्मते मुस्लिमा की फ़िक्री रहनुमाई कर रहा है । इसकी दूसरी ज़रूरतों के साथ-साथ एक बड़ी लाइब्रेरी की तामीर का काम चल रहा है । इसके लिए फ़ौरी तौर पर पांच लाख रुपये की ज़रूरत है । सभी दर्दमन्द और इल्म दोस्त असहाबे ख़ैर हज़रात से गुज़ारिश है कि इस कारेख़ैर में भरपूर मदद फ़रमाएं ।

चेक या ड्राफ्ट इस नाम से बनवाएं

IDARA-E-TAHQEEQ-O-TASNEEF-E-ISLAMI

और इस पते पर भेजें

(डॉ॰ सफ़दर सुलतान इस्लाही)
सेक्रेट्री
इदारा तहक़ीक़ व तस्नीफ़े इस्लामी, नबी नगर, जमालपुर, अलीगढ़-202002

सांस्कृतिक परिवेश में गतिशीलता प्रदान करना भी पत्र-पत्रिकाओं के लिए परमावश्यक है । वैचारिक प्रतिबद्धता, आधुनिकतम संघर्षशीलता एवं समसामयिकता की समझदारी भी अपेक्षित है । अधिकांशत: पत्र-पत्रिकाओं में काव्य, कहानी, लघुकथा, संस्मरण, साक्षात्कार, समीक्षाएं, पत्र-लेखन आदि पर ही प्राय: चर्चा की गयी है । अन्य विधाओं में नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, व्यंग्य, रिपोर्ताज, डायरी आदि को नज़रअंदाज़ किया गया है ।

सर्वाधिक चर्चा काव्य विधा एवं काव्यांगों पर 2005 ई० में की गयी है । समस्त विधाएं सम्पूर्ण वर्ष की प्रकाशित पत्रिकाओं में देखने को नहीं मिली । अतएव पत्र-पत्रिकाएं एक ख़ास चयनित साहित्यांगों को वर्ण्य विषय-क्षेत्र बनाकर साहित्यिक-सांस्कृतिक एवं भाषिक सेवा कर रही हैं । पत्र-पत्रिकाओं पर परिचर्चा 18 फ़रवरी 2005 को मुंबई में हुई । 'साहित्य-मंच' में पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका पर आयोजित परिचर्चा में आनन्द गादिल ने कहा, 'पत्र-पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को जागरूक बनाना है ।' पत्र-पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य साहित्यानुशील की प्रवृत्ति साहित्यकारों में जागृत करना, साहित्याभिरुचि पाठकों में जागृति करना तथा भाषा और साहित्य के प्रति जनजागरण अभियान को व्यवस्थित व्यावहारिक धरातल प्रदान करना है ।

पत्र-पत्रिकाएं हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार, अभिवृद्धि-समृद्धि के साथ-साथ साहित्यिक-सांस्कृतिक चेतना जागृत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान करती हैं जिनका सीधा संबंध साहित्य, कला और संस्कृति से है । वर्ष 2005 ई० में प्रकाशित समस्त पत्र-पत्रिकाओं का सम्यक् विवेचन-विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है फिर भी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं के नामोल्लेख उनके सम्पादकों के नाम के साथ करना समीचीन है और साहित्यिक धर्म भी है, जो सप्रयास किया गया है । सम्प्रति पाठक भले ही कम हैं, संख्य बल का कोई विशेष महत्व भी नहीं है लेकिन कुछेक समीक्षकों की यह अवधारणा नितांत भ्रमित करने वाली है कि 'भविष्य अंधकारमय है या निराशाजनक स्थिति है ।' इस प्रकार की टिप्पणी वे ही कर सकते हैं जो संकुचित दृष्टि रखते हैं, जिनकी मानसिकता संकीर्ण है और जो हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति उदासीन हैं । अर्थाभाव, प्रकाशनाभाव, पाठकीय उपेक्षा, दूरदर्शन प्रभाव आदि संकट के होते हुए भी नयी-नयी लघु पत्रिकाएं ख़ूब प्रकाशित हो रही हैं तथा विषयवस्तु, संपादकीय सहयोग एवं लेखकीय स्पर्द्धा के आधार पर वे अपना स्थान जन-मानस में बना पाती हैं नये उभरते प्रतिभावान लेखकों एवं सम्पादकों की आज भी कमी नहीं है । हां, 'ओल्ड एज गोल्ड एवं यांग्स आर रॉग्स' की कहावत यदि चरितार्थ करनी हो तो वह अलग बात होगी ।

पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से समस्त साहित्यिक विधाओं एवं साहित्यांकों का आकलन किया जाना संभव है । इनका बहुत बड़ा योगदान साहित्यानुशीलन, पाठकीय स्पन्दन, लेखकीय मूल्यांकन एवं सम्पादकीय चिंतन में रहा है और रहेगा । नव्य प्रकाशित समस्त विधाओं की कृतियों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं के ही माध्यम से पाठकों को मिलती हैं । इस प्रकार वे एक मीडिया के रूप में भी क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं । लेखकों को प्रतिष्ठित करने, साहित्यिक जगत में स्थापित करने तथा पाठकों एवं लेखकों के बीच संवाद स्थापित करने में भी उनका संराहनीय योगदान है । नये लेखकों को रचना-कर्म में संलग्न करने का कार्य भी पत्र-पत्रिकाएं ही करती हैं जिससे साहित्यश्री की वृद्धि होती है । साहित्यिक जगत के नवोन्मेष में स्वस्थ परम्परा निर्वहन करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि साहित्यिक-सांस्कृतिक यात्रा का प्रबल पाथेय और ऊर्जा स्रोत भी ये ही हैं । अतीत का गौरवगान करने वाली, वर्तमान के संकल्प का विकल्प तैयार करने वाली तथा भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न को साकार करने वाली ये पत्रिकाएं निश्चय ही साहित्यिक-सांस्कृतिक विधायिका हैं ।

स्वर्गीय पं० विद्यानिवास मिश्र ने स्वयं 'साहित्य अमृत' के प्रवेशांक के संपादकीय में स्वीकार किया था कि 'पाठकों की संख्या विद्युतचालित संचार माध्यमों की कृपा से सिकुड़ती जा रही है, साहित्य स्वयं चर्चा के बाहर निकलता जा रहा है ।' उन्हीं के शब्दों में 'साहित्यिक पत्रिका का अपने आपमें रचनात्मक व्यापार है और इसलिए वह सब विघ्न-बाधाओं की चिंता नहीं करता, वह दुर्निवार है । दूसरे हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता ने जो गूंजे-अनुगूंजे हमारे खुले आकाश को दी हैं, उन्हें अनसुनी कैसे किया जा सकता है । तीसरा कारण है, व्यावसायिक दृष्टि से कुछ

जोख़िम उठाकर भी ऐसे पाठकों की अपेक्षाओं की पूर्ति का दायित्व, जो साहित्य की रचना में सहभागिता रखते हैं ।' सुरेश तिवारी के शब्दों में 'मिश्र जी ने इस पत्रिका को क़रीब दस वर्षों तक संपादक रहे और इसे 'साहित्य एवं संस्कृति की संवाहिका' बनाए रखा ।

'उद्भावना' शाहदरा, दिल्ली से प्रकाशित है जिसके संपादक अजेय कुमार हैं जिसमें स्त्री-विमर्श को केन्द्र में रखकर अरविन्द जैन, अपूर्वानन्द, निर्मला गर्ग, विश्वनाथ त्रिपाठी, संजय चतुर्वेदी, अशोक गुप्त और सलम के विचारों को 'स्त्री-मुक्ति' के सन्दर्भ में विवेचित किया गया है तथा लेखन की संस्कृति एवं विकृति पर भी चिंता व्यक्त की गयी है । समकालीन सोच और लेखन को प्रस्तुति देने वाली क़रीब तीन दशक से प्रकाशित हो रही 'पश्यन्ती' पत्रिका है जिसके संपादक प्रवण कुमार बंद्योपाध्याय हैं । यह पत्रिका नयी दिल्ली से प्रकाशित है जिसमें आज की आलोचना पर जाति-बिरादरी और नाते-रिश्ते का आरोप धनन्जय वर्मा ने लगाया है तथा सहगल के शब्दों में 'लेखन एक वैयक्तिक कर्म है लेकिन लेखक एक सामाजिक प्राणी भी है । सामाजिक ढांचे में जब परम्पराएं मात्र रूढ़ियां बन जाती हैं और मूल्य जब 'मिशन न होकर' वस्तु बन जाते हैं तो दुविधा और भी गहरी हो जाती है'--इस प्रकार के अनेक प्रश्न वर्ष 2005 ई० में प्रकाशित अन्य पत्र एवं पत्रिकाओं में उठाये गये हैं जो पत्रकारिता विधा, पत्र लेखन आदि के साथ-साथ लेखकों, साहित्य चिंतकों एवं समीक्षकों आदि को नव्य परिवेश में नव्य चिंतन-मनन को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं लेखन के प्रति सावधान करते हैं जो साहित्य सर्जन के लिए परमावश्यक भी है । नयी दिल्ली से प्रकाशित 'कान्ति' हिन्दी भाषियों को आकृष्ट करने में सफल सिद्ध हुई है ।

'साहित्य सागर का दिसम्बर 2005 का अंक आलोचना-समीक्षा अंक के रूप में प्रकाशित हुआ है जिसमें 'समीक्षा : समसामयिक परिप्रेक्ष्य', आलोचना तथा समीक्षा ठिठकी हुई विधा नहीं' आदि आलेख के साथ संपादकीय भी आलोचना कक्ष पर प्रकाशित हैं जिससे साहित्यानुशीलन का पता चलता है । राय बरेली से प्रकाशित 'अन्तराल' पत्रिका का दिसम्बर 2005 का अंक विशेष महत्वपूर्ण है जिसमें निबंध विधा के अंतर्गत 'आदर्श का यथार्थ' तथा 'सत्य कहां है', कहानी 'गौरी', व्यंग्य विधा में 'हमारे देश में सरकार क्यों है', साक्षात्कार, लघुकथाएं, समीक्षा, काव्य आदि विधाओं के अंतर्गत रचनाएं प्रकाशित हुई हैं । 'विवरण पत्रिका' का दिसम्बर 2005 का अंक 'वृन्दावनलाल वर्मा' पर केन्द्रित है जिसमें संपादकीय के अतिरिक्त स्वर्गीय वर्मा के विविध बहुआयामी साहित्यिक पक्षों को रेखांकित किया गया है । 'विद्यामेध' का दिसम्बर 2005 का अंक 'सर्वशिक्षा अभियान' पर केन्द्रित है । 'न्यामती' का दिसम्बर 2005 का अंक 'शिक्षा के उद्देश्य', 'हिन्दी भाषा, व्याकरण तथा साहित्यिक विषयक आलेखों के साथ-साथ पुस्तक समीक्षा, हमारे साहित्यकार तथा काव्य, कहानी एवं पत्र लेखन विधा को प्रमुखता से प्रकाशित करने में सफल रहा है । इस प्रकार साहित्य प्रचार-प्रसार में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 200 I with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

निदाए यतीम (Voice of Orphan Girls')

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना, गया।

लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़ तालीम से मुज़ैयन क़ौमी सतह का मेयारी रिहायशी (Residential) इदारा



इस्लामी भाइयों और बहनों ! अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहु

यह आपका जाना–पहचाना इदारा जो तक़रीबन 23 वर्षों से क़ौमी ख़िदमत अंजाम दे रहा है अलहम्दुलिल्लाह इदारा बहुत ही बुलन्द मक़ासिद के तहत वजूद में आया है और झोंपड़े से महल बनने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आप हज़रात की खुसूसी तवज्जुहात से ही इदारा तमाम मुश्किलात के बावजूद दिन–बदिन तेज़ी से तरक़्क़ी की मंजिलें तय करता जा रहा है।

• इदारा 21 दिसम्बर 1986 ई० से ही सही इस्लामी खुतूत पर यतीम के साथ–साथ गरीब और गैर–यतीम तालिबात की तालीमी ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनीवर्सिटी में आलमियत के साल अव्वल व दोम में आसानी से दाख़िला मिल जाता है। • शोबा–ए–हिफ़्ज की तालिबात को हिफ़्ज़ के साथ–साथ मैट्रिक (Matric) तक की तालीम दी जाती है। • तालीमी साल (Educational Session) : अप्रैल ता मार्च • तालीमी मराहिल • नर्सरी • इब्तिदाई • सानवी • आला • शोबा हिफ्ज व तजवीद • Distance Education तादाद यतीम तालिबात–110 बैरूनी तालिबात् अपने खर्च पर दारूल अकामा (Boarding) में रह कर तालिम हासिल करें। करने वाली और बाहर से आकर जाने वाली इसके अलावा है। • तादाद असातज़ा, मुअल्लिमात और दूसरे मुलाज़गीन : 30 • सालाना ख़र्च (Annual Expenditure) : बारह लाख रूपये (Rs. 12,00,000) से ज़ायद (तामीरी ख़र्च को छोड़कर) • ज़रिया आमदनी : मुस्लिम अंवाम के चन्दे।

नोट : यतीम तालिबात का सारा ख़र्च : पैर के नाखुन से लेकर सर के बाल तक या कहिए एड़ी से लेकर चोटी तक इदारा पूरा करता है।

यतीमखाना की ख़बरें : • शोबा–ए–तालीम बालग़ान (Adult Education) : की बुनियाद 20 जून 2002 ई० को एक नवजवान शदीशुदा औरत से पड़ी थी। • शोबा–ए–हिफ़्ज (Qura'n Memorization) : 6 तालिबात ने दीनी वे असरी तालीम क साथ दरजा दहुम में पहुंचते –पहुंचते हिफ़्ज मुकम्मल कर लिया। वह हाफिज़े कुरआन क़रार दी गयीं और मैट्रिक पास करके घर चली गयीं और बाकी बच्चियां हिफ़्ज के साथ–साथ असरी तालीम भी हासिल कर रही हैं। • बिहार स्कूल इग्ज़ामिनेशन बोर्ड : गुज़िश्ता कई सालों से लगातार मैट्रिक (Matric) बोर्ड के इम्तिहान में यतीम व गैर–यतीम तालिबात का तक़रीबन सद फीसद रिजल्ट रहता है। नोट – 1992 से मैट्रिक की तालिम शुरू ओर 1993 से 2009 तक 58 यतीम बच्चियों और 32 ग़ैर–यतीम बच्चियों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और एक यतीम बच्ची ने बेगम तारा रशीद शेरवानी एवार्ड भी हासिल किया था। • हजरत खोद जतुल कोबरा वोकेशनल सेन्टर (Vocational Centre) • अगरत 2003 से बाज़ाबता तरीक़ा पर इदारा में कटाई व सिलाई का सेन्टर चल रहा है। अब पेंटिंग मेंहदी और फूल–पत्ती मशीन से सिखाने का कोर्स भी शुरू होने वाला है। • कटाई व सिलाई 6 बैच 70 तालिबात और तीन बैच ज़री वर्क्स में 42 तालिबात का, सबको सरकारी सनद तक़्सीम की जा चुकी है। • जल्द ही कंप्यूटर की तालीम शुरू •साल 2008 से इदारा में यतीम व गैर–यतीम तालिबात की इन्टरमेडिएट (ग्यारहवीं Class XI) की तालीम शुरू। • तालीमी फंड बैतुल माल बराए–तालीम (Bait-ul-Mal for Education) : नादार व ग़रीब बच्चियों को फ़िलहाल छोटे पैमाने पर मुफ़्त तालीम देने का भी नज़्म है। कफाला स्कीम (Kafla Scheme) के तहत एक यतीम बच्ची की तालीम व तर्बियत व खुर्दो नोश पर सलाना आठ हज़ार रूपये (Rs. 8,000) खर्च आता है। आप भी एक यतीम बच्ची की कफ़ालत का बार उठाकर कारेख़ैर मं शरीक हों। याद रखें, इदारा का कोई मुस्तक़िल आमदनी का जरिया नहीं है। आपकी तरफ से जो ज़कात व अतियात की रक़में मिला करती हैं वह सिर्फ "यतीम बच्चियों" पर ही ख़र्च की जाती है। अतियात या दूसरे मद की रक़मों से हम स्कूल वग़ैरह चला रहे हैं।

• रमज़ानुल मुबारक का महीना पहुंचते–पहुंचते इदारा माली मुश्किलों में घिर जाता है। हर साल सालाना अख़राजात की तकमील अहले ख़ैर और हमदर्द हजरात के क़र्जों ही के जरिया पूरी की जाती है। इदारा के अज़ीम मंसूबों को पये तकमील तक पहुंचाने के लिए आपके तआबुन की सख़्त जरूरत है। तआवुन की मुख़्तालिफ़ शक्लें हैं मसलन • ज़कात • अतियात • सदक़ात • पैदावार की जकात • दीनी कुतुब • एक यतीम बच्ची का सलाना ख़र्च, • वालदैन या अपने और रिश्तेदारों के नाम कमरा और हॉल बनवाना, • कर्ज की अदायगी और ज़मीन की ख़रीदारी • स्टाफ की माहाना तनख्वाह के लिए (Rs. 65,000) रूपयें • तामीरी कामों के लिए, ईंट, सीमेन्ट, छड़ और दीगर सामान या उस की कीमत वगैरह।

याद रखें ! ज़कात अपके माल को पाक करती है। इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना तआवुन का मुन्ताजिर है।

• नोट : स्कूल और हॉस्टल में दाख़िला जारी • नया तालीमी साल : माह अप्रैल से शुरू

चेक व ड्राफ़्ट पर केवल यह लिखें : "THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

बराए राबिता (ख़त, चेक व ड्राफ्ट और मनी आर्डर भेजने का पता)

General Secratary, THE GAYA MUSLIM GIRL'S ORPHANAGE

At : Kolowna, Po. - Cherki Distt. Gaya 824237 (Bihar) India

फोन : (0631) 2734437, मोबाइल : 9934480190

☎ CORE BANKING A/C No. 310402010007752

Bank A/c No. 7752, Union Bank of Inida (Main Branch, GAYA)

इक़बाल अहमद ख़ान : *बानी–ए–इदारा व एज़ाज़ी जेनरल सैक्रेट्री*

email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, website : www.gmgo.org

चंगेज़ ख़ान और मुसलमान

● एहसान शौक़

जनाब एहसान शौक़ अपनी किताब "चंगेज़ ख़ान से बाबर तक" में आगे लिखते हैं कि मंगोल सरदार ल्यूकाई बहादुर की मृत्यु के बाद उसका बेटा चंगेज़ ख़ान 13 वर्ष की उम्र में मंगोल क़बीले का सरदार बनकर सिंहासन पर विराजमान हुआ । उसे ख़ान (ख़ाक़ान) की उपाधि से विभूषित किया गया । चंगेज़ ख़ान खुद को सरदारी के लिए नीली आंखों वाले शक्तिशाली मंगोल सरदार 'बोरचीगोन' का उत्तराधिकारी कहलाता था, क्योंकि आरंभ से ही उसके पूर्वज 'क़ब्ल ख़ान' के ज़माने से गोबी मरुस्थल के उत्तरीय क्षेत्रों पर मंगोलों की सरदारी चली आ रही थी और बैकाल झील से लेकर मंचूरिया तक उनका एकछत्र अधिकार था । उसी प्रांत को आजकल 'खिंगान' कहते हैं । यह क्षेत्र गोबी मरुस्थल के उत्तर में क्लूरान नदी और ओनोन नदी के हरी-भरी घाटियों में स्थित था । यहा पहाड़ों पर सनोवर के जंगल थे और जंगली जानवरों का शिकार यहां प्रचुर मात्रा में मिलता था । इसके अतिरिक्त यहां जानवरों के चरने के लिए हरी-भरी चरागाहें थीं, जिनमें दिन भर जानवर घास चरा करते थे ।

चीन की दीवार के उस पार वीरान इलाक़ों में भटकने वाले ख़ानाबदोशों के लिए इन जगहों का बहुत बड़ा महत्व था और वे लोग चंगेज़ ख़ान के पूर्वजों की हरी-भरी चारागाहें, जो गोबी मरुस्थल के उत्तरीय भूभाग में स्थित थीं, उन्हें छीन लेने के लिए हर वक़्त घात में लगे रहते थे । अत: चंगेज़ ख़ान के सरदार बनने के कुछ दिनों बाद पूर्व से ताईजोत क़बीले के एक सरदार तुरगाताई बहादुर ने (जो चंगेज़ ख़ान की तरह नस्ल से बोरचेजिन और भूरी आंखों वाला शक्तिशाली व्यक्ति था।) बहुत से दूसरे क़बीले के बहादुरों और बोयार झील के तातारियों को अपने साथ मिलाकर अचानक मंगोलों पर आक्रमण कर दिया । आक्रमण-कारियों ने चंगेज़ ख़ान की मां ओलान के अतिरिक्त क़बीले के शक्तिशाली और बहादुर लोगों को चुन-चुनकर क़त्ल करना शुरू कर दिया । लुटमार, क़त्लोग़ारत के दौरान क़बीला ताईजोत के लोगों ने चंगेज़ ख़ान के भाई-बहनों को बहुत ढूंढ़ा, मगर चंगेज़ ख़ान अपने परिवार के लोगों को लेकर पहाड़ की एक गुफ़ा में जाकर छिप गया । कई दिनों तक भूखे-प्यासे गुफ़ा में रहने के बाद चंगेज़ ख़ान जब बाहर निकला, तो गुफ़ा के द्वार पर घात लगाये हुए ताईजोतों ने चंगेज़ ख़ान को पकड़ लिया और उसे जंगल में अपने सरदार तिरगाताई बहादुर के सामने हाज़िर किये । सरदार ने चंगेज़ ख़ान को एक लकड़ी की हथकड़ी में जकड़ कर एक ख़ेमे में क़ैद कर लिया ।

क़ैद ख़ाने में चंगेज़ ख़ान को बहुत दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा । उसे तरह-तरह से शारीरिक और मानसिक कष्ट दिये गये । एक दिन चंगेज़ ख़ान की रक्षा में तैनात एक सैनिक को छोड़कर जब ताईजोत क़बीले के सारे ख़ानाबदोश सरदार तुरगाताई बहादुर के साथ किसी प्रीतिभोज, दावत में गये हुए थे, तो उस अवसर को चंगेज़ ख़ान ने अपनी आज़ादी के लिए उचित समझा । उसने पूरी ताक़त से रक्षक पर कुंग (छुहारों का गुच्छों) से आक्रमण कर दिया । फिर वह रक्षक को बेहोश करके ताईजोत क़बीले के ख़ेमागाह से भाग निकला ।

थोड़ी देर बाद जब ताइजोतों को चंगेज़ ख़ान के भाग जाने का पता चला, तो उन्होंने अपने क़बीले में अस्थायी रूप से ठहरे हुए एक शिकारी की सहायता से नदी के किनारे-किनारे चंगेज़ ख़ान को ढूंढ़ना शुरू किया । चंगेज़ ख़ान ताइजोतों को देखकर नदी के किनारे एक घास के ढ़ेर में छुप गया । शिकारी ने घास में छुपे हुए चंगेज़ ख़ान को देख लिया था, मगर उसे चंगेज़ ख़ान की विवशता पर रहम आ रहा था, इसलिए वह चुप ही रहा । पीछा करने वाले ताईजोत जब मायूस होकर वापस चले गये, तो उस अजनबी शिकारी ने चंगेज़ ख़ान को अपने ख़ेमे से बाहर ऊन से लदी हुई एक गाड़ी में छिपा दिया और उसके हाथ की हथकड़ी भी काट दी ।

Contemporary Education in Islamic Atmosphere

الحراء پبلک اسکول، شریف کالونی، پٹنہ

AL-HIRA PUBLIC SCHOOL

Nursery to Class-VIII & Hifz

CBSE Curriculum

English Medium

Separate Hostels for Boys & Girls

Sharif Colony, Bari Path, Patna-800006
Ph. : 0612-2660644, 6531127
E-mail : alhira@sify.com

Branches :

(1)
Ansar Nagar, Nawada
Ph. : 9234161352, 9135029296

(2)
L.R.P. Chowk, Bahadurganj, Kishanganj
Ph. : 9472058767, 9472369425

(3)
Ward No.1, Mahnar, Vaishali
9934299052
ubcpatna@gmail.com

ताईजोतों ने दोबारा तलाशी के दौरान ऊन के ढ़ेरों को अपने नेजों से चेक किया । उसी दौरान नेजें की नोक चंगेज़ ख़ान के टांग में चुभ गयी और टांग से ख़ून बहने लगा, मगर चंगेज़ ख़ान ने दर्द को सहते हुए उफ़ तक न कहा और ऊन के ढ़ेर में छुपा रहा । जब रात हुई और ताईजोत क़बीले वाले सब सो गये, तो रहमदिल शिकारी ने चंगेज़ ख़ान को ऊन के ढ़ेर से बाहर निकाला और उसे खाना खिलाकर एक घोड़े पर सवार करके ताईजोत क़बीले से भगा दिया । जंगल के लंबे सफ़र के बाद जब चंगेज़ ख़ान अपने मंगोल क़बीले में पहुंचा, तो अगले दिन ताईजोतों ने ''किसार'' और ''मालकोती'' के अनुपस्थिति में मंगोल के कुछ घोड़े चोरी कर लिए ।

घोड़ों के चोरी हो जाने के बारे में जब चंगेज़ ख़ान को मालूम हुआ, तो वह अपने बचपन के दोस्त ''बोघूरचू'' की सहायता से ताईजोतों का पीछा किया और उन्हें बेबस करके अपने तथा उनके सब घोड़े छीन लिए । गोबी के मरुस्थलीय ख़ानाबदोश क़बीलों में आपसी लड़ाइयां चलती रहती थीं । एक बार जब मंगोल क़बीले के 13 हज़ार ख़ानाबदोश अपने जानवरों को लेकर गर्मियों वाले चारागाहों से निकलकर सर्दियों के मौसम वाले चारागाहों की ओर जा रहे थे कि एक लंबी-सी घाटी के रास्ते पर 30 हज़ार हथियार बन्द ताईजोत क़बीले के लड़ाकों ने मंगोल क़बीले के ख़ानाबदोशों पर अचानक आक्रमण कर दिया । इस नाज़ुक मौक़े पर चंगेज़ ख़ान ने ताईजोतों से मुक़ाबला करने के लिए अपने क़बीले के नवजवानों और बहादुरों को पांच-पांच सौ के दस्तों में तक़सीम करके मोर्चे पर लगाया ।

जनाब एहसान शौक़ अपनी किताब ''चंगेज़ ख़ान से बाबर तक'' में आगे लिखते हैं कि चंगेज़ ख़ान ने छकड़ों (ख़ानाबदोशों की बैलगाड़ियां) में ख़ानाबदोश औरतों और बच्चों को बैठाकर ज़िरहपोश घुड़सवारों की एक क़तार बनायी, जो बरछियों और नेज़ों से सुसज्जिद थी । मंगोल बहादुरों ने ताईजोतों के हमले का जवाब तीरों की बौछार से दिया । जब ताईजोतों के हमले का ज़ोर ज़्यादा बढ़ गया, तो चंगेज़ ख़ान ने ताईजोतों की पेशक़दमी को रोकने के लिए 60 दस्तों के मुक़ाबले में मंगोलों को 13 दस्तों को जंगी महारत के साथ इस तरह इस्तेमाल किया कि मरुस्थल के उस ख़ूरेज़ी लड़ाई में हथियार से हथियार टकराने और नारों की आवाज़ों से एक शोर-सा मच गया था । शाम तक भयंकर लड़ाई होती रही । इस लड़ाई में बहुत सारे ताईजोत मारे गये और विजय चंगेज़ ख़ान को मिली ।

चंगेज़ ख़ान जंग में दुश्मनों से मुक़ाबले में किसी तरह की अख़्लाक़ी रोकथाम का क़ायल न था । वह जंग में तलवार, दग़ा और चालाकी सबको जायज़ समझता था और वफ़ादार बहादुरों की वह बहुत इज़्ज़त व क़द्र करता था । चंगेज़ ख़ान के सामने धोखेबाज़ी एक अक्षम्य अपराध था । एक बार की घटना है कि चंगेज़ ख़ान किसी जंग में अपने क़बीले से बाहर गया हुआ था । उसकी अनुपस्थिति में उसकी एक बीवी अपने ही क़बीले के एक मंगोल अफ़सर से अवैध संबंध स्थापित कर ली, और चंगेज़ ख़ान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी । जंग से वापसी पर चंगेज़ ख़ान को जब अपने उस बीवी की बेवफ़ाई व धोखेबाज़ी के बारे में मालूम हुआ, तो उसने अपने उस बीवी को क़त्ल कराने व देश से निकालने के बजाय, उसे उसी मंगोल अफ़सर के सुपुर्द कर दिया और कहा कि इसे अपने पास रखो और इस पर कभी भी भरोसा मत करना ।

ताईजोतों के साथ पहली ख़ूनी जंग में विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ ख़ान ने मज़ीद यलग़ार करके बोरयान, नाईबान, ओईरात, मकरीत और निडर तातार जैसे क़रीबी वहशी और दरिन्दे क़बीलों को तितर-बितर कर दिया और उनके सरदारों का पीछा करके उन्हें समूर के फंदे से गला घोंट कर मार डाला, ताकि उनका ख़ून ज़मीन पर न गिरने पाये, क्योंकि क़बीले की परम्परा के अनुसार उनका ख़ून बहाना गुनाह था । छोटी-सी झड़प के बाद बुद्धिमान ऐग़ूरियों ने भी चंगेज़ ख़ान की अधीनता स्वीकार कर ली । ताईहान क़बीले के क़ैदियों में से एक पढ़े-लिखे क़ैदी ''तातातंगा'' को चंगेज़ ख़ान ने अपना द्विभाषिया ख़ास बना लिया ताकि मंगोलों को हर तरह की भाषा का ज्ञान हो सके ।

पुराने और छोटे-छोटे क़बीलों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ ख़ान ने अपने मंगोल बहादुरों को अच्छे-अच्छे पदों पर आसीन किया । चंगेज़ ख़ान ने अपने लड़ाकू बहादुरों को ''तुरख़ान'' का ख़िताब भी दिया और उन्हें इस बात की इजाज़त भी दी कि वे बेरोक-टोक शाही महल में आ-जा सकते हैं । बहादुरों को हर तरह की लगान माफ़ थी और उनकी कोई ग़लती, ग़लती न समझी जाती थी । बहादुरों को 9 बार मौत की सज़ा माफ़ थी, जो जगह उन लड़ाके बहादुरों को पसन्द थी, चंगेज़ ख़ान ने उनको उनका अधिकार समझते हुए दे दिया ।

अनु॰ : **इरशाद अली ख़ान**

सैनिक चिड़िया : पाइड बैबलर

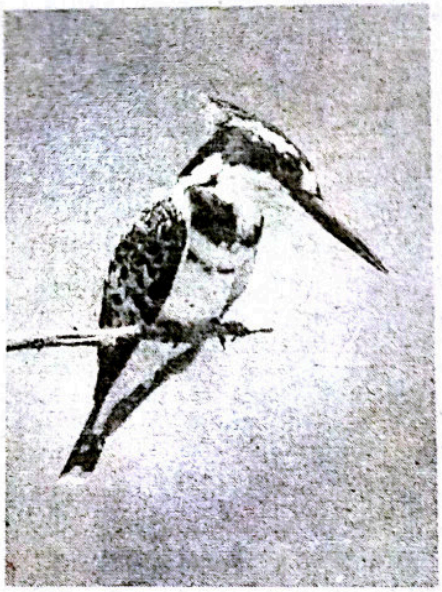

दीमक और मधु-मक्खियों में सैनिकों का एक समूह होता है जो उनके बांबी या छत्ते की रक्षा में सक्रिय रहता है । दुश्मनों को देखते ही अपने साथियों को सतर्क करना और दुश्मनों पर आक्रमण कर देना उनकी प्रवृत्ति होती है । लेकिन नये खोजों से ज्ञात हुआ है कि चिड़ियों की एक विशेष प्रजाति में भी सैनिक चिड़िया होती है । इस चिड़िया प्रजाति का नाम है–'पाइड बैबलर'। यह अफ़्रीक़ा के कालाहरी मरुस्थल में पायी जाती है । इस चिड़िया पर ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर रैंडी रैडफोर्ड ने काफ़ी लंबा शोध किया है । इस शोध के अनुसार इस चिड़िया में ऐसी कई ख़ासियत है जो इसे बनाती है । खोज में पाया गया है कि पाइड बैबलर चिड़िया ठीक उसी तरह अपने समूह की हिफ़ाज़त करती है जिस तरह रेडियो के ज़रिये लगातार संपर्क में रहकर थल सेना का आम संतरी अपने समूह और कमांडर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है ।

डॉक्टर रैडफोर्ड कहते हैं कि निस्वार्थ भावना का यह बेहतरीन उदाहरण है । पाइड बैबलर चूंकि रेगिस्तानी इलाक़ों में पायी जाती हैं इसलिए इन्हें दाना चुगने के दौरान ज़मीन और आसमान दोनों तरफ़ से ख़तरा रहता है । ज़मीन पर पाये जाने वाले मंगूस और कोबरा जैसे सांप इसका शिकार करते हैं, जबकि आसमान से बाज और गिद्ध इनकी खोज में चप्पे-चप्पे पर नज़र गड़ाये रहते हैं । पाइड बैबलर के एक समूह में छह से सात चिड़िया तक होती है । यह झुंड जब भी दाना चुगने या अपने शिकार के लिए निकलता है तो झुंड का एक सदस्य चारों ओर निगरारनी रखता है । अमूमन ऐसा होता है कि यह सैनिक चिड़िया सबसे पहले दाना चुगने वाले स्थान पर जाकर उसका मुआयना करता है, फिर वहां से यह ख़ास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को बताता है कि वहां दाना चुगने में कोई ख़तरा है या नहीं । अगर उसकी जानकारी ग़लत होती है तो पूरे झुंड को इसका ख़ामियाजा भुगतना पड़ता है ।

पाइड बैबलर का मुख्य भोजन सतह के नीचे रहने वाले बिच्छू और छोटे-छोटे सांप हैं । इनका शिकार काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर इसी दौरान वे ख़ुद शिकार हो जाते हैं । डॉक्टर का शोध काफ़ी मायने रखता है । इससे पक्षियों की विविध आवाज़ों का ख़ास मतलब और पक्षियों की सामाजिक व्यूह रचना को समझने में काफ़ी मदद मिलती है । शोध के दौरान रैडफोर्ड ने पाइड बैबलर के लगभग 20 समूहों का काफ़ी क़रीब से अध्ययन किया ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है।

NEW EMPRESS MILLS
1st Phase Industrial Area BALOTRA-344022 (Raj.)
Visit us. www.Empress. com. E-mail : empresspoplin@hotmail.com
(M) SAYED PARWAN ALI 09214408133
Empress POPLIN
LILLY लिली गोल्ड GOLD
Superior Nighty
KAJAL काजल गोल्ड GOLD
MFG. OF : HIGHCLASS STANDARD POPLIN & NIGHTY PRINTS

अल्लाह के
रसूल (सल्ल०) ने बताया :
अल्लाह तआला क़ियामत के दिन
एक आदमी से कहेगा, ऐ आदम के बेटे,
मैं बीमार पड़ा था, तू मेरी इयादत को नहीं आया ।
वह कहेगा, ऐ मेरे रब, कैसे तेरी इयादत को आता
और तू तो रब्बुल आलमीन है । अल्लाह कहेगा
क्या तुझे मालूम नहीं, मेरा फ़लां बन्दा बीमार
पड़ा था पर तू उसकी इयादत को नहीं गया ।
क्या तुझे मालूम न था अगर तू उसकी इयादत
को जाता तो मुझे उसके पास पाता ।
(हदीस)

A WELL WISHER
GOA

Posted on 20-21 April 2010
May 2010
E-mail: kantidelhi@rediffmail.com
Publishing Date: 18.04.2010

हिन्दी मासिकों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

ALTAF I. SHAH **09422388688**

नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया:
"हर क़र्ज़ सदक़ा है ।"
(हदीस)

EXIDE
INDUSTRIES LIMITED



GEM BATTERY CENTRE

2, Sunflower Apartments,
Opp. St. Andrew's Church,
Vasco-da-Gama, Goa
Tel. : 0832-2511270/2519066
E-mail : gembatteries@gmail.com